खण्ड ६—अंक ३०
२७ अगस्त, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

222 L.S.D./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

सोमवार २७ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अपंग व्यक्तियों का कल्याण

†***१४५२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अपंग व्यक्तियों की देख रेख पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) यह धनराशि किस प्रकार से खर्च की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ४८**] ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सभी प्रकार के अपंग व्यक्तियों के लिये कल्याण कार्य किये जाते हैं अर्थात् क्या इन कल्याण कार्यों में अंधों और बहिरों को भी सम्मिलित किया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या उपेक्षित बच्चों, जो किसी अन्य प्रकार से पीड़ित हैं, का भी पालन पोषण किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न अपंग व्यक्तियों के बारे में है । उपेक्षित बच्चे कई प्रकारके हो सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार ने सेवा कर सकने योग्य अंधों को प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात और अन्य व्यक्तियों को जो, अन्यथा नौकरी करने के योग्य हैं, नौकरी दिलाने की कोई योजना बनाई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हां, हमने देहरादून में एक सहायता प्राप्त कर्मशाला बनाई है जहां कुछ लोग नियुक्त किये जाते हैं और मद्रास में एक नौकरी दफ्तर भी है जो शिक्षित अंधों को उपयुक्त रोजगार ढूढ़ने में सहायता देता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या देहरादून और मद्रास में यह दो रोजगार दफ्तर देश भरके अंधों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या वे केवल संबंधित स्थानीय क्षेत्र के ही अंधों की सहायता करते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : देहरादून में जो सहायता प्राप्त कर्मशाला है उसमें स्थान बहुत सीमित है । मद्रास में कुछ प्रबंध किया गया है । अभी तो काम आरंभ ही किया गया है । समूचे देश में सभी अंधे व्यक्तियों के लिये रोजगार ढूंढना संभव नहीं हो सका है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या देहरादून की कर्मशाला के अतिरिक्त काम दिलाऊ दफ्तर जैसी कोई अन्य संस्था है जिन को अंधे व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र भेजकर उपयुक्त नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अथवा कोई ऐसा संगठन है जहां इन व्यक्तियों को उपयुक्त रोज़गार दिलाने का प्रयत्न किया जाता हो ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार ने एक योजना बनाई है और वह शिक्षित अंधे व्यक्तियों की सहायता करने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है । परन्तु मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी काम आरंभ ही किया गया है, मैं नहीं कह सकता कि सभी शिक्षित अंधे व्यक्ति उस से समान्वित हो सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि अंधे व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये भेजने से पूर्व, काम दिलाऊ दफ्तरों आदि के द्वारा जहां उनका नाम पंजीबद्ध किया जाये, उन्हें उपयुक्त नौकरी दिलाने की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री साधन गुप्त** : जी हां, मैं जानना चाहता था कि क्या इस प्रकार के कोई काम दिलाऊ दफ्तर हैं जहां अंधे व्यक्ति आवेदन-पत्र दे सकें और उन नौकरियों के बारे में जो उन्हें मिल सकती है, जानकारी प्राप्त कर सकें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : देहरादून में कोई नहीं है । मद्रास में वे अंधे व्यक्तियों को उपयुक्त नौकरियां ढूंढने में सहायता देते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इन अपंग व्यक्तियों में अन्धे भिखारी जो अपने अन्धेपन के कारण भिखारी हैं, की देखरेख भी की जायेगी, और यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में किसी योजना, का सुझाव दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह योजना अपंग व्यक्तियों के पालन पोषण के लिये है । यदि माननीय सदस्य द्वारा निदिष्ट व्यक्ति अपंग हैं, तो वे इस श्रेणी में आ ही जायेंगे ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : अंधे और अंगहीन व्यक्तियों के लिये उत्तर प्रदेश में कितने आश्रम हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री सै० वे० रामस्वामी** : पूना में अंगहीन व्यक्तियों के लिये कृत्रिम अंग बनाने वाली एक संस्था है, परन्तु इन कृत्रिम अंगो का मूल्य और इनके प्रयोग के प्रशिक्षण का व्यय अत्याधिक होता है । क्या सरकार इन कृत्रिम अंगों का मूल्य घटाने की किसी योजना पर विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय उपमंत्री को विदित है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र त्रावनकोर-कोचीन राज्य के तिरुवल्ला स्थानो पर अंधों और बहरों का एक आश्रम बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा हैं, क्या वह स्वयं वहां आने अथवा किसी पदाधिकारी भेजने की कृपा करेंगे जिस से कुछ सहायता, जो उसे दी जानी चाहिये, उस आश्रम को दी जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उन्हें उस स्थान का यात्रा करने का निमन्त्रण लोक सभा में क्यों दे रहे हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत सरकार अपंग व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास के लिये ब्रिटेन जैसे देशों में लागू विधानों का अध्ययन कर रही है, और यदि हां, तो क्या सरकार इन व्यक्तियों की सहायता करने के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समय इस प्रकार की कोई प्रस्थापना नहीं है । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि अपंग व्यक्तियों की देख भाल करने का काम राज्य सरकारों का है परन्तु इन लोगों की आवश्यकताओं और उनकी दुर्दशा को देखते हुये केन्द्रीय सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है और उसने कुछ उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है ।

हिन्दी परीक्षा समिति

*१४५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १६, मई १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी परीक्षाओं की मान्यता के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी हिन्दी परीक्षा समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति का प्रतिवेदन अथवा उसकी मुख्य सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(घ) यदि उस समिति ने अब तक अपना कार्य समाप्त न किया हो तो कब तक उसका कार्य समाप्त हो जाने की आशा है; और

(ङ) समिति का कार्य पूरा होने में देर होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सितम्बर १९५६ में ।

(ङ) अध्यक्ष के अक्सर दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण समिति की बैठकें नहीं हो सकीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि समिति के रिपोर्ट देने में देरी का एक कारण यह है कि इस समिति के अध्यक्ष क़िसी विशेष संस्था से सम्बद्ध हैं और दूसरी संस्थाओं की परीक्षाओं को वह किसी प्रकार मान्यता देना नहीं चाहते ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं समझता हूं कि कोई इस तरह के दोष आरोपण करना ठीक नहीं है । जो इस समिति के अध्यक्ष हैं वह पार्लियामेंट के मेंबर हैं और मैं नहीं समझता कि उनके मन में कोई दूसरी बात है । चूंकि वह दूसरे काम में लगे रहे इस वास्ते शायद वह रिपोर्ट नहीं दे पाये हैं और देरी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि प्रधान महोदय ने अपनी सम्मति से एक छोटी उप-समिति नियुक्त कर दी थी और उस उप-समिति की रिपोर्ट आने पर पूरी समिति ने उसे नामंजूर कर दिया ? इस तरह से जो रिपोर्ट देने में देरी हो रही है, वह न हो, इसके लिये क्या सरकार ने कोई समय निर्धारित कर दिया है कि फलां तारीख तक रिपोर्ट दे दी जाये नहीं तो दूसरी समिति नियुक्त कर दी जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, उनको नोटिस दे दिया गया है। ५ जूलाई को हिन्दी समिति की मीटिंग हुई थी और उसमें यह निश्चय हुआ कि छः हफ्ते में यह समिति अपनी सिफारिशें पेश कर दे वरना इसको समाप्त कर दिया जायेगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि इस देश में जो इस प्रकार की दो गैर सरकारी संस्थायें हैं, वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और दक्षिण भारत की हिन्दी प्रचार समिति, उनके कामों में क्यों कि यह रिपोर्ट जल्दी नहीं आ रही है, बहुत हानि पहुंच रही है और जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठते थे उनकी संख्या घट रही है ? ऐसी हालत में क्या इन दो संस्थाओं के संबंध में विशेष रूप से विचार किया जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक मुझे मालूम है, इन संस्थाओं में प्रतियोगिता है और इस कारण से हिन्दी के विकास में काफी हानि हुई है। यह कमेटी इसी लिये नियुक्त की गई थी और इसे कहा गया था कि देश में जितनी भी परीक्षा संबंधी संस्थायें हैं उनके बारे में यह विचार करे और रिपोर्ट दे। अब इस कमेटी को कह दिया गया है कि सितम्बर से पहले यह अपनी रिपोट दे दे और अगर इसने अपनी रिपोर्ट पेश न की तो सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये इस पर विचार किया जायेगा।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास में कोई प्रतियोगिता है। मैं समझता हूं यह बात ग़लत है। इसका कारण है कि इन दोनों के कार्य करने के क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हैं। जिस क्षेत्र में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा कार्य करती है उसमें वर्धा की राष्ट्र भाषा प्रचार समिति कार्य नहीं करती और जिसमें वर्धा की राष्ट्र भाषा प्रचार समिति कार्य करती है, उसमें दक्षिण भारत की हिन्दी प्रचार सभा कार्य नहीं करतीं। ऐसी हालत में क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इन दोनों संस्थाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले क्योंकि हिन्दी के क्षेत्र में सब से ज्यादा काम इन्हीं दोनों संस्थाओं ने किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, जो भी संस्था इस क्षेत्र में काम करती है, वह उस की सहायता करना चाहती है। परन्तु यह भी सत्य है—यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि इन संस्थाओं में आपस में प्रतियोगिता होने के कारण हिन्दी के विकास में काफी हानि हुई है। मुझे आशा है कि सेठ जी इस बारे में कुछ करेंगे। लेकिन यह तो राय का सवाल है। उन की राय मुझ से भिन्न हो सकती है।

राष्ट्रीय नाट्यशाला

†*१४५५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नाट्यशालाओं और ओपेरा हाउसों का अध्ययन करने के लिये भेजे गये दो वास्तुशास्त्रियों ने अपना प्रतिवेदन और दिल्ली में एक सुसज्जित राष्ट्रीय नाटक गृह का नमूना प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) क्या योजना और नमूना स्वीकार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वास्तुशास्त्रियों ने अपने प्रतिवेदन दे दिया हैं।

(ख) दोनों वास्तुशास्त्रियों का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया है, और इसके अनुसार अब नमूना तैयार किया जायेगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : दोनों वास्तुशास्त्रियों ने किन किन देशों का दौरा किया और किस देश का डिज़ाइन उन्हें सब से अधिक अच्छा लगा ?

†**डा० म० मो० दास** : इन वास्तुशास्त्रियों ने इटली, आस्ट्रिया, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, बेल्जयिम, ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस और स्विटज़रलैंड का दौरा किया। प्रश्न में दूसरे भाग के उत्तर में मैं कुछ नहीं कह सकता है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इन डिजाइनों के नाटक गृह बनाने में कितना खर्च होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य उन सबकी लागत जानना चाहते हैं ? उन्हों ने प्रतिवेदन तो एक ही दिया होगा।

†**डा० म० मो० दास**—उठे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रस्थापनाओं की लागत जानना चाहते हैं। यदि वह एक लंबी सूची हों, तो वह उसे सभा पटल पर रख दें।

†**डा० म० मो० दास** : नहीं, श्रीमान, यह लंबी नहीं है। इस राष्ट्रीय नाटक गृह के लिये वास्तुशास्त्रियों ने एक करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया है। यह कुल लागत है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन डिजाइनों का पुनरावलोकन और छान बीन किस समिति द्वारा किया जाता है और उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक व्योरे का संबंध है, अंतिम निर्णय करने से पूर्व उक्त डिजाइन स्वयं मंत्रीमंडल को प्रस्तुत किया जाना है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या माननीय उपमंत्री को विदित है कि नाटक-गृह कोई साधारण इमारत नहीं होती है बल्कि उसमे भी अधिक कुछ होती है। राष्ट्रीय नाटक गृह का निर्माण करने के लिये हमें नाट्यकला की विभिन्न शाखाओं से परिचित होना चाहिये .....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं ?

†**श्री चट्टोपाध्याय** : ...और राष्ट्रीय संस्कृति के आधारों का पूर्ण रुपेण ज्ञान होना चाहिये। क्या वे दो वास्तुशास्त्री, जिन्हें राष्ट्रीय नाटक गृह निर्माण करने का काम सौंपा गया है, इस महान् उत्तरदायित्व को संभालने योग्य हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : इसमें कोई सन्देह नहीं है।

†**श्री अ० कु० मैत्र** : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन वास्तुशास्त्रियों के योरुप में दौरे पर कितना खर्च हुआ ?

†**डा० म० मो० दास** : लगभग ३३,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सेठ गोविन्द दास** : इस राष्ट्रीय नाटक गृह के बन जाने के बाद क्या उसमें बराबर नाटक हुआ करेंगे ? यदि हां, तो क्या उन नाटकों के चुनाव के लिये किसी समिति के निर्माण का विचार किया जा रहा है ?

†**डा० म० मो० दास** : मेरे विचार से यह प्रश्न अभी समय से बहुत पहले की बात है ।

सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिये समिति

† *१४५६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ख) क्या उसके पश्चात् सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ग). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४९**] ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात प्रश्न के एक भाग के रूप में ही पूछी जा सकती थी । "क्या सरकार ने सिफारिशें स्वीकार करली हैं ; यदि नहीं, तो क्यों?" जब कि वह यह जानना चाहते हैं कि कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं तो उन्हों ने एक सामान्य प्रश्न क्यों पूछा है ? हमें एक अतारांकित प्रश्न की भांति पूछा जाना चाहिये था । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इन में से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और वे क्या हैं। यदि उन्हें किसी सिफारिश विशेष के बारे में कुछ कहना हो तो कह दें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है । हमें प्रतिवेदन मिल गया है और हम इसे मुद्रित कर रहे हैं । प्रतिवेदन के मुद्रित हो जाने पर सिफारिशें सभी विश्वविद्यालयों को भेज दी जायेंगी और . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस प्रकार का अनिश्चित सा प्रश्न पूछा जाये तो माननीय उपमंत्री को यह कह कर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिये कि इसे प्रकाशित किया जा रहा है आदि आदि वह बस इतना बता दे कि कौन सी सिफारिश स्वीकार की गई है और कौन सी नहीं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमारा विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह प्रार्थना करने का हो कि वह विश्वविद्यालयों को इन प्रस्थापनाओं पर विचार करने और यह देखने कि उन्हें किस प्रकार कार्यन्वित किया जा सकता हो, के लिये कहे । विश्वविद्यालयों की टीम की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिये छोटे छोटे प्रादेशिक सम्मेलन बुलाने का परामर्श दिया जायेगा, और उन सम्मेलनों में टीम के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे । विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्थापनाओं पर विचार किये जाने के पश्चात् वह यह भी देखेंगे कि इन्हें किस तरह कार्यान्वित किया जा सकता है ।

†**श्री ल्० चं० सोधिया**—उठे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना अनुपूरक प्रश्न किसी और दिन के लिये सुरक्षित रख लें।

विधि आयोग

† *१४५७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या उस के कार्य के संबंध में कोई अन्तरिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) और (ख). विधि आयोग दो विभागों में कार्य कर रहा है। प्रथम विभाग ने जो न्यायिक प्रशासन के सुधार के संबंध कार्य कर रहा है, एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की है जिसके उत्तरों की प्रतीक्षा गत जून के मध्य तक की गई थी। इन उत्तरों की छान बीन तथा विश्लेषण किया जा रहा है।

दूसरे विभाग ने, जो संविधियों के पुनरीक्षण के बारे में अब तक तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है (१) विभोटन (टार्टस्) विधि मे राज्य का उत्तरदायित्व ; (२) अन्तराज्यिक विक्रय कर पर संसदीय विधान के लिये प्रस्थापनायें ; और (३) परिसीमा अधिनियम।

छः अन्य अधिनियमों के प्रारुप प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार प्रत्येक संविधि संबंधी सिफारिशों पर अलग अलग विचार करेगी या कि सामूहिक रुप से ?

†**श्री विश्वास** : वस्तुतः हमें तीन प्रतिवेदन मिले हैं। सरकार को इन पर अलग अलग विचार करना होगा। सरकार प्राप्त हो चुके प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं करेगी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : अंतिम प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

†**श्री विश्वास** : वस्तुतः दूसरे विभाग द्वारा कई एक विषय चुने गये हैं; इसमें सात अधिनियमों की एक सूची है और उन पर पुनरीक्षण किया जा रहा है। अन्य अधिनियमों को बाद में लिया जायेगा। अतः मेरे लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि इस विभाग का कार्य कब समाप्त होगा अथवा वे और कितने अधिनियमों पर कार्यवाही करेंगे।

†**श्री सै० वे०रामस्वामी** : माननीय मंत्री ने बताया कि विधि आयोग से परिसीमा अधिनियम के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। क्या सरकार उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री विश्वास** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। इस बात का निर्णय स्वयं आयोग को करना होगा कि आगे क्या कार्यावाही की जानी चाहिये। उस ने तीन प्रतिवेदन दिये हैं। एक और प्रतिवेदन है जो कि उस से मांगा नहीं गया था परन्तु जिसे उसने स्वयं सरकार को जानकारी देने के लिये प्रस्तुत किया है। उस पर सरकार विचार कर रही है।

†**श्री सै० वे० रामस्वामी** : क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों को तुरन्त ही कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को निश्चित कर लिया है ?

†**श्री विश्वास** : सिफारिशें अभी गुप्त हैं और उन पर अभी विचार नहीं किया गया है। इसलिये उन्हें लोक-सभा के समक्ष नहीं रखा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : न्यायिक सुधार के संबंध में जिस पर कि विधि आयोग विचार कर रहा है और जिसके लिये उसने प्रश्नावलि भी जारी की है, विधि आयोग को अपना कार्य समाप्त करने और एक प्रतिवेदन तैयार करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**श्री विश्वास** : विधि आयोग ने एक बड़ी ही विशद प्रश्नावली जारी की थी और उन प्रश्नों का उत्तर भेजने की अंतिम तिथि अप्रैल में समाप्त भी हो चुकी है। उस तिथि को मध्य जून तक के लिये बढ़ाना पड़ा था। उसके बाद, यद्यपि लगभग १२,००० प्रश्नावलियां जारी की गई थीं, लेकिन अभी तक केवल ६०० के उत्तर प्राप्त हुये हैं। उत्तर बहुत कम आये हैं। इसलिये, अब आयोग ने यह निर्णय किया है कि उसे अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण स्थानों पर दौरा करने और प्रमुख वकीलों से संपर्क स्थापित करके प्रश्नावली के संबंध में देश के लोगों की वास्तविक प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिये भेजना पड़ेगा। मेरी जानकारी तो यह है कि उस प्रश्नावली में कोई २०० प्रश्न पूछे गये थे और उसे लगभग १२,००० व्यक्तियों के परिचालित किया गया था। लेकिन, उसके बाद भी, कोई ६०० ने ही अपने उत्तर भेजे हैं।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आयोग को अपना प्रतिवेदन तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पहले तो दौरे पर जाना पड़ेगा, फिर वे अपना प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

†**श्री विश्वास** : शायद वह अगले वर्ष के मध्य तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगा ; इस कार्य में शीघ्रता करने का वह प्रयास कर रहा है। मूलतः तो उसका विचार इस वर्ष के अन्त तक उस प्रतिवेदन को तैयार कर देने का था, लेकिन इतने कम उत्तर प्राप्त होने के कारण अब उसका विचार है कि अगले वर्ष के मध्य तक ही उसके लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव हो सकेगा।

†**श्री कासलीवाल** : मुझे ज्ञात हुआ है कि विधि आयोग ने अन्तर-बिक्री कर अधिनियम और परिसीमा अधिनियम में काफी बड़े-बड़े और उग्र परिवर्तन कर दिये हैं। क्या विधि आयोग की सिफारिशों के सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने से पहले वह इन दोनों अधिनियमों के बारे में सामान्य जनता की राय जानने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री विश्वास** : वास्तव में तो इस समय विधि मंत्रालय में उन की जांच की जा रही है और मैं इस पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह

†***१४५८. श्री स० चं० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री २५ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नगरपालिका बोर्ड स्थापित करने के संबंध में अब कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के प्रथम चुनावों के कब तक होने की आशा है ;

(ग) क्या (नगरपालिका बोर्ड) विनियमों के प्रारंभिक प्रारुप में कोई परिवर्तन किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे परिवर्तन किस प्रकार के हैं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) अन्दमान के मुख्य आयुक्त ने विनियमों के प्रारंभिक प्रारुप में बहुत ही सामान्य प्रकार के परिवर्तन किये थे। यह प्रारुप मूलत: २० जनवरी, १९५५ को अन्दमान के सूचना पत्र में प्रकाशित हुआ था।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५०**]

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या विनियमों के इस प्रारुप को भारत सरकार के सूचना पत्र में भी प्रकाशित किया गया था ?

†**श्री दातार** : उनके संबंध में कुछ आलोचनायें प्राप्त हुई हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह कार्य मंत्रालय अभी उन पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उसे भारत सरकार के सूचना पत्र में प्रकाशित किया गया था ?

†**श्री दातार** : मुझे इस की जानकारी नहीं है। हां, अन्दमान के सूचना पत्र में वह प्रकाशित हुआ है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : इस बात को देखते हुये कि इस सभा में और नगरपालिका में भी अन्दमान तथा निकोबार की जनता को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है और सभी सदस्य नामज़द किये हुये हैं। क्या सरकार के समक्ष उनको प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न नगरपालिका की स्थापना से संबंधित है और उस पर अभी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। बहुत शीघ्र ही एक विनियम जारी किया जायेगा और उसके बाद यदि आवश्यकता हुई तो, अन्य प्रश्नों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन प्रारूप विनियमों के संबंध में अन्दमान के निवासियों और वहां के संगठनों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के भी सुझाव प्राप्त हुये थे, और यदि हां, तो क्या उन पर विचार किया गया है ?

†**श्री दातार** : सरकार ने सभी प्रतिनिधियों के सबंध में विचार कर लिया है। लेकिन इस समय मैं इस सभा को यह सूचना दे सकने की स्थिति में नहीं हूं कि अन्दमान तथा निकोबार से कितने सुझाव प्राप्त हुये थे और कितने भारत की मुख्य भूमि से।

प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन

†***१४५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन की मुख्य गतिविधियां क्या रही है ; और

(ख) उपयुक्त काल में उसके द्वारा किये गये गवेषणा कार्य की मुख्य विशेषता क्या है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन के विभिन्न संस्थापनों की मुख्य मुख्य गति विधियों और उन में किये गये कार्यों को दिखाने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५१**]।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रविधिक श्रेणी के कितने अधिकारियों को मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग के अधिकारियों के रुप में चुना गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त्यागी** : इसके लिये मुझे पुनः पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन के अन्तर्गत कितने प्रतिष्ठान चल रहे हैं ?

†**श्री त्यागी** : इस समय तो नई दिल्ली में एक प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला और एक मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग ही है। इसके अतिरिक्त, किरकी में शास्त्र अध्ययन संबंधी प्रतिष्ठान भी है।

हिन्दी

† *१४६१. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरंभिक हिन्दी परीक्षा के संबंध में सशस्त्रबलों के अधिकारियों को क्या निदेश जारी किये गये हैं;

(ख) कितने अधिकारियों ने इस परीक्षा में भाग लिया और कितने उत्तीर्ण हुये; और

(ग) इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से क्या क्या लाभ होंगे ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) सन् १९५१ में निदेश जारी किये गये थे कि भविष्य में भर्ती किये जाने वाले सभी अधिकारियों को अपनी सेवा के पहले दो वर्षों में ही हिन्दी की एक परीक्षा में उतीर्ण होना पड़ेगा, और जो अधिकारी पहले से ही सेवा युक्त हैं उनको भी एक उचित अवधि में हिन्दी में अर्हता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(ख) ८८६७ अधिकारियों ने परीक्षा में भाग लिया था, और उनमें से ७६१९उत्तीर्ण हुये।

(ग) चूंकि संघ की सरकारी भाषा हिन्दी ही होगी, इसलिये उसके लाभ तो स्पष्ट ही हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : भाग (ग) के उत्तर के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस निदेश को प्रतिरक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारियों पर क्यों लागू नहीं किया गया है।

†**श्री त्यागी** : असैनिक कर्मचारी गृह-कार्य मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। मुझे भय है कि ऐसे सभी कार्यों के लिये, ऐसे मामलों में समूची सरकार को, हमारे समूचे सचिवालय को मिलकर कार्य करना पड़ेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : यदि मैं ने माननीय मंत्री का आशय ठीक ठीक समझा है तो इस मामले विशेष में प्रतिरक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारी गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन है, प्रतिरक्षा मंत्रालय के नहीं।

†**श्री त्यागी** : सभी पर सामान्य रूप से लागू होने वाली नीतियों के संबंध में, गृह-कार्य मंत्रालय ही सभी मंत्रालयों को कर्मचारियों और उनकी परीक्षाओं के बारे में निर्णय करता है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इन दो वर्षों में हिन्दी की परीक्षा में अर्हता प्राप्त न कर पाने वालों की सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री त्यागी** : जी, नहीं। इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, सिवाय इसके कि उन्हें दुःख है कि वे अनुतीर्ण हो गये है और वे अगली बार उत्तीर्ण होने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेंगे मेन** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेना कर्मचारियों में रोमन लिपि द्वारा हिन्दी की शिक्षा देना बन्द कर दिया गया है। और इसके फलस्वरुप सेना कर्मचारियों को राष्ट्रीय भाषा के सीखने में अग्रेतर प्रगति करने में अड़चन पड़ गई है। और यदि हां, तो क्या सरकार कुछ और वर्षों तक रोमन लिपि के द्वारा हिन्दी सीखने देने की आवश्यकता के संबंध में विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त्यागी** : कुछ वर्षों पहले तक हिन्दी रोमन लिपि में पढ़ाई जाती थी। लेकिन हाल ही में रोमन लिपि को त्याग दिया गया है और हमने देवनागरी लिपि को अपना लिया है। यह इस विचार से किया है कि उसमें एक रूपता रहे और हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को अन्य भागों में स्थानांतरित भी किया जा सके। यह बात समस्त सशस्त्रबलों पर लागू होती है।

खनिज पदार्थ सम्बन्धी नीति

†*१४६२. **सरदार अकरपुरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० अप्रेल, १९५६ के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में बताई गई भारत सरकार की खनिज पदार्थ संबंधी नयी नीति को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५२**]।

श्री भक्त दर्शन : अभी तक गवर्नमेंट (सरकार) की यह नीति रही है कि केन्द्रीय सरकार का जिओलौजीकल (भूतत्वीय) विभाग खनिज पदार्थों का पता तो लगा लेता है, लेकिन उनकी खुदाई का काम प्राइवेट पार्टियों (निजी संस्थाओं) को या राज्य सरकारों को सौंप देता है। क्या गवर्नमेंट ने यह सोचा है कि इस प्रकार से देश का पूर्ण आर्थिक विकास संपन्न नहीं हो सकता, और क्या सरकार इस नीति को बदलने की आवश्यकता अनुभव करती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मैं समझ पाया हूं, वर्तमान औद्योगिक नीति वर्तमान निजी स्वामित्व वाली इकाइयों के विस्तार या राष्ट्र के हित में आवश्यक होने पर राज्य द्वारा नई इकाइयों की स्थापना के लिये निजी उपक्रमों का सहयोग प्राप्त करने की संभावना को प्रतिवारित नहीं करती है।

निज़ाम की सरकार की निधियों का हस्तान्तरण

†*१४६३. **श्री म० रं० कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निज़ाम सरकार के उस समय के अधिकारियों द्वारा पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों को कुल कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई थी ; और

(ख) उस समय की निज़ाम सरकार ने किन-किन देशों में अपना वह धन जमा कर रखा था जो अब निज़ाम के पुराने अधिकारियों के अधिकार में हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १,४१९,००५ पौंड और २,८९,९६,००० रुपये।

(ख) पाकिस्तान।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : क्या इस प्रकार संपत्तियों का स्थानांतरण करने वाले अधिकारी भारत में अपने पीछे कोई संपत्ति छोड़ गये हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार कार्यवाही कर रही है। एक मामले में सरकार मुकदमा हार गयी हैं। सरकार इस मामले के संबंध में अपील करने का विचार कर रही है। जहां तक दूसरे मामले का संबंध है, सरकार अभी विचार कर रही है कि क्या कार्यवाही की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : क्या उन अधिकारियों ने अपने पीछे भारत में कोई संपत्ति छोड़ी है और यदि हां, तो उस सम्पत्ति का मूल्य कितना है ?

†**श्री दातार** : उन्होंने कोई संपत्ति छोड़ी भी है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : क्या इन बड़ी बड़ी धनराशियों को स्थानांतरित करने वाले कुछ अधिकारियों के अब भी भारत सरकार से उनकी संपत्तियों के लिये किराया और अन्य चीजें प्राप्त हो रही हैं ?

†**श्री दातार** : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस स्थानांतरण के कार्य में कितने व्यक्ति शामिल हैं और क्या उनकी संपत्ति को निष्क्राम्य संपत्ति घोषित किया गया है ?

†**श्री दातार** : लंदन में धन का स्थानांतरण करने वाले दो व्यक्ति थे। जहां तक उनमें से एक का संबंध है, उसने अपनी सहमति दे दी थी और हमने ४,११,००० पौंड से कुछ अधिक वसूल कर लिया था। जहां तक दूसरे व्यक्ति का संबंध है, वह पाकिस्तान में है। दूसरे मामले के संबंध में, पाकिस्तान में धन का स्थानांतरण करने वाला व्यक्ति इस समय पाकिस्तान में रह रहा है। इसलिये इस प्रश्न पर अभी विचार करना है।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री ने एक और व्यक्ति का उल्लेख किया जो कि पाकिस्तान में है। क्या उसकी भारत में कोई संपत्ति है, और यदि हां, तो क्या निधियों के ग़बन के लिये उसकी संपत्ति पर कोई ग्रहणाधिकार लागू किया गया है ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। मुझे पता नहीं कि यहां कोई संपत्ति है भी या नहीं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : दूसरा मामला अब किस स्थिति में है ? क्या उसकी अपील कर दी गई है ?

†**श्री दातार** : उसका निर्णय अभी हाल में किया गया है। सरकार अभी उसको अपील करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : उसमें कितनी राशि अन्तर्गत है ?

†**श्री दातार** : १० लाख पौंड।

पश्चिम जर्मनी में भारतीयों का प्रशिक्षण

†*१४६४. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार ने प्रधान मंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि वह अपने कारखानों और स्कूलों में कई भारतीय को प्रविधि विज्ञों के रुप में प्रशिक्षित करने को तैयार है और भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है ;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने इसके संबंध में कुछ छात्रवृत्तियां भी देने का प्रस्ताव किया है ;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) १९५६–५७ में कितनी भारतीयों को प्रशिक्षण प्राप्त करनेके लिये भेजा जायेगा और उनका चुनाव कैसे किया जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उसके ब्यौरे के संबंध में अभी बातचीत चल रही है।

(घ) इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री गिडवानी** : क्या जर्मन सरकार ने अपने समस्त उपकरणों सहित एक औद्योगकीय विद्यालय भारत में खोलने का प्रस्ताव किया है। और क्या उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारत के प्रधान मंत्री से भारतीय विद्यार्थियों को जर्मनी में प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये १०० छात्रवृत्तियां देने और एक औद्योगकीय विद्यालय की स्थापना में सहायता देने का प्रस्ताव किया था।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार को उद्योगों के विकास के संबंध में मंत्रणा देने के लिये कुछ जर्मन प्रविधिक विशेषज्ञ भी भारत आयेंगे, और क्या छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के संबंध में भी उन से परामर्श किया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : इस समय तो हम इस समस्त मामले के संबंध में हमारा बौम स्थित राजदूतावास जर्मन सरकार से बात चीत कर रहा है। प्रारंभिक चर्चा राजदूत और जर्मन अधिकारियों के बीच ९ अगस्त, १९५६ को हुई थी उसमें डा० वी० के० आर० वी० राव और श्री एच० बी० आर० आय्यंगार ने भी सहयोग दिया था। अभी मामला चर्चाधीन है। अभी ब्योरा ज्ञात नहीं हुआ है।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या सरकार का विचार बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजे जाने वाले अभ्यर्थियों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैंने अभी निवेदन किया कि मामला अभी चर्चाधीन है और अभी ब्योरा ज्ञात नहीं हुआ है।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या सरकार उन भारतीय विद्यार्थियों को जिन्हें पश्चिम जर्मनी की निजी सार्थों द्वारा प्रविधिक प्रशिक्षण सुविधायें दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है, कोई अन्य सुविधायें देने की प्रस्थापना करती है और क्या इन सुविधाओं में यात्रा किराया सम्मिलित होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक प्रधान मंत्री से किये गये इस प्रस्ताव विशेष का सम्बन्ध है, अभी सारी बात चर्चाधीन है और अभी विस्तृत ब्योरा तैयार नहीं किया गया है।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार द्वारा एक ही प्रस्ताव किया गया है अथवा कई प्रस्ताव किये गये हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक पश्चिम जर्मन सरकार का संबंध है, केवल एक ही प्रस्ताव था ; जर्मनी में प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतीय विद्यार्थियों को १०० छात्रवृत्तियां और एक औद्योगिकीय विद्यालय की स्थापना में सहायता देना एक जर्मन राज्य द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रधान मंत्री से एक प्रस्ताव और किया गया था। वह था भारतीय विद्यार्थियों को बहुत सी छात्र-वृत्तियां दिये जाने के सम्बन्ध में। हमारा प्रस्ताव जर्मनी की एक विद्यार्थी संस्था द्वारा किया गया था ; वह था दो छात्र वृत्तियों के लिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : आगे की बात प्रधान मंत्री कहें।

†**एक माननीय सदस्य** : उन्हें समाप्त कर लेने दीजिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्तमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : मैं उनकी बात को पूरा किये देता हूं। उक्त प्रस्ताव उपकरणों और विशेषज्ञों को देकर और छात्रवृत्तियाँ देकर एक औद्योगकीय विद्यालय की स्थापना में सहायता देने के संबंध में था। फैडरल सरकार ने १००छात्र-वृत्तियां देने का प्रस्ताव किया था और न केवल उन की फीस बल्कि उनका यात्रा भाडा इत्यादि में उसमें सम्मिलित था। वहां के राज्य सरकार ने ५००–६०० छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया था—निश्चित संख्या नहीं बताई गई थी—यह छात्रवृत्तियां अधिकांशत: प्रविधिक विषयों के लिये थीं। कई अन्य स्थानों से भी कई एक छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव दिये गये थे। दो छात्रवृत्तियों देने का प्रस्ताव है वर्ग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की और से, उन्हीं के द्वारा आपस में एकत्रित किये गये धन से देने का प्रस्ताव किया गया था ; उन्होंने वहां आने वाले भारतीय विद्यार्थियों को दो छात्र वृत्तियां देने का प्रस्ताव किया था। हमारा विचार यह है कि किसी औद्योगकीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में क्या कुछ किया जाना चाहिये इसका निश्चय करने का सर्वोत्तम तरीक़ा एक जर्मन दल को यहां आकर उस के संबंध में चर्चा करने का अवसर देकर कोई निर्णय करना है। यह चर्चा, हमें किस प्रकार की विद्यालय स्थापित करना चाहिये, उसे कहां स्थापित किया जाये, वह हमें कितनी सहा-यता दे सकते हैं, आदि के संबंध में होगी और हम उन से छात्रवृत्तियों के प्रश्न पर भी बात चीत कर सकते हैं। हमें आशा है कि अगले मास किसी समय यह जर्मन दल यहां आयेगा।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में अंशकालिक अध्यापक

†*१४६५. **श्री मात्तन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तथा कथित अंशकालिक अध्यापकों की सेवा संबंधी शर्तों और पद-स्तर के बारे में, जो त्रावनकोर-कोचीन राज्य के स्कूलों में ड्रिल, चित्रकला, गायन विद्या, सिलाई, हिन्दी आदि विषयों को पढ़ा रहे हैं, जांच की है ;

(ख) क्या उन्होंने उस ज्ञापन को देखा है जो इन अध्यापकों ने १८ अप्रैल, १९५६ को राज्य प्रमुख के परामर्श दल की सेवा में प्रस्तुत किया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिनांक १८ अप्रैल १९५६ को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि दिनांक १९ मई, १९५६ का एक ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।

(ग) राज्य सरकार अंशकालिक अध्यापकों की शिकायतों की जांच कर रही है और यथा समय उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

†**श्री मात्तन** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि तथाकथित अंशकालिक शिक्षक सन् १९५० तक पूर्णकालिक शिक्षक थे और यह कि अब भी इनमें और पूर्णकालिक शिक्षकों में केवल इतना ही अन्तर है कि इन्हें २५ रुपये प्रति मास के हिसाब से वेतन मिलता है जब कि उनके कार्य की अवधि में केवल थोड़ासा ही अन्तर है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल योजना के अनुसार, जो कि इस समय उस राज्य में लागू है, एक अंशकालिक शिक्षक वहां है जो कि किसी भी स्कूल में एक सप्ताह में १५ पीरियडों से कम काम करता है। सरकार की नीति यह है कि अंशकालिक शिक्षकों के इन पदों को समाप्त कर दिया जाये। ज्यों ज्यों शिक्षा पद्धति उन्नत होती जायेगी, त्यों त्यों उन्हें पूर्ण कालिकशिक्षक बना दिया जायेगा, परन्तु उसमें कुछ समय लगेगा।

†**श्री मात्तन** : क्या उसी अर्हता के सरकारी स्कूलों के शिक्षक पूर्णकालिक शिक्षक हैं ? इतना विभेद क्यों है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा मैंने कहा है सरकार उस प्रस्थापना पर विचार कर रही है। अंशकालिक शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश तथा प्रसूति सुविधायें दी जा रहीं हैं। और इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि उन अंश कालिक शिक्षक को भविष्य निधि की सुविधा भी दी जायें।

†**श्री वेलायुधन** : उनको कितना वेतन मिलता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उनके वेतन का प्रश्न भी विचाराधीन है।

†**श्री पुन्नूस** : इस समय कितने अंशकालिक शिक्षक काम कर रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समय मैं संख्या नहीं दे सकता। इस के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री अ० म० थामस** : इस समय इन अंश कालिक शिक्षकों का वास्तव में वेतन क्रम कितना है और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले उन्हीं के समान के शिक्षकों का वेतन क्रम क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राज्य सरकार को भेजे गये अभिवेदन में यह कहा गया है कि उनका वेतन घटाकर २५ रुपया मासिक कर दिया गया है। और मैं मानता हूं कि यह बहुत कम वेतन है।

†**श्री अ० म० थामस** : सरकारी संस्थाओं में बिल्कुल वही काम करने वाले शिक्षकों का क्या वेतन है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकारी शिक्षकों तथा गैर सरकारी शिक्षकों के वेतनों में अन्तर के संबंध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

नरतत्वीय अनुसन्धान

† *१४७०. **श्री क० कृ० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नरतत्वीय विभाग ने अन्दमान द्वीप की 'ओंगेस' आदिम जातियों के बारे में कोई अनुसंधान कार्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ;

(ग) यह अनुसंधान कार्य कितने समय तक होता रहा ; और

(घ) क्या भारत सरकार के नरतत्त्वीय विभाग द्वारा अन्दमान द्वीप में उस सम्बन्ध में और अधिक अनुसंधान करने की कोई प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। अनुसंधान अभी हो रहा है।

(ग) १९४८ और १९५१ के बीच प्रतिवर्ष थोड़े, थोड़े समय के लिये जो अनुसंधान कार्य चलते रहे उनके अतिरिक्त वास्तविक अनुसंधान गत ११ महीनों से चल रहा है।

(घ) यह वर्तमान अनुसंधान चलता रहेगा और जारी रहेगा।

†**श्री क० कृ० दास** : क्या अन्दमान की जारवार आदिम जातियों के सम्बन्ध में भी कोई अनुसंधान दिया गया है?

†**डा० म० मो० दास** : जारवार आदिम जातियों के संबंध में अभी तक तो कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। उसके दो कारण हैं। ये आदिम जातियां अत्यन्त भयंकर है और किसी समय भी वे अपने विषैले वाणों का शिकार बना सकते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि हम उनकी भाषा से अपरिचित है हमारे पदाधिकारी ओनगेस लोगों की भाषा सीखने का प्रयत्न कर रहे है जो कि जारवार आदिम जातियों की भाषा से लगभग मिलती जुलती है। यह भाषा सीखते ही हम जारवार आदिम जातियों के संपर्क में आ जायेंगे ।

†**श्री क० कृ० दास** : इस अनुसंधान खोज कार्य पर कितना खर्च आया है?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक खर्च का संबंध है, यह खर्च नरतत्त्वीय विभाग द्वारा किया गया है और वह उस विभाग के लिये निर्धारित किये गये अन्य व्ययक की राशि में से लिया गया है। वास्तविक आंकड़ों का मुझे ज्ञात नहीं है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या यह सच है कि यह आदिम जाति अब केवल १५ या २० परिवारों तक ही सीमित है और वह अब और अधिक बढ़ नहीं सकती है?

†**डा० म० मो० दास** : इस 'ओनगेस' आदिम जाति की संस्था केवल कुछ सैकड़ों में ही है उससे अधिक नहीं है।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : उनकी भाषा को सीखने की दिशा से अभी तक कितनी प्रगति हुई है और उनके लोक गीतों तथा लोक साहित्य को एकत्रित करने में कितनी प्रगति हुई है?

†**डा० म० मो० दास** : हमारे पदाधिकारी वहां पर हैं, और उनकी भाषा सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस कार्य में किसी सीमा तक सफल भी हो गये हैं। परन्तु उस कार्य में अभी कुछ समय लगेगा।

अमेरिका से अतिरिक्त कृषि उत्पादों का क्रय

†***१४७१. श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त कृषि उत्पादों को खरीदने के लिये अमेरिकी सरकार से कोई बातचीत की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक की कितनी कितनी मात्रा खरीदी जायेगी ; और

(ग) इस प्रकार के कार्यों का उद्देश्य क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां। अमेरिका के अतिरिक्त कृषी उत्पादों के स्थानीय मुद्रा में क्रम के लिये अमेरीकी सरकार से बात चीत हो रही है।

(ख) विचाराधीन मुख्य भेद यह है। ३५ लाख मीट्रिक टन गेहूं और लंबे रेशे वाली कपास की ६०,००० गांठें (४०० पौंड की प्रत्येक गांठ) जो कि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के अंदर खरीदी जायेगी।

उनके अतिरिक्त चालू वर्ष के लिये २००,००० मैट्रिक टन चावल की खरीद का भी विचार है।

(ग) इस क्रय का उद्देश्य न केवल तत्कालिक उपभोग के लिये आयात खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना है, अपितु अन्तःस्थ स्टाक जमा करने का भी है, और कपड़ा मिलों की लंबे रेश की कपास की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करना है।

†**श्री ल० ना० मिश्र**: क्या यह माल खरीदा जायेगा अथवा यह भारत को अमरीका की ओर से दी जाने वाली सहायता का एक भाग होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका अधिकांश भाग ऋण के रूप में है जो कि अमरीकी सहायता कार्यक्रम का एक भाग होगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस प्रयोजन के लिये शोधन की प्रणाली क्या होगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उन सभी मामलों पर अभी बातचीत होगी।

†**श्री हेडा** : इन वस्तुओं के भाव हमारी अपनी मार्किटों या अन्य प्रतियोगीय मार्किटों के भावों की तुलना में कैसे हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक चावल नया गेहूं के भावों का संबंध है, वे तो अधिक है। परन्तु जहां कपास के भावों का संबंध है, हाल ही में अमेरिकन कपास के भाव प्रतियोगिता करने लगे है और अब कोई अधिक अन्तर नहीं है। परन्तु वार्ता में उठाई जाने वाली पृष्ट बात राजकीय सहायता के दिये जाने के संबंध में है जिससे मूल्यों को भारतीय मूल्यों के बराबर बनाया जा सके।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उनके लिये हम उन्हें जो कीमत दे रहे हैं वह भाव यहीं के भावों के बराबर है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार ने पिछले साल ही खाद्यान्नों को विदेशों कों निर्यात करने की नीति अपनायी थी, क्या कारण है कि सरकार को इतनी जल्दी इतनी भारी मात्रा में गेहूं आयात करने की आवश्यकता पड़ गयी है ? यदि यह केवल अन्तःस्थ स्टाकों जमा करने के लिये है तो फिर खाद्यान्नों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछ लिये हैं। हमने कभी भी खाद्यान्नों के निर्यात की नीति का सहारा नहीं लिया है। हमने थोड़ा सा अन्न विदेशों को भी भेजा था क्योंकि पडोसी देशो में अन्न की बड़ी भारी आवश्यकता थी वैसे यह हमारी नीति नहीं है। इस वर्ष भी हमने १०,००० टन का खाद्यान्न पूर्वी पाकिस्तान को भेजा है क्योंकि वहां पर अन्न की बड़ी भारी कठिनाई है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : ४५,००० टन खाद्यान्न विदेशों को भेजा जा चुका है, परन्तु व अब भी विदेशों के क्रयादेशों को पूरा कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संभव है कि हम अब भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में कुछ अन्न विदेशों को भेजें क्योंकि उस प्रकार से जो अन्न भेजा जाता है वह बड़ी भारी आवश्यकता उत्पन्न होने पर और ऋण रुप से दिया जाता है। उतना ही अन्न हम उनसे वापिस ले लेते हैं। सभा यह देखेगी कि यह एक त्रिवर्षीय करार है। हम अपने भांडारों को अच्छी प्रकार से भर लेना चाहते हैं। संभव है कि सुरक्षा की दृष्टि से कही कोई त्रुटि रह जाये, परन्तु हम यह नहीं चाहते कि इन तीन सालों में हमें प्राकृतिक भयंकर आपत्तियों में भी इस समस्या का सामना करना पड़े और फिर अमरीकन सरकार द्वारा प्रस्तावित किये गये निबन्धन भी बड़े अनुकूल थे, अतः हमने उनका स्वीकार कर लेना वाँछनीय समझा।

†**श्री कामत** : प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि हम उन्हें वही कीमत दे रहे हैं जो कि हमारे अपने देश में है। क्या इस से सभा यह समझे कि संसार के किसी भी देश से मंगाई जाने वाली किसी भी वस्तु का भाव वही है ? क्या 'सामान्य भाव' से यही तात्पर्य है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : में खरीदी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के बारे में उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री कामत** : किसी भी देश से आयात की गई किसी विशेष वस्तु का भाव बताइये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सामान्यतया अमरीकी खाद्यान्नों के भाव भारत के भावों की अपेक्षा अधिक होते हैं, परन्तु उन सरकार तथा उसके बोर्डों से किये गये प्रबंधों के अनुसार हम लगभग सामान्य मूल्य ही दे रहे हैं।

जस्त का कारखाना

†***१४७३. श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दो समितियां नियुक्त की हैं–एक तो देश में जस्त का कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं की खोज करने के लिये और दूसरी कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान के बारे में सुझाव देने के लिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन दोनों समितियों के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ग) यदि नहीं तो दोनों समितियों की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत में जस्त उद्योग की स्थापना के लिये सारी स्थिति पर विचार करने के लिये तथा उस संबंध में ठीक सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी थी। इस समिति ने एक जस्त के पिघलाने वाला संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया है।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रखी गयी हैं।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या यह सच है कि उन रुसी विशेषज्ञ के जो हाल ही में भारत आये थे, इस उद्योग के बारे में एक अत्यन्त आशापूर्ण प्रतिवेदन दिया है परन्तु उन्होंने खान में अत्यन्त मन्द गति तथा त्रुटि पूर्ण ढंग से हो रहे काम की ओर तथा यहां पर शीघ्र ही उद्योग प्रारंभ करने के लिये जस्त के सारकृत चारे को विदेशों को निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने की ओर संकेत किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभा के सम्मुख तथ्य रखेगी और हमें इस बारे में परिचित करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां, ठीक है। रुसी विशेषज्ञों ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और वह सभा के पुस्तकालय में रखा हुआ है। उन्होंने यह सिफारिश की है कि कारखाने का स्थान कई बातों पर विचार करने के बाद चुना जाये जिसमें जस्त तथा गन्धक के तेंजाब के उपभोक्ता केन्द्र की स्थापना, खान और कारखानों में, दूरी, सस्ते विद्युत की उपलब्धि तथा रेलवे सुविधायें भी सम्मिलित हैं। भारत के धातु निगम में इन खानों को कार्यचलित करनें के लिये कहा है ताकि एक पिघलानें के संयन्त्र के स्थापित करनें के लिये जितने न्यूनतम अयस्क की आवश्यकता है, वह उत्पादित किया जा सके।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : इस दृष्टि से कि जस्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति संबन्धी संकल्प की अनुसूचीक में सम्मिलित कर लिया गया है, और इस प्रकार दूसरा तुरन्त राष्ट्रीयकरण करना है मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जस्त पिघलानें के संयन्त्र को स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही करनें का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पहले कह चुका हूं कि भारत के धातु निगम से जिसे दीर्घ कालीन पट्टा प्राप्त है खानों में काम करने और अयस्क का उत्पादन करनें के लिये कहा गया है। यदि उक्त आदेश का पालन नहीं करती तो, उस परिस्थिति में ही सरकार खानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करेगी।

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सच नहीं है कि स्वंय प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने बंगलौर में खनिज सम्मेलन के अवसर पर अपने भाषण में यह स्वीकार किया है कि जहां तक धातु निगम का सम्बन्ध है, यह जानवर न तो मुद्रावण अयस्क शोधन संयन्त्र स्थापित कर सकी है और न हीं इसने इन खानों के विकास के लिये और कोई धातु अपनाई है, तथा यदि हां तो सरकार अब भी उसी समवाय से क्यों कम करवाना चाहती है जो इस प्रकार असफल रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समवाय को एक और अवसर दिया गया है। उस अवसर पर प्राकृतिक संसाधन मंत्री नें जों भाषण दिया था उसका मुझे ज्ञान नहीं है। इस समय में इतना ही कह सकता हूं कि मेटल कार्पोरेशन आफ इंड़िया नें इन खानों का विकास करना तथा जस्त मुद्रावरण अस्कशोधन संयन्त्र की आवश्यकता भी पूर्ती के लिये उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है। इस उद्देश्य से निगमनें अपनी पूंजी में और धन लगाने को कहा है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इस दृष्टि से कि जावर खाने बहुत समय से काम कर रही है और जहां तक चांदी व जस्त का संबंध है, भारत में वे सबसे पूरानी खाने हैं, क्या जावर खानों को रेलों से मिलाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है, जो कि बहुत ही संगत और महत्वपूर्ण प्रश्न है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने धातु निगम को इन खानों के चलाने के लिये ३० लाख रुपये का ऋण दिया था, परन्तु बाद में उक्त निगम के ऐसा न करने पर सरकार ने समवाय को धन राशि लौटाने की पूर्व सूचना देने का विनिश्चय किया है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

अन्दमान तथा निकोबार को वनस्पति विशेषज्ञों का अभियान

†*१४७५. **श्री वोडयार** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग हाल में ही अन्दमान तथा निकोबार को वनस्पति विशेषज्ञों के अभियान के लिये प्रबंध करेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां

(ख) यात्रा का उद्देश्य अन्दमान तथा निकोबार की वनस्पतियों की खोज करना है। कार्यक्रम में विभिन्न ऋतुओं में उन्हीं क्षेत्रों का जाना और सब प्रकार के पौध एकत्रित करना सम्मिलित है। पौधों में पर्णोद्भिद : हरितोद्भिदः, कवाप्य, कवकानि और सामुद्र आप्यकाः सहित आप्यकाः सम्मिलित है।

†**श्री वोडयार** : क्या वहां भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की शाखा वहां की वनस्पति का महत्व जानने के लिये वहां स्थापित की जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का उल्लेख कर रहे हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग केवल सर्वेक्षण करने के लिये दल भेज रहा है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार ने ये यात्रा दल भेजने से पहले मालम कर लिया है कि क्या ये पौधे भारत में पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं, और उनका अधिकतर सर्वेक्षण नहीं किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उनके प्राप्य होने पर भी अन्दमान तथा निकोबर द्वीप समूह का सर्वेक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इन द्वीपों का कोई पद्धतिबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

रामजिन्स की सोने की खानें

†***१४७६. श्री लक्ष्मय्या** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र के अनन्तरपुर जिले में रामजिन्स की सोने की खानें १९२० में क्यों छोड़ दी गई थी ;

(ख) क्या वहां खनन कार्य पुनः आरंभ करने की संभावना के बारे में निश्चित रूप से जानने के लिये सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि नहीं तो, क्या सरकार ऐसा करेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रखी जायेगी।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इन खानों को छोड़ने का कारण निश्चित रुप से मालूम कर लिया गया है।

†**श्री का० ला० श्रीमाली** : यह ठीक रूप से विदित नहीं है। १९०५ में अनन्तपुर सोने के क्षेत्र तथा खाने नाम का एक समवाय काम करने के लिये बनाया गया था। १९१० और १९२७ के बीच कुछ उत्पादन हुआ। परन्तु वह प्रयास क्यों छोड़ दिया गया, इसका ठीक पता नहीं है। हमने राज्य सरकार से पूछ ताछ की है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने इस क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** भूतत्वीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं। क्या इस संबंध में मंत्रालय को कोई जानकारी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस विशिष्ट क्षेत्र के बारे में मैं एकदम नहीं बता सकता।

एम० ई० एस० सैनिक सेवा इंजिनियरी सेवा कर्मचारी

†***१४७७. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन कर्मचारियों को जो युद्ध-काल में प्रतिरक्षा सेवाओं के विभिन्न इंजीनियरी कार्यों के लिये अपेक्षित टेकनीकल योग्यता रखने वाले या न रखने वाले भर्ती किये गये थे और जो आठ से दस वर्ष तक सेवा कर चुके हैं, आजकल एम० ई० एस० में स्थायी या अर्ध-स्थायी बनाने का विचार नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो, उनकी कितनी संख्या है ; और

(ग) उन्हें सामान्य सेवा सुविधाओं से वंचित करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) जी हां, ऐसे मामले विद्यमान हैं।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अधिक आयु होने या आशिक्षित होने के कारण संबंध व्यक्तियों को स्थायी या अर्ध-स्थायी बनाने पर विचार नहीं किया जा सकता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इन कर्मचारियों को जिन्हें पेंशन और उपदान से वंचित किया जाता है, कोई अनुकंपा अनुदान आदि जैसी कोई भुगतान दिया जाता है ?

†**श्री त्यागी :** उन्हें अस्थायी कर्मचारी माना जाता है और सामान्य नियम उन पर लागू होते हैं। उन्हें पेंशन या ऐसी किसी बात से वंचित नहीं किया जाता है, क्योंकि वास्तव में अस्थायी कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिलती।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी :** क्या सरकार उन्हें कोई उचित वैकल्पिक रोजगार देने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री त्यागी :** उन्हें काम से नहीं हटाया जा रहा है। वास्तव में, १९५३ में ६०८ ऐसे अधिकारी थे जो शिक्षा की दृष्टि से और अन्यथा योग्य नहीं थे और काम कर रहे थे। उन्हें स्थायी पदाली में रखने के लिये विभागीय परीक्षा करने का सुझाव देने वाले आदेश दिये गये थे। उनमें से बहुत थोड़ों ने विभागीय परीक्षा पास की है। यह परीक्षा टेकनीकल दृष्टि से विश्वविद्यालय की या अन्य परीक्षाओं के समान थी। वर्तमान नीति यह है कि जो व्यक्ति ठीक काम कर रहे हैं और जो दस वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं, उनके मामलों पर दूसरे बावजूद भी कि उन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं की है, उन्हे स्थायी पदाली में रखने पर विचार किया जायेगा।

कनाडा से प्राप्त सहायता

†***१४७९. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री २० फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में कनाडा से प्राप्त सहायता से कौन कौन सी परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये संभवत: कितना धन नियत किया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**:(क) और (ख). १९५६-५७ में भारत को सहायता देने के बारे में कनाडा सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी, नियतन की आशा में, कनाडा सरकार ने कुछ जल-विद्युत परियोजना के लिये ७० लाख डालर देना अस्थायी रुप से स्वीकार कर लिया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित नियतन इस कुन्दा जल-विद्युत परियोजना पर कैसे व्यय होगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : विद्युत भेजने की आखिर लाइन और परियोजना की भेजने व वितरण करने की लाइनों के लिये आवश्यक उपकरण के लिये दूसरा प्रयोग होगा। इसका प्रयोग मुख्यत: भेजने की व्यवस्था के उपकरण व सामान के लिये होगा।

अतिरिक्त शिविर-क्षेत्र

***१४८०. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** १७ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त शिविर-क्षेत्रों के उत्सर्जन के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : प्रश्न संख्या १५०८ के उत्तर में हवाला दिये गये ९९ शिविर-क्षेत्रों के बेचने के संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

१. तब से ४ शिविरि-क्षेत्रों को बेचा जा चुका है।

२. एक शिविरि क्षेत्र अतिरिक्त सूची से वापस ले लिया गया है।

३. उत्तर प्रदेश सरकार ने ५० शिविरि क्षेत्रों में रुची छोड़ दी है और यह नीलाम किये जा रहे हैं। नीलाम २१–८–५६ शुरू हो गया है।

४. जहां तक बाकी ४४ शिविर क्षेत्रों का संबंध है, अभी तक राज्य सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतिक्षा की जा रही है और इस संबंध में उन्हें लगातार स्मरण कराया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या राज्य सरकार को कोई समय बताया गया था कि कब तक वह अपनी इस संबंध में अंतिम सूचना देगी और क्या वह समय निकल चुका है और फिर भी इस बारे में इंतज़ार किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : वह तो कई मर्तबा निकल चुका है, और जैसा कि मैंने अभी कहा है, ५० के बारे में उन्होंने ख्याल छोड़ दिया है और ४४ के बारे में भी जल्दी ही फैसला कर लिया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : इस संबंध में अंतिम निर्णय की आशा देर से देर कब तक की जा सकती है ?

सरदार मजीठिया : यह तो राज्य सरकार बता सकेगी। मैं नहीं बता सकता हूं।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : उत्तर प्रदेश के नरेन्द्रनगर ज़िले में सेनाओं का स्थान बिल्कुल ख़ाली पड़ा है और वहां पर मकान बिगड़ रहे हैं। क्या राज्य सरकार को हिदायत दी जायेगी कि वहां पर किसी और को बसाया जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

सरदार मजीठिया : जब राज्य सरकार इस बारे में पहले फैसला कर लेगी, तो उस के बाद हम इस जमीन को नीलाम कर देंगे।

अल्प सूचना प्रश्न तथा ऊत्तर

राजस्थान में बाढ़

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. श्री कासलीवाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे राजस्थान में भारी और लगातार वर्षा होने के कारण खरीफ़ की सारी फसल नष्ट हो गई है।

(ख) क्या सारे राज्य में आवाष की स्थिति हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में खाद्यभाव को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां, । हां, कुछ भागों में कुछ क्षति पहुंची है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फिर भी मैं सभा को अंतिम सूचना दे दूं। १०-८-५६को भरतपुर, बंबई वयाना और बूपवास तहसीलों में भारी वर्षा होने के कारण लगभग ४० वर्ग मील के क्षेत्र में फसलों को क्षति पहूंची है। इससे २०,००० लोगों पर प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में खरीफ की फसल पूर्ण रुप में नष्ट हो गई है। राज्य सरकार ने फसलों, भरे हुये खाद्यान्न और मकानों की क्षति का अनुमान लगभग ५० लाख रुपये का लगा दिया है। इस क्षेत्र में चार आने जाने की सूचना मिली है। जिला प्रधिकारियों के दुरन्त खाद्य वस्त्र, औषधियों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं वितरण की अन्य क्षेत्रों से भरे हुये क्षेत्रों से तीन हजार व्यक्ति बचाये गये। डिवीज़नल आयुक्त और राजस्व मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को विदित है कि जुआर, जो पूर्वी राजस्थान का मुख्य भोजन है आज १७ रुपये प्रति मन और बाजरा जो पश्चिमी राजस्थान का मुख्य भोजन है, १५ रु० प्रति मन बिक रहा है। यदि हां, तो सरकार का विचार उन क्षेत्रों में कोई उचित दामों वाली दुकानें खोलने का है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हम जानते है कि ऐसी आपत्ति आने पर साधारणतया मुल्य बढ़ जाते हैं। यह ठीक हो सकता है कि मूल्य बढ़ गये हैं। हम सहायता देने को तैयार हैं और हमने दो केन्द्र खोल दिये हैं जहां गेहूं १४ रु० प्रति मन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा।

†**श्री गि० श० सिंह** : मंत्री महोदय ने भरतपुर के कुछ जलमग्न भागों का उल्लेख किया है। जिला प्रधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार कों क्या विशेष सहायता देगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : केन्द्रीय सरकार पर्याप्त मात्रा में बोरी सहित १४ रु० प्रति मन गेहूं देने को तैयार है। इसके अतिरिक्त, एक सहायता योजना की है जिसमें बहुत सी मदें हैं जैसे खाद्य का मुफत वितरण, खाद्य का रियायती दामों पर बिकना, जल संभरण, चारा मकानों की मरम्मत आदि सम्मिलित है। इसमें यदि व्यय २ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है, तो

---

†मूल अंग्रेजी में।

केन्द्रीय सरकार विष्करण सहायता के व्यय म, ५० प्रति देती है । यदि कुल व्यय २ करोड़ से अधिक होता है, तो केन्द्रीय सरकार दो करोड़ से अधिक धन का ७५ प्रतिशन देता है । यदि राज्य सरकार कोई अर्थोपाय पेशगी चाहती है, तो केन्द्रीय सरकार अर्थोपाय पेशगियां भी देती है । इस पर व्यय करने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । यह व्यय कर सकती है और फिर केन्द्रीय सरकार से उसका ५० प्रतिशत मांग सकती है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या चितोड जिला में, जहां गेहूं का भाव १९ रु० से २० रु० प्रति मन हो रहा है, उचित दामों वाकी दुकानें खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : आज कल राज्य सरकार मारवाड़ में उचित दामों वालीं दुकानें खोलना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया है । हम जयपुर और जोधपुर में और संचित स्टाक जमा कर रहे हैं। हां, यदि राज्य सरकार महसूस करती है कि वहां कोई उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता है तो हम उसके के लिये राज्य सरकार को गेहूं देंगे ।

बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ें

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा में असाधारण बाढ़का प्रभाव शाहाबाद (बिहार) और बलिया (उत्तर प्रदेश) के जिलों पर पड़ा है ।

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कितने लोग बेघर हो गये हैं ।

(ग) अनुमानत: कितने मूल्य की जदाई फसलें नष्ट हुई ।

(घ) कितने लोग और ढोर बह गये ।

(ङ) बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न और चारे के संभरण की क्या स्थिति है ; और

(च) राज्य और संघ सरकारों ने बाढ़ पीड़ितों को अब तक क्या सहायता दी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) इन दो जिलों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है परन्तु इस वर्ष शाहाबाद में जोर अधिक रहा है ।

(ख) कितने लोग बेघर हो गये हैं, यह पता नहीं है । बलिया जिले में लगभग २,००० झोपड़ियों और कच्चे मकानों और शाहाबाद जिले में लगभग ११० मकानों को क्षति पहुंची है ।

(ग) शाहाबाद—५ लाख रु० (लगभग)
बलिया—२२ लाख रु० (लगभग) ।

(घ) शाहबाद—शून्य ।
बलिया—व्यक्ति शून्य
ढोर ७

(ङ) पूर्णतया संतोषजनक

(च) **जिला शाहाबाद** : राज्य सरकार प्रति दिन लगभग २०,००० लोगों को निष्करण सहायता देती है । चिकित्सा प्रबंध भी कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जिला बलिया : राज्य सरकार निष्करण सहायता के लिये २०,००० रु० मंजूर किया हैं। बारह बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और लोगों को और जहां स्थान हो वहां उनके सामान को भी निकालने के लिये गावों की व्यवस्था की गई है।

अस्थायी झौंपड़ियां बनाने के लिये जी० सी० की चादरें तथा, अन्य सामान दिया गया है।

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि से बिहार को ५०,००० रु० और उत्तर प्रदेश को १ लाख रु० दिये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को २१,६०० टन चावल और १७,६०० टन गेहूं दिया है। भारत सरकार ने जुलाई में १९,००० टन गेहूं दिया है और ७०,०००टन गेहूं और भेजा जा रहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि इन वाढ़ग्रस्त क्षेत्रों मे खाद्यान्न के दाम विशेषतः शाहाबाद तथा बलिया जिला में हाल ही में दुगने हो गये है ; यदि एसा है तो इन स्थानो को बनारस तथा पटना से सीधा अनाज क्यों नहीं भेजा गया, विशेषता इस बात को सामने रखते हुये की माननीय मंत्री ने १७ अगस्त को यह भेद प्रकट किया गया था कि बनारस और पटना में बहुत बड़ी मात्रा जमा की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : मैंने राज्य मंत्री से स्वयं टेलिफोन पर बात चीत की है उन्होंने कहा कि परिस्थिति इतनी भयप्रद नहीं है तथा ज्यों ही उन्हें मालूम हुआ कि वहां पर सरकारी डिपो से अनाज भेजने की कोई आवश्यकता है तो ऐसा किया जायेगा। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, हमने राज्य सरकारों को अनाज दे दिया है। आंकड़े उपलब्ध कर दिये गये हैं तथा यदि अधिक आवश्यकता हुई तो हम उसे पूरा करने को तैयार है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार को विदित है कि खाद्दी तथा इन दो जिलों के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में अन्य स्थानों पर जमा किया गया समस्त अनाज खराब हो गया है तथा नष्ट हो गया है ? मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उस राज्य मंत्री या अधिकारी ने, जिसके साथ माननीय मंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की थी, उन क्षेत्रों में जाने का तथा वस्तुस्थिति का पता लगाने का कष्ट भी किया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं उन सब बातों को नहीं जानता। इस समय बिहार के गोदामों में दो प्रकार के अनाज हैं जिन्हें वह राज्य सरकार जमा रख रही है। जहां तक केन्द्रीय खाद्यान्न का संबंध है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई जमा किया गया अनाज खराब अथवा नष्ट नहीं हुआ है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मेरा प्रश्न विभिन्न है। मेरे प्रश्न का संबंध ग्रामीणों द्वारा खड्डियों में जमा किये हुये अनाज से है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं उसे भी लेता हूं। मुझे खाद्यान्न को पहुंची क्षति के बारे में विदित नहीं है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : एक औचित्य प्रश्न के हेतु में यह पूछना चाहता हूं कि हम कई मंत्रियों से यह शब्द सुनते आ रहे हैं कि उन्हें "विदित नहीं है"। मैं स्थिति को जानना चाहता हूं।

†**डा० लंका सुन्दरम** : स्थिति यही है कि उन्हें विदित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० प्र० जैन** : स्थिति यही है कि हमें विदित नहीं है कि किसानों के अनाज को कुछ क्षति पहुंची है और न ही मैंने इस बारे में कोई जांच की है। निस्सन्देह में इस बारे में जांच करूंगा। यदि और संभरण की आवश्यकता हुई तो हम उसे देने के लिये तैयार हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि हजारों घर, विशेषतया गावों में कच्चे घर नष्ट हो गये हैं। उन क्षेत्रों में यह रिवाज है कि उनका सारा अनाज, मुख्य रुप से जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के महीनों में, खड्डियों में जमा किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं।.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह खड्डी क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : खड्डी, भूमिगत संग्रहागार को कहते है। इन गोदामों को नष्ट किया गया है और वे निराश्रित है। अब क्योंकि बुवाई की ऋतु निकट आ रही है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार समय पर तथा काफी मात्रा में रबी बीज देने के लिये पर्याप्त तथा शीघ्रता से कार्यवाहियां करेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मुझे जो वास्तविक जानकारी मालूम थी वह मैं बता चुका हूं। हो सकता है कुछ अनाज नष्ट हो गया हो। यदि राज्य सरकारें हमसे रबी बीज की सहायता पाना चाहें तो हम अवश्य उनकी सहायता करेंगे।

†**श्री रा० ना० सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को ये सब चीजें दिखलाना चाहता हूं मालूम होता है कि उनको इन क्षेत्रों की स्थिति का पूरा पता नहीं है। इस संबंध में मैं ये तस्वीरें इत्यादि उनको दिखाना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वहां पर इस संबंध में कुछ प्रबन्ध किया जाय। अब मेरा प्रश्न यह है कि .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री रा० न० सिंह** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस सभा भवन में मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये फोटों तथा अन्य पुस्तकें क्यों लाते हैं ? यदि वे अपने विशिष्ट राज्य में जहां अत्याधिक बाढ़ आई और हर वर्ष आती अभिरुचित है तो वे वस्तुओं को मंत्रियों के पास पहिले क्यों नहीं भेजते ? प्रश्न काल, जिरह करने के लिये नहीं होता है। हम इस प्रयोजन से अल्प सूचना तथा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछते हैं। मंत्री न्यूनाधिक किसी विशिष्ट दल के नहीं बल्कि समस्त सदन के उत्तरदायी हैं। इन परिस्थितियों में यदि किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत मालूम हुई हो तो वह उस शिकायत के संबंध में मंत्रियों से अग्रिम पत्र व्यवहार करने का हकदार है। यदि वे इस सार्वजनिक स्वरूप भी हों कि उन पर सभा में ही विचार किया जाना चाहिये तो मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति दूंगा। इन सभी वस्तुओं का यहां लाने का क्या प्रयोजन है ? कुछ लोग यहां कपड़ा लाते हैं और उसे दिखाते है ; कुछ अन्य व्यक्ति फ़ोटो लाते हैं और दिखाते हैं। यह सब बाते बिल्कुल ग़लत हैं। यदि माननीय सदस्यों की वास्तव में अपने राज्यों तथा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अभिरुचि है तो यह सदन ही अकेली गोष्ठी नहीं है बाहर भी उनकी एक गोष्ठी है और वे माननीय मंत्रियों से पत्र व्यवहार कर सकते हैं और यदि उन्हें उत्तर प्राप्त न हो तब वे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो कुछ पहिले हो चुका हो उसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रा० न० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन क्षेत्रों के गल्ले के व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि हम को रेलवे की सुविधा दी जाय जिससे कि हम वहां के बाढ़-पीड़ितों को सस्ते भाव पर गल्ला दे सकें ? क्या इस विषय का कोई पत्र या तार वहां से आया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री अ० प्र० जैन : हमारे पास इस विषय का कोई तार और पत्र नहीं आया है। आम तौर से देखा गया कि जिस वक्त कहीं पर मुसीबत आती है, तो गल्ले के व्यापारी सस्ते भाव पर गल्ला देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जहां पर सूखा पड़ा या बहिया के लिये जरूरत पड़ी है, वहां हमने राज्य सरकारों से कहा और राज्य सरकारों ने उसके अनुसार कितनी ही जगहों पर—गोरखपुर और देवरिया आदि स्थानों में—फेयर-प्राइस शाप्स खोली हैं और यदि दूसरी जगह भी जरूरत होगी, तो वहां पर भी फेयर-प्राइस शाप्स खोली जायेंगी।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि सीतामढ़ी सब-डिविज़न में जिन स्थानों पर चुनाव में विरोधी दल के उम्मीदवारों की जीत हुई है, वहां आधिकारियों के द्वारा फेयरप्राइस शाप्स नहीं खोली गई हैं और जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है, वहां खोली गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हर एक सब-डिविज़न और ताल्लुके के बारे में इस प्रकार की इन्फार्मेशन देना कठिन है।

श्री रा० न० सिंह : मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार और प्रांतों के बारे में चर्चा की सुविधा दी गई है, उसी प्रकार पश्चीम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की स्थिति पर विचार करने के लिये भी दो घंटे का समय दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे, लेकिन आप को लोक-सभा को औपचारिक रूप से लिखना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एकीकरण तथा विकास निधि

†*१४५०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति द्वारा जो सिफारिश की गई थी, क्या उसके अनुसार एकीकरण तथा विकास निधि को भारत के राज्य बैंक के अन्तर्गत संस्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निधि की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस निधि में से किस सीमा तक और भिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्यय किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) भारत के राज्य बैंक द्वारा एक संविलय तथा विकास निधि, भारत का राज्य बैंक अधिनियम की धारा ३६ के निबंधनों के अन्तर्गत स्थापित की गई है, जिसके उपबंध अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार हैं।

(ख) राज्य बैंक द्वारा निधि के नाम २४.७५ लाख रुपये की रकम जमा की गई है जो कि राज्य बैंक की कुल निगमित पूंजी के ५५ प्रतिशत तक रक्षित बैंक के अंशधारण पर ३१ दिसम्बर १९५५ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष का लाभांश थी।

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५५ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष की अवधि में स्थापित शाखाओं को उपारोप्य हानि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। अभी तक निधि में से और कोई हानि या व्यय पूरा नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सेवायुक्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों का हटाया जाना

†*१४५१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवायुक्त कर्मचारियों को दीर्घ सेवा के बाद इस आधार पर हटाया जाता है कि " उनकी सेवाओं की और अधिक जरूरत नहीं है ";

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को हटाये जाने के कारण बताये जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो, कारण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) लागू नियमों के अधीन स्थल सेना में कनिष्ट आयुक्त अधिकारियों तथा अन्य सामान्य सैनिकों, नौ सेना में रेटिन्गस तथा वायु सेवा में एयरमैन को, या तो जब स्थापना में कमी की जाय या जब यह देखा जाय कि उनका प्रतिधारण संबंधित सेवा के हित में नहीं है, तो किसी भी समय उन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया जा सकता है कि उनकी सेवाएं और अधिक अपेक्षित नहीं है।

(ख) जी, हां ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां ऐसा करना लोक हित में न हो।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मद्यनिषेध

†*१४५३. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों का मद्यपान से प्रतिषेध करने के लिये सरकार ने कोई अनुदेश निर्गमित किये हैं या उसका नियम बनाने का कोई प्रस्तांव है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : ये अनुदेश निर्गमित किये गये हैं कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी या अर्ध सरकारी पार्टियों में और जहां संभव हो गैर सरकारी पार्टियों में भी मद्यसारिक पान से परहेज़ करना चाहिये। सेवा नियमों में इस प्रयोजन के लिये नियम बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

पुस्तकों का वितरण

†*१४६०. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय भारत में शिक्षा संबंधी विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न विषयों पर पुस्तकें बांटता है ;

(ख) यदि हां, तो यह वितरण किस आधार पर किया जाता है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में १९५५–५६ की अवधि मे कितनी संस्थाओं को पुस्तकें दी गई थीं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।[**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५३**]।

(ग) ४९।

---

†मूल अंग्रेजी में

बच्चों तथा स्त्रियों के कल्याण के लिए संस्थाएं

†*१४६६. { श्री च० श० चौधरी :
श्री श० व० ल० नरसिंहम् :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों तथा स्त्रियों के कल्याण कार्य में व्यस्त संस्थाओं के केन्द्रिय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान किए जाने के संबंध में निर्धारित शर्तें क्या हैं, और

(ख) इस संतुष्टि के लिये कि संस्थाओं का वस्तुतः अस्तित्व है और राशियों का उचित रूप से उपयोग किया जाता है, क्या व्यवस्था है ?

†शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५४]।

ओलीम्पिक खेलें

†*१४६७. श्री मु० इसलामुद्दीन : क्या शिक्षा मंत्री २५ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलीम्पिक संस्था से वित्तीय उपलक्षणाओं सहित विस्तृत प्रस्ताव सरकार को अब प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसका पर्यवेक्षण कर चुकी है और सहायता दे चुकी है ;

(ग) क्या सरकार ने सम्मिलित होने वाली टीमों के प्रशिक्षण के लिये नेशनल स्पोर्टस फ़ैडरेशन को भी सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

†शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) ओलीम्पिक खेलों के लिये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने तथा चुनने के लिये प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था करने के संबंध में इंडियन हाकी फ़ैड्रेशन को १९,५०० रुपये के अनुदान की मंजूरी दी गई है।

उड़ीसा के लिए इंजीनीयरिंग कॉलिज

†*१४६८. श्री संगण्णा : क्या शिक्षा मंत्री उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालिज के लिये २२ अगस्त, १९५५ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय में प्रस्तावित इंजीनियरिंग कालिज के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी अनुदान की मंजूरी दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी तक कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†*१४६९. **श्री मादिया गौडा** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रादेशिक भाषाओं (हिन्दी के अतिरिक्त) के विकास के लिये सरकार की कोई विस्तृत योजना है ;

(ख) यदि हां, तो विकास का मुख्य कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) १९५६–५७ के लिये तथा द्वितीय योजना की अवधि के लिये कितनी रकम बंटित की गई है या खर्च की जायेगी (राज्यवार) और विभिन्न भाषाओं के लिये पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ?

† **शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). जी हां, परन्तु योजना का ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

त्रिपुरा में भूमि विवाद

†*१४७२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंचनपुर (त्रिपुरा) में आदिम जातियों तथा स्वस्ती समिति के बीच भूमि विवादों का निबटारा किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं तो इस प्रकार के विलंब के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कई वर्षों से विवाद लम्बित है ; और

(घ) विवादों के निबटारे के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) कुछ व्यक्तिगत अपीलों को छोड़ कर, जिनकी सुनवाई अब हो रही है, विवादों का मुख्यत: निबटारा किया जा चुका है। आशा है कि मामले को अंतिम रूप देने के लिये सीमा स्तम्भ स्थापित करने का कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जायेगा।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) विवादों के निबटारे के विशिष्ट प्रयोजन से त्रिपुरा के ज़िलाधीश ने कई बार कंचनपुर की यात्रा की है और इस प्रयोजन के लिये सर्वेक्षण कर्मचारीगण भी प्रतिनियुक्त किये गये थे।

---

†**मूल** अंग्रेजी में।

रूपकुण्ड अवशेष

†*१४७४. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४२ के उत्तर के संबंध में उन लोक गीतों का पूर्ण पाठ लोक सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिनके द्वारा रुपकुण्ड में तीर्थ यात्रियों से होने वाली दुर्घटना पर प्रकाश पड़ता है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: लोक गीत के पूर्ण पाठ की प्रतिलिपि प्राप्त की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

नये स्टेडियमोंका निर्माण

†*१४७८. **श्री मो० दि० जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शारीरिक विनोद के लिये नया स्टेडियम बनाने के संबंध में देशवार एक विस्तृत योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). स्टेडियम के निर्माण के लिये राज्य सरकारों तथा खेलों की फेडरेशन को वित्तीय सहायता देने के संबंध में एक योजना है ।

केंद्रीय अभिकरण शाखा

†*१४८१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में केन्द्रीय अभिकरण शाखा पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) राज्य सरकारों से उनकी ओर से चलाये गये मुकदमों के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ग) क्या इस योजना में सभी राज्य भाग ले रहे हैं ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) केन्द्रीय अभिकरण शाखा पर व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

१९५४–५५	१,१२,२९०–५–३ रु०
१९५५–५६	१,१६,५३६–२–३ रु०
योग	२,२८,८२६–७–६ रु०

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त राशि इस प्रकार है :–

१९५४–५५	६४,३४९–२–० रुपये
१९५५–५६	६३,८८२–२–० रुपये
योग	१,२८,२३१–४–० रुपये

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) उत्तर नकरात्मक है।

भारत-पाकिस्तान सम्मेलन

*१४८२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
चौ० रघुबीर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराची में जून, १९५५ में हुये भारत-पाकीस्तान सम्मेलन में किये गये निश्चयों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) जो मुख्य निश्चय कार्यान्वित किये जा चुके हैं उनका संबंध इन बातों से है :—

(१) राजस्व और जमा रकमों की वापसी के लिये अन्य (गैर-सरकारी) व्यक्तियों के विभाजन पूर्व के दावों का निबटारा ;

(२) प्रान्तीय नौकरियों के भारत सचिव के उन भूतपूर्व अफसरों की भविष्य-निधियों की रकमों का समायोजन जिन्होंने दूसरे देश में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की; और

(३) पाकिस्तान के उस दावे की पूर्ति, जो चलन से हटाने और रिजर्व बैंक द्वारा ३० जून १९५१ तक वापस लिये गये भारतीय सिक्कों को लौटाने के संबंध में किया गया था।

प्रबंध की केन्द्रीय संस्था

†*१४८३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या शिक्षा मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रबंध संस्था की स्थापना के बारे में निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बीमा समवाय

†*१४८४. **श्री गिडवानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारत का एसे बीमा समवायों के बीमा पत्रधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है जो कि दिवालिया पाये गये हैं अथवा जो दिवालियेपन की स्थिति में हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या इसके लिये कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) से (ग). जिन बीमा समवायों की आर्थिक स्थिति संदेहास्पद है, उनका मूल्यांकन करने के लिये कार्यवाही आरंभ की गई है । जीवन बीमा निगम बनने के बाद वह इन मूल्यांकनों का अध्ययन करेगा और यदि इन मूल्यांकनों से दिवालिया पन का पता लगेगा, तो वह दिवालिया समवायों के बीमा संविदों को घटाने के लिये अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार को विचारार्थ योजनायें प्रस्तुत करेगा ।

सरकार ने यह आश्वासन पहले ही दे दिया है कि ऐसे मामलों में यथा शक्य उदारता से काम लिया जायेगा ।

चलते फिरते पुस्तकालय और फिल्म यूनिट

†*१४८५. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा अब तक खोले गये पुस्तकालयों और फिल्म यूनिटों की संख्या देशवार कितनी है ; और

(ख) १९५६–५७ में कितने खोले जायेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

भारतीय वनस्पती

†*१४८६. **श्री वोडयार** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण ने भारतीय वनस्पति के संबंध में पुस्तकें प्रकाशन करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण ने मैसूर राज्य के मलनाद नामक स्थान की उत्तम बनस्पति का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया है और उसके परिणाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं, श्रीमान, किन्तु शीघ्रताशीघ्र ऐसा करने की आशा करता है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय

†*१४८७. **श्री दा० च० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये एक भवन निर्माण करने के संबंध में अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ३०–६–१९५६ तक ७,७६,४२३ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मिस्त्र के साथ सांस्कृतिक संबंध

†*१४८८. { **सरदार अकरपुरी :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिस्त्र के साथ निकटतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिये सरकार ने १९५५–५६ में क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५५–५६ में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है किन्तु मिस्त्र के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना भी उस कार्यवाही में आता है जो विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिये की जाती है ।

विदेशों से सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

†*१४८९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से किन्ही सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों और सद्भावना मिशनों को १९५६–५७ में भारत की यात्रा करने के लिये आमंत्रित किया है ?

(ख) यदि हां, तो किन देशों से ; और

(ग) क्या उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिये हैं;

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अब तक कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय भारत-विद्या संस्था

†१०१३. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भारत-विद्या संस्था की स्थापना की योजना किस अवस्था में है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत-विद्या विषेशज्ञों की एक उप-समिति एक संस्था की स्थापना के लिये एक योजना तैयार कर रही है ।

माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाएं

†१०१४. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधायें देने के लिये १९५५–५६ में क्या कोई अनुदान दिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १,२०,९०० रुपये ।

त्रिपुरा सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†१०१५. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या सरकार का उनकी और विशेषकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अनुसूचित जातियां ८७३; अनुसूचित आदिम जातियां १४३५।

(ख) यह मामला त्रिपुरा सरकार के विचाराधीन है।

आसाम में कल्याण विस्तार परियोजनाएं

†१०१६. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में आसाम में कितनी कल्याण विस्तार परियोजनायें खोली जायेंगी ; और

(ख) ये परियोजनायें किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५१।

(ख) योजनायें किन स्थानों पर खोली जायेंगी, इस बात का निश्चय अभी नहीं किया गया है।

बागान उद्योग

†१०१७. **श्री वे० प० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बागान उद्योग में अनुमानतया कितना धन लगाया गया है ;

(ख) लगाये गये इस धन में विदेशी पूंजी कितनी है ;

(ग) राज्य के बागान उद्योग से प्रथम पंचवर्षीय योजना के वर्षों में (१) विदेशी, और (२) भारतीय पूंजी को कुल कितना लाभ हुआ है ; और

(घ) उक्त अवधि में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बागान उद्योग से विदेशों को कितना धन भेजने की अनुमति दी गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). सरकार को खेद है कि यह जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है।

त्रावणकोर-कोचीन के पुलिस कर्मचारी

†१०१८. **श्री वे० प० नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन में आम तौर पर हेड कान्स्टेबलों और कान्स्टेबलों को सरकारी क्वार्टर नहीं दिये जाते;

(ख) क्या उन्हें कम किराये पर क्वार्टर देने के बारे में सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी नही। कुल ११५५ हेड कान्स्टेबलों और ८०७९ कान्स्टेबलों में से ४६९ हेड कान्स्टेबलों और ३९२० कान्स्टेबलों को पहले ही सरकारी क्वार्टर दिये जा चुके हैं और शेष को क्वार्टर देने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) पुलिस के कर्मचारियों को मकान देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में ८० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। स्थान चुनने के लिये स्थान चुनाव समितियां गठित की गई हैं और कुछ स्थानों में भूमि पहले ही अजित कर ली गई है। राज्य के सभी पुलिस कर्मचारियों को निःशुल्क आवास प्रदान करने कि योजना है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में सिविल सप्लाइज विभाग

†**१०१९. श्री वे० प० नायर**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री त्रावनकोर कोचीन राज्य के सिविल सप्लाइज़ विभाग के ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के, प्रशासन के प्रतिवेदन के पृष्ट ६ पर दिये गये "११ छटनी" के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छटनी में लाये गये कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के कितने लोगों को तब से सरकारी सेवा में पुनः नियुक्त किया गया है ; और

(ग) इस समय कितने बेरोज़गार हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) छटनी में लाये गये कर्मचारियों की वर्गवार कुल संख्या इस प्रकार है :—

स्थान	संख्या
सिविल सप्लाइज़ का उप-आयुक्त	१
सिविल सप्लाइज़ के उप-आयुक्त का वित्त सहायक	१
सिविलि सप्लाइज़ के उप-आयुक्त का प्रबंधक अधिकारी	१
ग्राम पदाधिकारी	२५०
ग्राम सहायक	२८
खाद्यान्न क्रय तहसीलदार	३५
तालुक सप्लाइ अधिकारी	३४
क्रय और राशनिंग सहायक अधिकारी	३८
क्लर्क क्षेत्र अधिकारी, लेखापाल, खाद्यान्न क्रय सहायक और विभाग अधिकारी आदि	४२६
टाइपिस्ट	८
चपरासी	२२१

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) सभी कर्मचारियों को अन्य विभागों में वैकल्पिक पदों पर नियुक्त किया गया था।

(ग) कोई नहीं।

विदेशों में भेजे गये सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

†१०२०. **श्री रामकृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९५५ में कितने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों ने विदेशों की यात्रा की तथा उन देशों के नाम, प्रतिनिधि मंडलवार क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ५ जो इस प्रकार हैं :—

(१) भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल, चीन;

(२) भारतीय फिल्म प्रतिनिधि मंडल, चीन;

(३) छात्र-शिक्षक प्रतिनिधि मंडल, चीन;

(४) भारतीय खेल कूद टीम प्रतिनिधि मंडल, अफगानिस्तान; और

(५) मनीला में आयोजित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्रथम प्रादेशिक संगीत सम्मेलन में भाग लेने के लिये फिलिपीन को भेजा गया भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल।

कीटशास्त्रीय सर्वेक्षण

१०२१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट जान्स कालेज, आगरा के प्रोफेसर एम० एस० मणि के नेतृत्व में कुछ वर्षों से हिमालय के विभिन्न भागों में हिम-पंक्ति में रहने वाले पक्षियों और कीटाणुओं का अध्ययन एवं संग्रह करने के उद्देश्य से अभियान दल जाते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन दलों ने अब तक हिमालय के किन-किन क्षेत्रों में अभियान और गवेषणा कार्य किया है ;

(ग) उन्होंने अपने कार्य में कहां तक सफलता प्राप्त की है ; और

(घ) उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय व अन्य प्रकार की क्या सहायता दी गयी है अथवा दी जा रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० लाठ श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) हिमालय की जिन श्रेणियों का अभियान-दलों द्वारा सर्वेक्षण किया गया उन में (१) ग्रेट परी पंजल (१६,००० फीट), (२) माऊन्ट बैहेलीजोत (२१,५०० फीट), (३) माऊन्ट गफान क्षेकवौन (१९,००० फीट) कुल्टीनल तथा सेरागु ग्लेसियर्स (१२,०००–१८,००० फीट), (५) पुराना कोकसरनाल में सोनापत्नी ग्लेसियर्स, हमता की चोटी (१७,००० फीट), सोलांग की घाटी, इत्यादि सम्मिलित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) ये अभियान दल सबसे ऊंची चोटियों पर विशेषतया हिमालय की वृक्ष सीमा से दूर पाये जाने वाले कीटाणुओं के वर्गीकरण जैविकी [1] पारिस्थिकी [2] समायोजन [3] जीव-भूवृत जन्म तथा विकास पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से संगठित किये गये थे। इन दलों ने कीटाणुओं की अनेकों दुर्लभ तथा नई जातियों के १५,००० से भी अधिक नमूने एकत्रित किये। कीटाणुओं के नमूने एकत्रित करने के अतिरिक्त इन दलों ने उन की आदतें, जीवन-इतिहास, समायोजन, वितरण तथा उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जिन में वे बढ़ते हैं। ऊंची चोटियों पर बढ़ने वाले जीवों के विशेष गुणों का भी इन दलों ने अध्ययन किया।

(घ) १९५४ में भारत सरकार ने पहले अभियान-दल के संभाव्य व्यय के लिये २,००० रुपये का अनुदान भी स्वीकार किया था। पंजाब सरकार ने भी अभियान दल को सीमा-कर से मुक्त कर कुछ सुविधायें प्रदान कीं।

स्वयंसेवक शिक्षा संस्था

†१०२२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली स्वयंसेवक शिक्षा संस्थाओं और संगठनों की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को उन की कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और क्या वह उन की जांच करती है ;

(ग) क्या किसी कपट या अनुदान का अन्य कामों में उपयोग करने का पता लगा है ; और

(घ) क्या इनमें से किसी संस्था ने जनता से अंशदान द्वारा कुल बजट का १५ प्रतिशत भाग एकत्र किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि मे, २७३ स्वयं सेवक शिक्षा संस्थाओं। संगठनों ने सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त की। उन के नाम सभा-पटल पर रखी गई सूची में दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५५**]

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, केवल एक मामले में। सीतागढ़ कृषि संबंधी बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, हज़ारीबाग़, बिहार को इमारत बनाने और उसके सामान के लिये ३६,१२० रुपये दिये गये थे। संस्था ने सामान पर १२,२७७ रुपये खर्च किये और शेष धन कर्मचारियों को रक्षित निधि देने, मुर्गी पालन आदि में लगा दिया। राज्य सरकार ने संस्था के आचार्य से कहा है कि इस अनुदान के लेखे से खर्च की वे मदें निकाल दी जायें जिन के लिये यह अनुदान नहीं दिया गया था और वह रकम इमारत और सामान पर व्यय की जाये। आचार्य ने लिखित रुप में इस का आश्वासन दे दिया है। इसकी जांच आगामी लेखा परीक्षा के समय राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

घ) जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है।

शारीरिक शिक्षा

†१०२३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारीरिक शक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी संस्थाओं (राज्यवार) ने अब लक सहायता प्राप्त की है।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : पिछले तीन वर्षों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५६**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Biology
[2] Ecology
[3] Zoo Geography

अन्दमान में समाज कल्याण

†१०२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अन्दमान और निकोबार द्वीपों में समाज कल्याण केंद्रों द्वारा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्दमान और निकोबार द्वीपों के लिये ऐसी कोई योजना नहीं है।

हिन्दी का प्रचार

†१०२५. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ और १९५५–५६ में हिन्दी प्रचार के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना व्यय किया ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५४–५५ और १९५५–५६ में हिन्दी चार के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्रमश: ५,३६,३३२ रुपये और ६,९७,८८६ रुपये व्यय किये।

कच्छ में मद्य-निषेध

†१०२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से जुलाई, १९५६ तक की अवधी में कच्छ में मध्य निषेध-आदेश के उल्लंघन के अपराध मे कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: जनवरी १९५६ से अब तक मद्य-निषेध आदेश के उल्लंघन के अपराध में ८० लोगों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये हैं।

लाहौल और स्पिति

†१०२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल और स्पिति क्षेत्रों के विकास के लिये १९५५–५६ में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ; और

(ख) उस वर्ष विकास योजनाओं पर कुल कितनी रकम खर्च की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) योजनाओं के निम्नलिखित शीर्षों के अधीन लाहौल और स्पिति के विकास के लिये १९५५–५६ में पंजाब सरकार को ५.७७ लाख रुपयों का केन्द्रीय सहायतानुदान दिया गया था :—शिक्षा, कृषि, वन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, सिंचाई, सहकारिता, सड़कें आदि।

(ख) ५.१६ लाख रुपये।

पिछले आम चुनावों में अनर्हित उम्मीदवार

†१०२८. **श्री भीखा भाई** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले आम चुनावों में अनर्हित घोषित किये गये उम्मीदवारों की संख्या राज्यवार कितनी है ;

---

†मल अंग्रेजी में।

(ख) राजस्थान में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जो (१) निर्वाचन-व्यय का ब्यौरा न देने के कारण, और (२) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हित ठहराये गये थे ; और

(ग) उक्त (१) मद के अधीन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में ऐसे उम्मीदवारों के क्या नाम हैं ?

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास): जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

समाज शिक्षण

†१०२९. **श्री राम कृष्ण :**
चौ० रघुवीर सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जिलेवार अब तक स्वीकृत किये गये जिला समाज शिक्षा प्रबंधकों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) अब तक राज्यवार स्वीकृत किये गये समाज शिक्षा के उप-सहायक निदेशकों की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५७**]

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

†१०३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें बताया गया हो कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिये युद्धोत्तर पुनर्निमाण निधि में से पंजाब को कुल कितनी रकम दी गई थी ;

(ख) ३१ मार्च, १९५६ तक पंजाब में कितनी रकम खर्च की गई और उस दिन अंतिम शेष क्या था ;

(ग) १९५५–५६ में व्यय का समय वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) १९५६–५७ के प्रस्तावित व्यय की रुप रेखा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५८**]

अस्पृश्यता

†१०३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने ही कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के लागू होने के बाद, अस्पृश्यता के व्यवहार के बारे में अनुसूचित जाति आयुक्त और पंजाब के प्रादेशिक आयुक्त को कितनी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५९**]

सऊदी अरब के शाह के उपहार

१०३२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरब के शाह ने भारतीय पदाधिकारियों और केन्द्र तथा राज्य के मंत्रियों को कितनी वस्तुयें भेंट की थीं ; और

(ख) कितने पदाधिकारियों और मंत्रियों ने भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार इन उपहारों को भारत सरकार को लौटा दिया है, कितने व्यक्ति अब भी इन्हें अपने पास ही रखे हुये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) . इस सूचना को प्रकट करना लोक-हितकारी नहीं होगा।

निषिद्ध माल

†१०३३. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में पंजाब में भूमि सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकडे गये निषिद्ध माल का मूल्य कितना था ;

(ख) यह माल किस प्रकार का था ;

(ग) इस समय में इस माल का निबटारा किस प्रकार किया गया है ;

(घ) उस में से कितना माल गोदाम में पड़ा हुआ है ; और

(ड़) बेचे गये माल का मूल्य कितना है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) और (ख). १९५५–५६ में पंजाब के भूमि सीमा शुल्क विभाग द्वारा ३,१८,०३७ रुपये का निषिद्ध माल पकड़ा गया था, जिसमें सोना, चांदी, ज़ेवर, मुद्रा, कपड़ा तिल्ला, पशु, घड़ियां, सेंधा नमक गाड़ियां और विविध अन्य वस्तुयें थी।

(ग) जब्त किया माल या तो छुड़ाने का जुर्माना देने पर संबंधित व्यक्तियों को दे दिया गया या ऐसा न होने पर नीलाम कर दिया गया था। जब्त किये गये सोने और चांदी को सरकारी टकसाल में भेज दिया गया है।

(घ) २,५०,११४ रुपये का माल अभी सीमा शुल्क विभाग के पास पड़ा हुआ है।

(ङ) बेचे गये माल की कीमत ६७,९२३ रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†१०३५. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४–५५ में पंजाब और पेप्सू में तम्बाकू उत्पादन शुल्क द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व में कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नारी कल्याण संगठन

†१०३६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से अब तक सरकार ने देश के कितने नारी कल्याण संगठनों की सहायता की है; और किस हद तक ;

(ख) उन में से कितने संगठन ग्रामीण क्षेत्रोमें काम करते हैं और इस काम के लिये कुल कितनी रकम दी गई; और

(ग) विभिन्न प्रकार का कल्याण कार्य करने के लिये अब तक कितनी ग्रामीण स्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्वाचक नामावलि

†१०३७. **श्री साधन गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और उसके उप-नगरों के लिये नई निर्वाचक नामावलियां तैयार की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये नामावलियां कौन सी तारीख से प्रवर्तित होंगी; और

(ग) निर्वाचक नामावलियों को किस प्रकार अद्यतन बनाया गया है ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) समस्त पश्चिमी बंगाल के लिये संशोधित निर्वाचक नामावलियां तैयार कर ली गई हैं और १० जुलाई १९५६ को उन का प्रारूप प्रकाशित किया जा चुका है ताकि उन पर यदि कोइ दावा अथवा आपत्ति हो तो ज्ञात हो सके ।

(ख) नई नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद प्रवर्तित होंगी और उन के सितम्बर १९५६ में प्रकाशित होने की आशा है ।

(ग) निर्वाचक नामावलियां वर्तमान नियमों के अनुसार अद्यतन बनाई गई हैं ।

मनीपुर की अदालतों में दीवानी मुकदमें

†१०३८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायिक आयुक्त, मनीपुर के जनवरी १९५५ के इस आदेश के बाद कि वहां के उपायुक्त और मुख्यायुक्त द्वारा मनीपुर के आदिम जाति लोगों के दीवानी मुकदमों की सुनवाई करना शक्ति परस्तात् है, मनीपुर की आदालतों में ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उक्त विचाराधीन मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिये उचित न्यायालय बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). १ मार्च १९५६ से मनीपुर न्यायालय अधिनियम, १९५५ लागू हो चुका है और उसमें निर्धारित किये गये उपयुक्त न्यायालयों में आदिम जाति क्षेत्रों के दीवानी मुकदमें हो सकते हैं। अतः उपायुक्त और मुख्यायुक्त के पास ऐसे कोई मुकदमे विचाराधीन नहीं हैं।

मनीपुर में नालीदार लोहे की चद्दरों का भेजा जाना

†**१०३९. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नालीदार लोहे की चद्दरें प्राप्त न होने के कारण और वर्षा के कारण मनीपुर के बहुत से सरकारी और गैर-सरकारी मकानों को, जो नये बनाये गये थे, नुकसान पहुंचा हैं ;

(ख) मनीपुर में ऐसी चद्दरों के आयात न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन चद्दरों को प्राप्त करने का कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ये चद्दरें मनीपुर कब तक भेज सकेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) छत डालने के सामान के अभाव के कारण मनीपुर की कुछ इमारतें पूरी नहीं की जा सकी थीं। इस के फलस्वरूप कुछ इमारतों के लकड़ी के ढांचे वर्षा से कुछ खराब हो गये हैं, किन्तु यह कहना सत्य नहीं है कि उन को भारी नुकसान पहुंचा है ;

(ख) लोहे की नालीदार चद्दरें मनीपुर में उपलब्ध न होने के कारण ये हैं :—

(१) उत्पादक कम्पनियों द्वारा संभरण में विलंब।

(२) रेलवे के डिब्बों की कमी।

(३) नागा पहाडियों में गड़बड़।

(४) चट्टान खिसक जाने के कारण दीमापुर इम्फाल सड़क का बंद हो जाना।

(ग) और (घ). मनीपुर के लिये ऐसी चद्दरें प्राप्त करने के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और लगभग १०० टन चद्दरें दीमापुर में पड़ी हुई हैं। ज्योंही सड़क यातायात पुनः जारी होगी, ये भेज दी जायेंगी।

त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जाति के छात्र

†**१०४०. श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के अनुसूचित जातियों के छात्रों को गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने पर ट्यूशन फीस देनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय सारे त्रिपुरा राज्य में गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे अनुसूचित जातियों के छात्र कितने हैं ;

---

†मूल अंग्रजी में।

(ग) क्या उन छात्रों ने ऐसा कोई अभ्यावेदन किया है कि उन स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के जरिये सरकार से उन्हें ट्यूशन फीस दिलायी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक उस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ५०० ।

(ग) जी हां ।

(घ) गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों की ट्यूशन और परीक्षा फीस देने तथा उन्हें पुस्तक अनुदान छात्र वृत्तियां देने के लिये चालू वर्ष के आय-व्ययक में २४,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

भारतीय विमान बल

†**१०४१. श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान बल में असैनिक दूसरी श्रेणी के राजपत्र घोषित पदाधिकारियों के पद पर पदोन्नति के लिये आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ;

(ख) क्या भारतीय विमान बल में कोई नान-मैट्रिक असैनिक दूसरी श्रेणी क राजपत्र घोषित पदाधिकारी हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने ;

(घ) क्या नान-मैट्रिक भारतीय विमान बल के श्रेणी ३ असैनिक अनुसचिवीय कर्मचारी के पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(ङ) यदि हां, तो भारतीय विमान बल के श्रेणी ३ के असैनिक अनुसचिवीय कर्मचारियों में से कितने नान-मैट्रिक हैं ;

(च) क्या भारतीय विमान बल के इन नान-मैट्रिक श्रेणी ३ के असैनिक अनुसचिवीय कर्मचारियों में से किसी को स्थायी बनाया गया है ; और

(छ) यदि हां, तो कितने ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री महावीर त्यागी)** : (क) अस्थायी कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री निम्न श्रेणियों में स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी व्यक्तियों के लिये कोई अर्हतायें नही रखी गयी हैं । उन्हें उनके काम और अनुभव को देख कर पदोन्नति दी जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) हां, परन्तु इस शर्त पर कि १–१–४९ को उनकी तीन साल की अविरत सेवा पूरी हुई हो और उन्हें सेवा में जारी रखने के योग्य समझा गया हो ।

(ङ) २९ ।

(च) हां ।

(छ) ३ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीयों के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां

†१०४२. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सरकारों द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियों के लिये कितने और कौन-कौन से छात्र (राज्यवार) चुने गये हैं ; और

(ख) उनकी पढ़ाई की अवधि कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १३ व्यक्ति चुने गये थे जिनमें से ३ छात्र हैं। अन्य जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६०**]

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड क कर्मचारी

†१०४३. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में या उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे कोई कर्मचारी, आय-कर विभाग के कर्मचारियों को छोडकर हैं, जिन्होंने आय-कर विभाग की विभिन्न विभागीय परीक्षायें पास की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें आय-कर विभाग में उचित श्रेणियों में नियुक्त किया गया है या नियुक्त करने का विचार है, जिसके लिये उन्होंने परीक्षायें पास की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जहां तक संभव है, योग्यता प्राप्त व्यक्ति उन पदों पर नियुक्त किये जा रहे हैं जिनके लिये उन्होंने विभागीय परीक्षायें पास की हैं।

एम० बी० बी० कालेज, अगरतला

†१०४४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अगरतला के एम० बी० बी० कालेज में इस वर्ष से तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिये रात की कक्षायें शुरु की गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो वे कब से शुरु की जायेंगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी निश्चय नहीं हुआ है।

त्रिपुरा में बाढ़ सहायता

†१०४५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा के राज्य कर्मचारियों की बाढ़ सहायता की मांग पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां।

(ख) अलग नगद सहायता की मांग स्वीकार नहीं की जा सकी थी क्योंकि राज्य के कर्मचारी, अन्य लोगों के साथ, राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गयी निःशुल्क सहायता से लाभ उठा सकते थे।

त्रिपुरा की खाद्य समन्वय समिति

†**१०४६. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की खाद्य समन्वय समिति ने भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की ओर ध्यान दिलाते हुये मुख्य-आयुक्त के पास कई अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) मुख्य-आयुक्त, त्रिपुरा को खाद्य समन्वय-समिति से केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) जो शिकायतें की गयी हैं वे इस प्रकार की हैं : केवल एकही पक्ष को धान कूटने के लिये दिया जाना, जिन लोगों को बाढ़ सहायता के तौर पर नगद धन या निःशुल्क चावल दिया गया है उनके नामों का प्रकाशित न किया जाना, गैर-सरकारी चावल का सरकारी गोदाम में आना, और बाढ़ के बाद ऊंची दरों पर परिवहन भाड़ा न दिया जाना। उपर्युक्त शिकायतों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि बाढ़ के बाद केवल एक ही मिल काम कर रही थी और चावल की अविलम्ब आवश्यकता होने के कारण तथा गीले धान को नष्ट होने से बचाने के लिये उसकी भी कुटाई जरूरी होने के कारण एक ही मिल को धान दिया जाना अनिवार्य था। जिन लोगों को बाढ़ सहायता के रूप में नगद धन या निःशुल्क चावल दिया गया था उनके नाम प्रकाशित करना संभव नहीं था क्योंकि उनकी संख्या २ लाख है। सरकारी गोदाम में गैर-सरकारी चावल के आने के सम्बन्ध में शिकायत की जांच-पड़ताल हो रही है। परिवहन के लिए ऊंची दरों पर भाडा केवल उसी अवधि में दिया गया था जब कि सड़कें टूटी हुई थीं।

त्रिपुरा में बाढ़

†**१०४७. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में हाल की बाढ के बाद कितने लोगों ने वित्तीय सहायता के लिये अब तक आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) कितने लोगों को वह सहायता मिली है ; और

(ग) पीड़ित व्यक्ति को अधिक से अधिक कितनी और कम से कम कितनी सहायता मिली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ९,५३६।

(ख) ४,५०३।

(ग) वस्तुओं के रूप में दी गयी अन्य सहायता के अतिरिक्त, अधिकतम ५० रुपये और न्यूनतम ५ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

त्रिपुरा में कृषि सम्बन्धी ऋण

†१०४८. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में हाल की बाढ़ के बाद कितने किसानों ने कृषि सम्बन्धी ऋण के लिये आवेदन पत्र दिये थे;

(ख) कितने किसानों को वह ऋण मिला है; और

(ग) अधिकतम और न्यूनतम कितना ऋण मंजूर किया गया है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ५,७५८ ।

(ख) ७१९ ।

(ग) अधिकतम १,००० रुपये और न्यूनतम ५० रुपये ।

खनिज विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण

†१०४९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६–५७ में विस्तृत खनिज विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये पंजाब और पेप्सू के कौन कौन से जिले प्रस्थापित कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देनेवाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६१**]

विज्ञान मंदिर

†१०५०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में पंजाब और पेप्सू में कितने विज्ञान मंदिर शुरू किये जायेंगे; और

(ख) वे किन किन जगहों पर शुरू किये जायेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). पंजाब और पेप्सू में विज्ञान मंदिरों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जनता कालेज

†१०५१. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ में जनता कालेज चलाने के लिये अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ;

(ख) इन अनुदानों से किन किन कालेजों को लाभ हुआ है ; और

(ग) उस अवधि में इन कालेजों में कितने छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५५–५६ में ७,९८,२२२ रुपये, १९५६–५७ में अब तक कुछ नहीं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आय-कर अनुसंधान आयोग

† १०५२. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अनुसंधान आयोग ने वर्ष १९५५-५६ में कुल कितने मामले निबटाये हैं ;

(ख) उनमें से कितने मामलों का फैसला किया गया है ;

(ग) कितने मामले ऐसे हैं जिनके बार में अभी तक केवल जांच ही की गयी है ; और

(घ) इस संबंध में कुल कितना धन वसूल किया जाना था ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** :

(क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ७।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खनिज

†१०५३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोहिन्दरगढ (पेप्सू) में अभी हाल में कुछ नये खनिजों का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या विस्तार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). पेप्सू के मोहिन्दरगढ जिले में किन्हीं नये खनिजों का पता नहीं लगा है।

संघ लोक सेवा आयोग

†१०५४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भर्ती के लिये जिन उम्मीदवारों का इन्टरव्यू किया गया था या जिन की परीक्षा ली गयी थी उन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने कुल कितना यात्रा भत्ता दिया है ;

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विदेश से आये उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दिया गया है और इस प्रकार कुल कितना धन दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) यात्रा खर्च के लिये आयोग ने ३,२५,५६८ रुपये दिये हैं।

(ख) ३,९३४।

(ग) भारत के बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को केवल भारत की सीमा के अंदर की गयी यात्रा का खर्च दिया जाना है। इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये ऐसे उम्मीदवारों की संख्या और उन्हें दिये गये खर्च की धनराशि इस प्रकार ऊपर दिये गये आंकड़ों में शामिल है।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†१०५५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :
श्री गिडवानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६–५७ में पुनर्वास वित्त प्रशासन के कितने कर्मचारियों को अब तक छंटनी में लाया गया है ;

(ख) अन्य सरकारी विभागों में कितने व्यक्तियों की नियुक्ती हो गयी है ; और

(ग) उसी अवधि में कितने नये व्यक्ति भरती किये गये हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६३**]

क्रिकेट कोचिंग स्कूल

†१०५६. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल कूद की अखिल भारतीय परिषद ने अभी हाल में हुई अपनी बैठक में देश में एक क्रिकेट कोचिंग स्कूल स्थापित करने की स्वीकृति दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूल का स्थान निश्चित किया जा चुका है ;

(ग) क्या और ऐसे स्कूल स्थापित करने की प्रस्थापना है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या विस्तार हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आदिम जाती क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

†**१०५७. श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४–५५ और १९५५–५६ में आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों में कुल कितने आश्रम स्कूल खोले गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

कैंटीन

†**१०५८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर "कोई लाभ नहीं" के आधार पर नयी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपयोग के लिये कैंटीन खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कैंटीन हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सचमुच कुछ लाभ कमाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इकट्ठी की गयी धनराशि कितनी है और इसे किस प्रकार खर्च करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) २१।

(ग) और (घ). सामान्यतया लाभ कोई नहीं कमाया जा रहा है। कैन्टीन को चलाने पर जो खर्च होता है उसे पूरा करने के बाद यदि कुछ अतिरिक्त धन बच जाता है तो वह विद्यमान सुविधाओं को सुधारने पर खर्च किया जाता है जैसे अधिक अच्छी सामग्री की व्यवस्था करना, खाद्यान्न की किस्म में सुधार करना और उसके मूल्य में कमी करना।

भारतीय प्रशासन सेवा आपात भरती

†**१०५९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासन सेवा (आपात भरती) के लिये जितने पदों की घोषणा की गई है, क्या उस में वृद्धि करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : अगले पांच वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों को ठीक ठीक कितने ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता होगी, यह मालूम किया जा रहा है और विशेष भरती योजना के अधीन नियुक्तियां करने से पहले यह ज्ञात हो जायेगा। यह करना अभी संभव नहीं है कि वास्तविक आवश्यकता घोषित की गई अनुमानित संख्या से अधिक होगी या कम होगी।

बोनस अंश

†**१०६०. श्री ला० ना० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस अंशों पर कर लगाने से अब तक कितनी राशि इकट्ठी की गई है ; और

(ख) ऐसे करारोपण से बोनस अंशों के विनियोजन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: (क) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इस के प्राप्त होने पर विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) संभवत: "बोनस अंशों के विनियोजन" से माननीय सदस्य का अभिप्राय कंपनियों द्वारा संचित लाभों में से बोनस अंश जारी करना है। यदि ऐसा है, तो चूंकि अधिकार पहली बार वित्त अधिनियम, १९५६ के द्वारा, जो १-४-१९५६ को लागू हुआ था, लगाया गया था, इस लिये अभी कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिस के आधार पर यह कहा जा सके कि ऐसे बोनस अंश जारी करने पर इस कारारोपण का क्या प्रभाव पड़ा है।

लोनावला समिति

†**१०६१. बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के० एस० एम० वाई० एम० समिति, लोनावला, पूना में गहरे चिंतन के समय दिमाग़ की विद्युत संबंधी गतिविधियों के बारे में गवेषणा करने वाले कार्य कर्ताओं के नाम, योग्यता और प्राक चरित क्या हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये किन उपकरणों और तरीकों का प्रयोग किया जाता है ; और

(ग) प्रतिदिन या प्रति सप्ताह इस गवेषणा पर कितना समय लगाया जाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कितने समय की आवश्यकता है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

---

†मूल अंग्रजी में।

[सोमवार, २७ अगस्त, १९५६]

	विषय	पृष्ट
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	१३७७–१४०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४५२	अपंग व्यक्तियों का कल्याण .	१३७७–७९
१४५४	हिन्दी परीक्षा समिति	१३७९–८०
१४५५	राष्ट्रीय नाट्यशाला	१३८०–८२
१४५६	सामान्य शिक्षा पाठयक्रमों के लिये समिति .	१३८२–८३
१४५७	विधि आयोग . . .	१३८३–८४
१४५८	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह . .	१३८४–८५
१४५९	प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन . .	१३८५–८६
१४६१	हिन्दी . . .	१३८६–८७
१४६२	खनिज परामर्श संबंधी नीति .	१३८७
१४६३	निज़ाम सरकार की निधियों का हस्तांतरण .	१३८७–८८
१४६४	पश्चिमी जर्मनी में भारतीयों का प्रशिक्षण . .	१३८८–९०
१४६५	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में अंशकालिक अध्यापक .	१३९०–९१
१४७०	नरतत्वीय अनुसंधान . . .	१३९१–९२
१४७१	अमेरिका से अतिरिक्त कृषि उत्पादों का क्रम	१३९२–९४
१४७३	जस्त का कारखाना	१३९४–९५
१४७५	अंदमान तथा निकोबार वनस्पति विशेषज्ञों का अभियान	१३९५–९६
१४७६	रामजिन्स की सोने की खानें . . .	१३९६–९७
१४७७	एम० ई० एस० (सैनिक इंजीनियरिंग सेवा) कर्मचारी .	१३९७
१४७९	कनाडा से प्राप्त सहायता . .	१३९७–९८
१४८०	अतिरिक्त शिविरक्षेत्र	१३९८–९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१३	राजस्थान में बाढ . .	१३९९–१४००
१४	बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढें .	१४००–०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	१४०३–२७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४५०	एकीकरण था विकास निधि	१४०३
१४५१	सेवायुक्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों का हटाय जाना . .	१४०४
१४५३	मद्य निषेध	१४०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर----क्रमशः	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४६०	पुस्तकों का वितरण . . .	१४०४
१४६६	बच्चों तथा स्त्रियों के कल्याण के लिये संस्थायें . .	१४०५
१४६७	ओलम्पिक खेलें . . .	१४०५
१४६८	उड़ीसा के लिये इंजीनियरिंग कालेज	१४०५–०६
१४६९	प्रादेशिक भाषाओं का विकास .	१४०६
१४७२	त्रिपुरा में भूमि विवाद .	१४०६
१४७४	रूपकुंड अवशेष .	१४०७
१४७८	नये स्टेडियमों का निर्माण	१४०७
१४८१	केन्द्रीय अभिकरण शाखा .	१४०७–०८
१४८२	भारत पाकिस्तान सम्मेलन .	१४०८
१४८३	प्रबंध की केन्द्रीय संस्था .	१४०८
१४८४	बीमा समवाय	१४०८–०९
१४८५	चलते फिरते पुस्तकालय और फिल्म यूनिट .	१४०९
१४८६	भारतीय वनस्पति .	१४०९
१४८७	राष्ट्रीय संग्रहालय . .	१४०९
१४८८	मिस्र के साथ सांस्कृतिक संबंध .	१४१०
१४८९	विदेशों से सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	१४१०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०१३	केन्द्रीय भारत विद्या संस्था	१४१०
१०१४	माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें	१४१०
१०१५	त्रिपुरा सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी . . .	१४१०–११
१०१६	आसाम में कल्याण विस्तार परियोजनायें . .	१४११
१०१७	बागान उद्योग	१४११
१०१८	त्रावनकोर-कोचीन के पुलिस कर्मचारी . . .	१४११–१२
१०१९	त्रावनकोर-कोचीन राज्य में सिविल सप्लाइज विभाग	१४१२–१३
१०२०	विदेशों में भेजे गये सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल .	१४१३
१०२१	कीट शास्त्रीय सर्वेक्षण . .	१४१३–१४
१०२२	स्वयंसेवक शिक्षा संस्थायें	१४१४
१०२३	शारीरिक शिक्षा . . .	१४१४
१०२४	अन्दमान में समाज कल्याण . . .	१४१५
१०२५	हिन्दी का प्रचार	१४१५
१०२६	कच्छ में मद्य निषेध . . .	१४१५
१०२७	लाहौल और स्पिति	१४१५
१०२८	पिछले आम चुनावों में अनर्हित उम्मीदवार . .	१४१५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०२९	समाज शिक्षा .	१४१६
१०३०	युद्धोत्तर पुनर्निमाण निधि . .	१४१६
१०३१	अस्पृश्यता . . .	१४१६–१७
१०३२	सऊदी अरब के शाह के उपहार	१४१७
१०३३	निषिद्ध माल	१४१७
१०३५	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	१४१७–१८
१०३६	नारी कल्याण संगठन	१४१८
१०३७	निर्वाचक नामावलि . . .	१४१८
१०३८	मनीपुर की अदालतों में दीवानी मुकदमें . . .	१४१८–१९
१०३९	मनीपुर में नालीदार लोहे की चद्दरों का भेजा जाना	१४१९
१०४०	त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जाति के छात्र .	१४१९–२०
१०४१	भारतीय विमान बल . .	१४२०
१०४२	भारतीयों के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां	१४२१
१०४३	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के कर्मचारी .	१४२१
१०४४	एम० बी० बी० कालेज, अगरतला .	१४२१
१०४५	त्रिपुरा में बाढ़ सहायता .	१४२१–२२
१०४६	त्रिपुरा की खाद्य समन्वय समिति .	१४२२
१०४७	त्रिपुरा में बाढ़ . .	१४२२
१०४८	त्रिपुरा में कृषि संबंधी ऋण	१४२३
१०४९	खनिज विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण	१४२३
१०५०	विज्ञान मंदिर . .	१४२३
१०५१	जनता कालेज . . .	१४२३–२४
१०५२	आय-कर अनुसंधान आयोग	१४२४
१०५३	खनिज . .	१४२४–२५
१०५४	संघ लोक सेवा आयोग .	१४२५
१०५५	पुर्नवास वित्त प्रशासन . . .	१४२५
१०५६	क्रिकेट कोचिंग स्कूल . .	१४२५–२६
१०५७	आदिम जाति क्षेत्रों में आश्रम स्कूल . .	१४२६
१०५८	कैंटीन	१४२६
१०५९	भारतीय प्रशासन सेवा आयात भरती .	१४२६–२७
१०६०	बोनस अंश	१४२७
१०६१	लोनावला समिति .	१४२७

भा. स. मु. ना.–वि. ३–२२२ लोक सभा/५६–१०-१०-५७–१९०.

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प . १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार २७ अगस्त १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

१२-१४ म० प०

(देखिये भाग १)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाला विवरण

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विविध सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) प्रथम विवरण — लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६

[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १**]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २**]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९ — लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३**]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १३ — लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४**]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९ — लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५

[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५**]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २१ — लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

[देखिये **परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६**]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३२ — लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७**]

†मूल अंग्रेज़ी में

1—232 L. S. /56

समिति के लिये निर्वाचन

लोक लेखा समिति

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डा० इन्दु भाई अमीन द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर वर्ष १९५६–५७ के शेष समय क लिये लोक लेखा समिति में काम करने के हेतु इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम २४२ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रूप में अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक **

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय डाक घर (संशोधन) अधिनियम, १८९८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाक घर (संशोधन) अधिनियम, १८९८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक* को पुर:स्थापित करता हूं।

लोक-ऋण (संशोधन) विधेयक**

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : मै प्रस्ताव करता हूं कि लोक-ऋण अधिनियम, १९४४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक ऋण अधिनियम, १९४४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**म० च० शाह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं

---

†मूल अंग्रेजी में।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**भारत के असाधारण गजट, दिनांक २७ आगस्त, १९५६ के भाग २ खंड २ में पृष्ठ ७६५—७७२ पर प्रकाशित।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (त्रावणकोर-कोचीन), १९५६–५७

वर्ष १९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१९	लोक स्वास्थ्य	१९,००० रुपये
२५	श्रम तथा विविध	११,१२,००० रुपये
३७	असैनिक कार्यों पर पूंजी व्यय	१०० रुपये

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): वहां कोई विधान सभा नहीं है इसलिऐ इस विषय पर समय तीन घंटे से वढ़ा कर कम से कम चार घंटे देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा इसका निर्णय कर सकती है। तीनों मांगों के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने पांच घंटे दिये थे जिसमें से ३ घंटे ४१ मिनट समाप्त हो चुके हैं तथा केवल एक घंटा और उन्नीस मिनट शेष हैं।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : इन मांगों के संबंध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का महत्वपूर्ण बातों को सभा के समक्ष स्पष्ट करना ठीक होगा।

†**श्री म० च० शाह** : संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन २३ मार्च, १९५६ को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा से, त्रावनकोर-कोचीन राज्य की विधान सभा के अधिकार, संसद् के प्राधिकार से अथवा उसके अधीन लागू होंगे तथा वित्तीय मामलों की व्यवस्था करने वाले अनुच्छेद २३८ के साथ पढ़े जाकर अनुच्छेद २०२ से २०७ के अधीन त्रावनकोर-कोचीन राज्य की विधान सभा तथा राजप्रमुख को निर्देश, क्रमशः संसद् तथा राष्ट्रपति को निर्देश माना जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मत्री कृपा करके थोड़ी देर के लिये बैठ जायें। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूं कि केवल प्रधान मंत्री को छोड़ कर अन्य सदस्य सभा प्रवेश के समय झुक कर अभिवादन नहीं करते हैं। यह आदर मेरे प्रति नहीं है। यहां भारत के विभिन्न भागों से व्यक्ति आते हैं और सभा की कार्यवाही देखते हैं। झुक कर अभिवादन करना समस्त सभा के प्रति आदर प्रदर्शित करना है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। इसके अतिरिक्त जब कोई माननीय सदस्य भाषण देता हो तब अध्यक्ष की ओर पीठ करके आपस में बातें नहीं करनी चाहिये। केन्द्रीय हाल इस प्रयोजन के लिये है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न है। मेरे विचार से यह कहना कि प्रधान मंत्री के अतिरिक्त झुक कर सभा का अभिवादन कोई नहीं करता है सही नहीं है। हम सब ऐसा ही करते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने एक सामान्य बात कही थी। विभिन्न राज्यों के व्यक्ति आते हैं तथा हम उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये। मैं किसी विशेष सदस्य पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

†**श्री म० च० शाह** : इसीलिये १९५६-५७ वर्ष की त्रावनकोर-कोचीन राज्य की अनुपूरक मांगों पर संसद् विचार करेगी।

त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक संसद् ने पारित किया था तथा यह अनुपूरक मांगों की पहली खेप है। यदि माननीय सदस्य अनुपूरक मांग पुस्त को देखें, जो कि पहले ही परिचालित की जा चुकी है, तो उनको ज्ञात होगा कि इन मांगों में केवल ११·५८ लाख अतिरिक्त रुपया निहित है जिसमें राजस्व लेखे के ११·५४ लाख रुपये तीन मांगों में वितरित हैं तथा केवल ४,००० रुपये पूंजी लेखे के लिये दो मांगों में हैं। इनमें से मांग में संख्या ९ का २३,००० पये तथा मांग संख्या ३६ का ३,५०० रुपये व्यय संविधान के अनुच्छेद ३२२ तथा २०२ (३) (ङ) के अधीन त्रावनकोर-कोचीन की संचित निधि से लिया गया है। मुख्य मद ११·१२ लाख रुपये की मांग का है जो कि राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये है। क्योंकि राज्य सरकार को गृह मंत्रालय को इन योजनाओं को अभी स्पष्ट करना है, इसलिये इसका यह अर्थ नहीं है कि केन्द्रीय सरकार इतनी सहायता देने को बाध्य हो जायेगी। अन्य दो महत्वपूर्ण मद २३,००० रुपये राज्य लोक सेवा आयोग की अतिरिक्त आवश्यकताओं तथा १९,००० रुपये प्रारम्भिक स्वास्थ्य एककों के खोलने के संबंध में हैं। संसद् के गत सत्र में पारित त्रावनकोर-कोचीन राज्य के आय-व्ययक में ४१·८२ करोड़ रुपये के कुल व्यय की व्यवस्था थी जिसमें से ९·०४ करोड़ रुपये उपलब्धियों थी, अर्थात् कुल व्यय ३२·७८ करोड़ रुपये होता था। ११·५८ लाख रुपये की अतिरिक्त राशि आय-व्ययक की पारित राशि के अतिरिक्त नहीं मांगी जा रही है क्योंकि यह आय अनुदानों के अधीन बचा धन ही होगा।

यह बड़ी छोटी मांगें हैं। ११·१२ लाख रुपयों की एक मांग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सुधार योजना के बारे में है। मेरे विचार से त्रावनकोर-कोचीन राज्य का कोई भी सदस्य इनका विरोध नहीं करेगा।

मैं सदस्यों से यह भी प्रार्थना करूंगा कि अनुपूरक मांगों की चर्चा पर नीति संबंधी प्रश्न की चर्चा न हो क्योंकि त्रावनकोर-कोचीन आय-व्ययक के पारित होने के समय उन पर मतदान लिया गया था जैसी कि सभा की प्रथा है।

दिये गये फुट नोट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन अनुपूरक मांगों की क्यों आवश्यकता हुई।

एक नई मद है जिसके लिये हमने १०० रुपये की सांकेतिक मांग रखी है। वह तीन स्थानों पर कार्यालय भवन तथा निवास भवन के लिये है। इस वर्ष ११० लाख रुपये व्यय करने का विचार है परन्तु हमने १०० रुपये की ही सांकेतिक मांग की है क्योंकि आशा है कि ये सब राशियां बचत में से व्यय की जायेंगी मुझे आशा है सभा इन मांगों को स्वीकार करेगी।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : मेरा विचार है कि माननीय मंत्री ने मांगों को पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया ह। उन्होंने कहा है कि केवल दो अथवा तीन मांगें हैं तथा एक मांग छोटी केवल १०० रुपये की है। परन्तु वास्तव में यह बहुत बड़ी मांग है और यह मांग संख्या ३७ से संबंधित है।

इन मांगों पर, मैं डा० एपलबी की आलोचना के आधार पर विचार करूंगा। उन्होंने कहा है कि संसद् प्रशासन पर सीधा प्रभाव तब डाल सकती है जब कि वह प्रशासन की आलोचना करने वाली चीजों को ढूंढने के स्थान पर उसके प्रशंसात्मक कार्यों को देखे। मैं यही युक्ति अपनाना चाहता हूं। मैं परामर्शदाता की सराहना करता हूं कि उन्होंने राज्य में असैनिक चौकियां लाई। सरकारी कार्यालयों के लिये स्थान नहीं थे, इसलिये भवन बनाये गये। पहले ५३ दफ्तर किराये के मकानों में थे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अब यह विचार है कि सभी सरकारी कार्यालय एक स्थान पर आजायें तथा मैं सरकार की इस नीति का पक्षपाती हूं। मैं इसका इसलिये भी पक्षपाती हूं कि मेरे राज्य के व्यक्तियों का क्रय सामर्थ्य कम है, क्या इस प्रकार की योजनाओं से वहां की बेकारी दूर होगी?

उस राज्य का आय-व्ययक १५–५–५६ को पारित हुआ था तथा जब हम सत्र की समाप्ति पर निर्वाचन क्षेत्रों को लौटे तो त्रावनकोर कोचीन राज्य के मुख्य सचिव से असैनिक चौकियों के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित होने का निमंत्रण मिला। यद्यपि ११० लाख रुपये के व्यय की संभावना है तथापि अनुपूरक मांग १०० रुपये की रखी गई है। १५–५–५६ को इस मद में २९३ लाख रुपये की मांग रखी गई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि उस तिथि से पूर्व सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई थी तथा योजना बनाने के पश्चात् सही व्यय का ज्ञान हुआ तथा इसलिये अब यह मांग रखी गई है। सूचना यह है कि परामर्शदाता ने शासन संभालते ही स्थान की क़मी महसूस की थी। किन्तु योजना बनाने पर कुल आय-व्ययक का एक-तिहाई बिना संसद् की अनुमति लिये व्यय करना उचित नहीं है। जो पुस्तिका हमें दी गई है उसके अनुरूप आकस्मिक निधि में से १९ जून, १९५६ को निर्माण कार्य के लिये धन लिया गया जिसका अर्थ है कि गत सत्र के अन्त तक योजना बना ली गई थी। क्या दो तीन सप्ताह रुक कर संसद् की अनुमति नहीं ली जा सकती थी? व्यय उसके बाद किया जा सकता था। इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिये।

पुस्तिका के पृष्ठ ९ के अन्तिम पैरा में दिया है कि यह धन राशि तथा और धन राशि जो योजना को लागू करने के लिये आवश्यक होगी बचत में से ली जायगी तथा उसके लिये सभा के सांकेतिक मतदान की ही आवश्यकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि २९३ लाख रुपये के अतिरिक्त ११० लाख रुपये इस कार्य के लिये और चाहिये। जिसका यह अर्थ हुआ कि अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कमी की जाये। मैं जानता हूं कि १५ अगस्त, १९५६ के भाषण में परामर्शदाता ने इस मामले में जनता की आशंकाओं को दूर करना चाहा था तथा कहा था कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की किसी भी योजना पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु मेरी प्रार्थना है कि वित्त मंत्री अथवा गृह मंत्री इसका आश्वासन दें कि किसी योजना पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

१ नवम्बर, १९५६ को केरल राज्य बनेगा। तथा १५–५–५६ को पारित आय-व्ययक समाप्त हो जायेगा। परन्तु राज्य पुनर्गठन विधेयक में दिया है कि ३१ मार्च, १९५७ तक के लिये राजप्रमुख अथवा राज्यपाल संचित निधि से व्यय की व्यवस्था कर सकता है। इस संबंध में मैं सभा का ध्यान इसलिये आकर्षित कराना चाहता हूं कि राज प्रमुख अथवा राज्यपाल को द्वितीय योजना की योजनाओं में से ही कोई व्यवस्था करनी होगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन में जो हमको आज मिला है, दिया गया है कि ३०० क्वार्टर प्रत्येक श्रेणी के पदाधिकारियों के लिये बनेंगे। नान गजटेड कर्मचारियों के लिये २०० होंगे। सब का ऐसा अनुभव है कि जिन व्यक्तियों को क्वार्टर मिलते हैं वह गजटेड होते हैं तथा कम वेतन वाले व्यक्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और उनकों वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यही प्रवृत्ति यहां भी झलकती है क्योंकि इन ३०० में से १०० गजटेड आफिसरों के होंगे तथा केवल २०० कम आय वाले जैसे क्लर्क, चपरासी, टाइपिस्ट आदि को दिये जायेंगे।

इसका यह अर्थ है कि इस योजना के अन्तर्गत निचले वर्ग के कुछ ही लोगों को स्थान मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी नीति अपनाये जिससे कम वेतन वाले सभी कर्मचारियों को कोई न कोई स्थान मिल जाये।

इसके बाद इस मांग पर चर्चा करते हुए मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या सिविल स्टेशनों के निर्माण में वास्तु कला का भी ध्यान रखा गया है अथवा नहीं। मुझे इस टिप्पण* से यह पता चलता है कि ये क्वार्टर तथा इमारतें पहले से ही भरे हुए स्थानों पर बनायी जायेंगी। सरकार को ऐसे सिविल स्टेशनों, तथा, इनके लिए नई इमारतों आदि के बनाते समय नगरों के विकास तथा विस्तार का भी ध्यान रखना चाहिये। अतः ये नये स्थान नगरों के बीच में नहीं अपितु उनके आस

*Note.

[श्री अ० म० थामस]

पास के इलाकों में बनाने चाहिये। इस बात की दलील देने में मेरा एक खास उद्देश्य भी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र एरणाकुलम में जो सिविल स्टेशन बनाया जाय वह उसी बात को ध्यान में रख कर बनाया जाये। वहां पर पुलिस क्वार्टर बनाने का भी उपबन्ध किया गया है। मुझे यह सूचना भी मिली है कि एरणाकुलम में ए० आर० क्वार्टरों की मरम्मत के लिये भी २ लाख रुपये नियत किये गये हैं। ये सारी इमारतें नगर की प्रमुख सड़क के किनारे हैं। युद्ध काल में वहां पर कुछ अस्थायी इमारतें भी बन गई थीं। उनके स्थान पर अब नई इमारतें आ गई । इसलिये मैंने त्रावनकोर-कोचीन सरकार को भी प्रार्थना की थी कि उसे अब उन इमारतों की मरम्मत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इस बात पर फिर बल देता हूं कि जब आप नई इमारतें बनायें तो आप को शहरों के अन्दर इमारतें न बना कर नगरों से बाहर के स्थानों की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि नगरों के अन्दर भी सांस लेने के लिये कुछ खुली जगह बची रह सके।

इस संबंध में मैं सरकार से एक और बात पूछना चाहता हूं। परामर्शदाता ने जब ये सिविल स्टेशन आदि बनाने की योजनाएं बनाई थीं तो क्या उन्होंने जिलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों का भी ध्यान रखा था ? एरणाकुलम और मात्तन चेरी जैसे कई ऐसे नगर हैं जो यद्यपि जिले नहीं हैं, फिर भी उनसे अधिक घने बसे हुए हैं। एरणाकुलम में उच्च न्यायालय तथा कई अन्य न्यायालय भी हैं फिर वहां पर केन्द्रीय सरकार के भी कई कार्यालय हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे नगर को जिसको कि सिविल स्टेशन आदि बनाने में सबसे प्रथम महत्व दिया जाना चाहिये था उस पर बिलकुल ही कोई ध्यान नहीं दिया गया ह। परामर्शदाता ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की है।

सके बाद अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये भी कुछ राशि की मांग की गई ह। मैं इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई योजना का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं। मगर अनुसूचित जातियों के लिये अभी हम पहले ही स्वीकृत राशियों का व्यय कर रहे हैं। व्याख्यात्मक-ज्ञापन* में यह लिखा है कि पिछले वर्ष इस कार्य के लिये १$\frac{1}{5}$ लाख रुपये की एक राशि स्वीकृत हुई थी मगर उस योजना के पूर्ण रूप से तैयार न किये जा सकने के कारण सरकार ने उस राशि को १९५६-५७ के लिये स्वीकार करवा लिया है। अतः मेरा यह कहना है कि इस बार भी कहीं स्वीकृत राशियों के लिये इसी प्रकार की चीज न हो।

इसी प्रकार सरकार को भिन्न-भिन्न कल्याण परियोजनाओं को सभी क्षेत्रों में बांटने का प्रयास करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक ही क्षेत्र को सभी योजनाओं का लाभ होता रहे। इस समय इन योजनाओं से यह पता चलता है कि इनसे केवल अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को ही लाभ नहीं होगा प्रत्युत इन से ऐसे क्षेत्रों भी लाभ होगा जिनसे इस समय कोई राजस्व नही प्राप्त हो रहा है। इनसे दोहरा लाभ होगा। यह बात बड़ी अच्छी है। मगर सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि त्रावनकोर-कोचीन में पानी तथा जंगलात की आवश्यकता बड़ी बढ़ती जा रही है। अतः जब इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाये तो परामर्शदाता समिति को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये तथा मेके समिति की सिफारशों का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिये।

अब मैं लोक-स्वास्थ्य की मांग को लेता हूं। मुझे डिस्पेंसरियों को लोक-स्वास्थ्य एककों में बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं इस सभा का ध्यान एक विषय की ओर खास तौर से दिलाना चाहता हूं। त्रावनकोर-कोचीन राज्य म फिलेरिया [मलेरिया ज्वर की एक किस्म] का बहुत जोर है। सरकार को अपनी स्वास्थ्य योजना में उसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिये। राज्य सरकार इस संबंध में अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल हो गई है। इस समय मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में मलेरिया इंस्टीट्यूट की एक शाखा कार्य कर रही है। हजारों आदमी उसके दरवाजे पर भटकते रहते हैं। प्रथम योजना में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एक नियन्त्रक एकक तथा दो सर्वक्षण एकक बनाये जाने की स्वीकृति मिली थी। किन्तु राज्य सरकार द्वारा इनके कर्मचारियों

*Note Explanatory Memorandum.

को उचित वेतन न दे सकने के कारण इन एककों की स्थापना आज तक नहीं हो सकी है। और अब द्वितीय योजना में तीन नियंत्रक एककों* की स्वीकृति हुई है। मगर उनके लिये भी अभी तक डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अतः मैं गृह मंत्रालय का ध्यान इन लोगों को शीघ्र नियुक्त करने तथा उनके लिये उचित वेतन निश्चित करने के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सभा में रखी गई मांगों का समर्थन करता हूं।

इसके पश्चात निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि रु०
१९	श्री पुन्नूस (एलप्पी)	ट्रावनकोर-कोचीन में लोक स्वास्थ्य विभाग	१००
२५	श्री पुन्नूस	ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में श्रम समस्यायें	१००
३७	श्री पुन्नूस	ट्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा कार्यालयों की इमारतों तथा निवास के क्वार्टरों के बारे में बनाई योजना का अनुमोदन	१
१९	श्री वेलायुधन	ट्रावनकोर-कोचीन में अस्पतालों की कार्णप्रणाली तथा स्थिति	१००
२५	श्री वेलायुधन	ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण संबंधी योजनाएं	१००
३७	श्री वेलायुधन	कार्यालयों की इमारतों के लिये किये जाने वाले कार्यों की नीति का अनुमोदन	१
२५	श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्कारा)	योजना में सुझाये गये उपायों की अपर्याप्तता	१००
३७	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	अपव्यय से भरी योजनाओं की नीति का अनुमोदन	१

†**अध्यक्ष महोदय** : ये आठों कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने हैं।

†**श्री पुन्नूस** : जिला मुख्यालय तथा सिविल और पुलिस लाइन की इमारतें बनाने के लिये १ करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है,

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

और इसके लिये हमें १०० रुपये की प्रतीक मांग पर स्वीकृति देने के लिये कहा गया है। यह नया कार्य इतनी जल्दी और इतना अचानक शुरू कर दिया गया है कि संसद् को इस पर सोचने का अवसर ही नहीं मिल सका है। सरकार अब नई सेवा योजना के लिये वचन बद्ध हो चुकी है और हमें उसके लिये हां कहने के लिये कह रही है। यह बात कहां तक ठीक है? इससे लोगों में एक सन्देह सा हो गया है और चारों ओर इसकी आलोचना हो रही है।

हमें भी अच्छी इमारतें और सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाना अच्छा लगता है। मगर एक छोटे से राज्य के लिये जिसका कुल राजस्व १९ करोड़ रुपया हो, १ करोड़ रुपये की भव्य इमारतें बनवाना कहां की बुद्धिमता है? मेरे विचार में यह बहुत अनुपयुक्त है। शायद श्री राव वहां पर अपना अथवा राष्ट्रपति के शासन का कोई भव्य स्मारक बनाना चाहते हैं। आज जब कि

---

†मूल अंग्रेजी में

*Central Units,

[श्री पुन्नूस]

राज्य में चारों ओर बेकारी ही बेकारी दिखाई देती है, लोगों के सामने सैंकड़ों समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं उस समय ऐसी बातें करना कहां तक ठीक है ? हम चाहते हैं कि फिलहाल ऐसी चीजों पर रुपया न लगा कर लोगों की आवश्यक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाये । जैसे कि नये उद्योग स्थापित करना तथा वर्तमान उद्योगों को पुष्ट आधार पर खड़ा करना, राज्य के अस्पतालों में दवाइयों का प्रबन्ध करना । हम ऊंचे वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये इमारतें बनवाने के सर्वथा विरुद्ध हैं । उनको काफी वेतन मिलता है । वह उसमें किराया दे सकते हैं । हमारे राज्य में अधिकतर ऐसे अधिकारी आस पास से ही आते हैं । वे अपने सम्बन्धियों आदि के यहां रहने का प्रबन्ध कर सकते हैं । अतः हमें यह भी देखना होगा कि हमें पहले किस प्रकार की इमारतें बनानी चाहिये । फिर हमें अभी नगरों में भी एक ही स्थान पर कार्यालय बनाने की आवश्यकता नहीं है । मेरे विचार में सरकार इस संबंध में सभी ओर से हो रही आलोचना को ध्यान में रखेगी ।

सामान्य प्रशासन संबंधी मांग संख्या ९ के संबंध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । आज लगभग छः महीने से वहां पर राष्ट्रपति का शासन है । प्रशासन के लिये जो रुपया पहले स्वीकृत किया गया था उसका उस अवधि में क्या हुआ है ? प्रायः वहां पर वर्ष के अन्त में रुपया व्यपगत हो जाता है । मगर फिर भी वहां प्रतिवर्ष अनुपूरक मांगें रखी जाती हैं। क्या राव साहब भी ऐसी ही औपचारिकता पूरी कर रहे हैं अथवा वह सचमुच मांगों की आवश्यकता समझते हैं ? दूसरे, जब परामर्शदाता का शासन बना था तो सरकार ने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि वह राज्य में से सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करेगी । दूसरी उन्होंने यह घोषणा की थी कि वह प्रशासन की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये उसके संगठन में परिवर्तन लायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि वह इन दिशाओं में कहां तक सफल हुए हैं ? हमारे राज्य में कई अधिकारी बाहर से लिये गये हैं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है मगर वे सब क्या करते हैं ? वे सब भ्रष्टाचार को दूर करने की बातें करते रहते हैं । किन्तु आज भी हमारे राज्य में सरकारी लकड़ी भी वैसे ही बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है । संयुक्त परामर्शदाता ने यह कहा था कि मैं इसे रोकने के लिये सख्त कार्यवाही कर रहा हूं । मगर अभी तक वह केवल एक विभागीय जांच ही करवा रहे हैं और सरकार को अब भी हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है ।

फिर कई अधिकारियों की सेवा के रिकार्ड भी बड़े खराब हैं । लोगों को आशा है कि सलाहकार के आने पर उन सबको भी ठीक किया जायेगा । परन्तु इस संबंध में आज तक केवल विश्वविद्यालय के एक चपरासी को ही शायद किन्हीं परीक्षा पत्रों के गुम करने के संबंध में कैद किया गया है। आज भी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । शायद वहां की सरकार सब कुछ चुनावों को दृष्टि में रखकर ही कर रही है । सरकार को इस विषय में नेकनीयती से काम करना चाहिये ।

मांग संख्या १९ में लोक स्वास्थ्य की चर्चा की गई है । हमारे राज्य में लोक स्वास्थ्य की बड़ी बुरी दशा है, वहां पर प्राथमिक एककों की स्थापना का खूब स्वागत होगा मगर ऐसा नही होना चाहिये कि जिन क्षेत्रों को इस की बहुत आवश्यकता हो उनको यह लाभ प्राप्त न हो सके। इन एककों को समस्त राज्य भर में काम करना चाहिये ।

मांग संख्या २५ में श्रम आदि की चर्चा की गई है और मांग संख्या ३६ में औद्योगिक विकास के लिये पूंजी विनियोजन की । इस कार्य के लिये कुल ३५०० रुपये मांगे गये हैं । क्या सरकार को यह रुपया अन्य स्रोतों से नहीं प्राप्त हो सका है ? जब उसने बड़ी बड़ी सेवाओं के लिये इधर उधर से रुपया निकाला है तो वह इस ३५०० रुपये को भी बड़ी आसानी से निकाल सकती थी ?

†**श्री अ० म० थामस**: यह रुपया पहले ही आकस्मिक निधि से व्यय हो चुका है, अब उसकी स्वीकृति चाहिये ।

†**श्री पुन्नूस** : राज्य में श्रम की स्थिति को देखते हुए सरकार को उसके लिये और अधिक रुपये की मांग करनी चाहिये थी ताकि वह उनकी कुछ आवश्यक समस्याओं को अधिक अच्छी तरह

---

†मूल अंग्रेजी में

से सुलझा सकती। काजू उद्योग में आज बड़ी मंदी आई हुई है। नारियल उद्योग की भी यही दशा है। आज राज्य के सभी कारखानों में बड़ी बेकारी बढ़ रही है। लगभग ५०,००० मजदूर बेकार पड़े हैं। मगर इन सब के लिये कोई मांग नहीं की गई है। प्रति मास बेकारी बढ़ती जा रही है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

पूंजी व्यय की एक मांग की गई है। मैं माननीय मंत्री से औद्योगिक समस्या की जांच करने का निवेदन करता हूं। कुछ सरकार द्वारा चलाये गये उद्योगों की दशा बड़ी खराब है। इनमें से अधिकांश उद्योग घाटे में चल रहे हैं। इसका दयित्व किस पर है? श्री शाह ने अभी इस राज्य का दौरा करके कहा था कि इन उद्योगों की जांच किसी विशेषज्ञ द्वारा करवाई जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि इन सब उद्योगों की जांच तत्काल ही कराई जाए और उनकी स्थिति सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाये।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम) : मैं त्रावणकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रपति के शासन के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। पिछले पांच महीनों से इस राज्य में वह चल रहा है और उसमें कुछ दोषों के होते हुए भी इतना मानना पड़ेगा कि वह पहले वाली सरकार से अच्छा ही सिद्ध हुआ है। मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं।

जब से राष्ट्रपति का शासन शुरू हुआ है तब से वस्तुओं के मूल्य और विशेषकर खाद्यान्नों के मूल्य बहुत अधिक हो गये हैं। जहां तक खाद्य का संबंध है युद्ध काल वाली स्थिति लौटती दिखाई दे रही है। क्या मंत्रालय ने मूल्यों को गिराने के बारे में कोई कार्यवाही की है? चावल के दाम बढ़ जाने से सारे पदार्थों के मूल्य बढ़ जाते हैं और गरीबों का उस राज्य में रहना दूभर हो जाता है। केरल राज्य के बन जाने से त्रावणकोर-कोचीन का सारा अनाज वहां के लोगों के हाथों में पहुंचता जा रहा है। मैं महसूस करती हूं कि पदार्थों के मूल्यों की वृद्धि स्वाभाविक नहीं है। जहां तक मैं समझती हूं इस वृद्धि का कारण केन्द्रीय सरकर द्वारा शोषण अर्थात् केन्द्रीय सरकार की मूल्यों पर नियंत्रण लगाने की नीति है।

मुझे हर्ष है कि यह सरकार वहां इमारतें बनवा रही है। मैं चाहती हूं कि देश में निर्माण कार्य में उन्नति बड़े पैमाने पर हो, किन्तु धीरे-धीरे। इस कार्यक्रम के अधीन पदाधिकारियों और विशेषकर पुलिस वालों के लिये इमारतें बनवाने की विशेष योजना है। मैं चाहती हूं कि सरकार कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये भी रहने की व्यवस्था करे। पुलिस वालों में भ्रष्टाचार इसी कारण है कि उन्हें वेतन कम मिलता है और मकान पर काफी व्यय करना पड़ता है। यदि उनका वेतन बढ़ा दिया जाये या उनकी आवास समस्या हल कर दी जाये तो त्रावणकोर-कोचीन राज्य में प्रशासन अच्छा हो जायेगा।

दो-एक बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस राज्य के अस्पतालों में मैंने एक यह बात देखी कि यहां लगभग एक ही रोग के बीमार हैं जब कि पिछली बार मैंने देखा था कि अस्पतालों में सभी रोगों के रोगी हैं। स्त्रियों और बच्चों के वार्ड में तो सभी को लगभग एक ही प्रकार की बीमारी है। मैं जानना यह चाहती हूं कि आखिर इसका कारण क्या है? क्या लोगों को एक ही प्रकार की बीमारी होती है अथवा वे अस्पतालों में उपचार के लिये नहीं आते? ऐसे आधार पर स्थायी सरकार अथवा स्थायी समाज की स्थापना नहीं की जा सकती।

मैं तो समझती थी कि राष्ट्रपति का शासन आने से कांग्रेस सरकार का भाईभतीजावाद और भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। राव समिति ने वास्तव में राज्य में बड़ा संतोषजनक कार्य किया। किन्तु हाल ही में मुझे पता लगा है कि कुछ नियुक्तियां और पदोन्नति बिना किसी उचित सिद्धांत के की गई हैं। मैं चाहती हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय इस मामले की जांच करे। आप यह चीज केन्द्र में भले ही लागू न करें किन्तु कम से कम त्रावणकोर-कोचीन राज्य में अवश्य कर दें जहां लोगों को बड़ी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : क्या माननीया सदस्या राव प्रशासन के पश्चात् के भाई-भतीजावाद के दो-एक ठोस उदाहरण बता सकती हैं ?

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : किन्हीं श्री अलेक्जेंडर के भतीजे की एक बहुत ऊंचे पद पर पदोन्नति की गई है। आप जाकर पता लगाइये और यदि आप का अपने दल की सरकार पर जोर हो तो उसे वहां से निकलवा दीजिये।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : वह केन्द्र के उप-सचिव का साला या बहनोई है।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : सम्भवतः श्री मात्तन का भी कोई संबंधी रहा हो।

†**श्री मात्तन** : बस करिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल एक उदाहरण चाहते थे जिसका उल्लेख करने के बाद माननीया सदस्या को किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं करना चाहिये था ।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कांग्रेस सरकार के दिनों में जितना भ्रष्टाचार था उससे कम हो गया था किन्तु हाल ही में स्वार्थ रखने वाले कुछ संसद् सदस्यों ने जाकर वर्तमान प्रशासक पर प्रभाव डाला और भ्रष्टाचार फैलाया।

†**श्री म० च० शाह** : क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा नहीं है क्योंकि केवल तीन अनुपूरक मांगें थीं और अब उन पर यहां चर्चा की जा रही है। मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीया महिला सदस्या तथा अन्य सभी माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें।

†**कुमारी एनी मैस्करीन**: चूंकि त्रावणकोर-कोचीन में विधान मंडल नहीं है और हमीं उसके अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि हैं, इसलिये हम केन्द्रीय सरकार को बता सकते हैं कि राज्य क्या चाहता है। इस पर चर्चा किये बिना.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। वहां विधान मंडल नहीं है, केवल इस कारण हम असंगत बात नहीं कह सकते। आज ही इस पर चर्चा करने से क्या लाभ ? अगले मदों पर चर्चा करते समय हम इस पर भी विचार कर लेंगे।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : मुझे उपाध्यक्ष महोदय की बात स्वीकार है। तत्पश्चात् मैं बेकारी की समस्या को लेती हूं। यह अच्छा है कि सरकार ने इमारतें बनवाना शुरू कर दिया है।

†**श्री म० च० शाह** : एक औचित्य प्रश्न यह है कि इन अनुपूरक मांगों पर नीति संबंधी प्रश्नों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री ....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माना कि इमारतों के लिये मांग की गई है किन्तु चर्चा केवल अतिरिक्त राशि के बारे में और इस बात तक सीमित रहनी चाहिये कि जब नई मांग अथवा नया मद न हो तब अनुपूरक राशि की मांग करना क्यों आवश्यक हो गया है।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : न तो मैं किसी नई मांग की बात कर रही हूं और न क्षेत्र से बाहर ही जा रही हूं। मैं तो पूर्व वक्ताओं द्वारा इमारतों के बारे में कही गई बातों की पुनरावृत्ति कर रही हूं।

†**श्री पुन्नूस** : यह तो नई मांग है। उसमें कहा भी गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु महिला सदस्या का कहना तो यह है कि यह विषय नया नहीं है। उन्हें कहना यह चाहिये कि जहां तक इस मद का संबंध है, यह चीज संगत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : मैं तो यह कहने जा रही थी कि यह बेकारी की समस्या को दूर करने का उपाय है किन्तु माननीय मंत्री मुझे यह कहने ही नहीं देते थे ।

†**श्री पुन्नूस** : क्योंकि वह जानते हैं कि यह सच नहीं है।

†**कुमारी एनी मैस्करीन** : हो सकता है ।

आज काजू उद्योग के ५०,००० मजदूर बेकार हैं और अभी तक इस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । शायद इसमें सरकार का दोष है भी नहीं क्योंकि देश में काजू की कमी है और बाहर से आता नहीं है । अब सरकार इस राज्य में अधिक काजू पैदा करने के लिये कार्यवाही करेगी । यदि सरकार काजू उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाये तो उससे बेकारी की समस्या उतनी गम्भीर नहीं रहेगी जितनी आज है ।

सारी बातों को देखते हुए मैं इस बात को तो स्वीकार करती हूं कि वर्तमान प्रशासन में केवल उन बुराइयों को छोड़ कर जिनका मैं उल्लेख कर चुकी हूं, पहले वाली सरकार से कहीं अच्छाई है । किन्तु यदि सरकार इन शिकायतों को दूर कर दे, मूल्यों को घटा दे और निर्माण कार्य आरम्भ कर दे तो वह जनता की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब, श्री मात्तन बोलेंगे ।

†**श्री वेलायुधन** : जैसा कि स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था अनुदानों की मुख्य अनुपूरक मांगें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये थीं . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु माननीय सदस्य सभा के बाहर थे ।

†**श्री वेलायुधन** : जी नहीं, मैं तो अपने स्थान पर ही बैठा था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब तो मैं श्री मात्तन को बुला चुका हूं और उन्हें जितने समय तक प्रतीक्षा करने की आशंका थी उससे भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

†**श्री मात्तन** : मुझे केवल यही कहना है कि मेरा उस व्यक्ति से, जिसका महिला सदस्या ने उल्लेख किया था, कोई भी संबंध नहीं है ।

रही मूल्यों में वृद्धि की बात, वह तो सभी जगह यही हालत है । हां काजू उद्योग के विकास का कार्य अविलम्ब ही किया जाना चाहिये ।.द्वितीय पंच वर्षीय योजना में केवल त्रावणकोर-कोचीन राज्य में ही नहीं अपितु सारे देश में इस उद्योग के विकास करने की योजना है जिससे हमें काजू विदेशों से न मंगाने पड़ें ।

श्री पुन्नूस त्रावणकोर-कोचीन में लगभग दो मास रहे। उन्होंने बताया कि मंत्रणादाता के शासन से वहां के लोगों में असन्तोष है जब कि कल ही मैंने मद्रास के 'दि मेल' नामक समाचार पत्र में पढ़ा था कि वहां राष्ट्रपति के शासन से पूर्ण सन्तोष है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक ही चीज के बारे में विचारों में बड़ा अन्तर हो सकता है ।

†**श्री मात्तन** : मेरे माननीय मित्र ने कहा कि वहां अभी भी भ्रष्टाचार जारी है । किन्तु अब सरकारी कर्मचारियों के मन में ईश्वर का भय समा गया है और हम लोग तथा बाहर के लोग भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार काफी कम हो गया है । श्री पुन्नूस भी अब इस बात को जान गये होंगे ।

वर्तमान प्रशासन के बारे में यह कहना समय से पूर्व होगा कि उसमें भी निधियां व्यपगत होंगी । मैं कम से कम इतना अवश्य कह सकता हूं कि पिछले कुछ महीनों में जितना कार्य हुआ वह कुछ वर्षों में नहीं हो सका । दूसरी बात यह कि पत्रों का उत्तर बड़ी जल्दी मिल जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

इस राज्य में बेकारों की संख्या इतनी अधिक है कि क्लर्कों और टाइपिस्टों के कुछ स्थानों की पूर्ति के लिये ४६,००० आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। यह राज्य बहुत ही छोटा है।

लंका से निष्क्रमणार्थियों के आ जाने से बेकारों की संख्या और भी बढ़ गई है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन बेचारों के लिये कुछ पुनर्वास व्यवस्था तत्काल कर दें। वे बेचारे विवश होकर वापस लौटे हैं और वे इस राज्य के प्रामाणिक निवासी हैं। यदि इनके पुनर्वास की व्यवस्था शीघ्र ही न हो सकी तो स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी।

इस राज्य की जन संख्या अधिक होने के कारण जो लोग पड़ोसी राज्य में जाकर बस गये हैं उनको वहां कुछ भूमि दे दी जानी चाहिये जिससे वे वहीं बस सकें और जिस खतरे की हमें आशंका है, वह उत्पन्न न हो।

मुझे यह जान कर हर्ष है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये छात्रावास बनवाने के लिये कुछ अनुदान स्वीकृत हुआ है। यदि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों के कल्याण पर और अधिक ध्यान दिया जा सके तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी। उनकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है क्योंकि वे हम जसे लोगों के पापों के उदाहरण हैं। उसके धर्म परिवर्तन कर लेने पर उसे छात्रावास में नहीं रखा जाता और उसकी सारी सुविधायें रोक दी जाती हैं।

मुझे बताया गया कि केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया गया था कि ऐसे लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब वे अनुसूचित जाति या आदिम जाति के नहीं कहलाते किन्तु उनकी दशा बड़ी खराब है, उन्हें अनुसूचित जाति के लोगों वाली सुविधायें दी जानी चाहिये। आशा है इस ओर मंत्री जी ध्यान देंगे।

अब जरा अंशकालिक अध्यापकों की दशा देखिये जिन्हें २५ रुपये प्रति मास वेतन मिलता है। चपरासियों तक को इसका दुगना वेतन मिलता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने मुझे बताया कि इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि वह इसकी जांच करेंगे।

मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : मैं श्री पुन्नूस के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि इस राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथों में चले जाने से स्थिति पहले से और भी खराब हो गई है। वहां के पदाधिकारी यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं।

मांगों के बारे में मुझे यह कहना है कि कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिये इमारतें बनवाने में हमें आपत्ति नहीं है किन्तु सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंत्रणादाता के शासन काल में इस कार्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा जा रहा है। अभी कुछ दिनों में केरल राज्य बनेगा तब जाकर निश्चित हो सकेगा कि इमारतें कहां बनाई जायें। इमारतें बनाना आवश्यक है किन्तु इसका निर्णय तो प्रतिनिधियों को करना है कि अमुक अमुक जिला कार्यालय वहां हो। अब मलाबार भी त्रावणकोर-कोचीन में सम्मिलित होने जा रहा है। अतः इमारतें बनवाने से कहीं अधिक अन्य महत्वपूर्ण कार्य अभी करने हैं।

मैं तो यह सलाह देता हूं कि इन कार्यालयों पर १०० लाख रुपये व्यय करने के बजाय प्रत्येक तालुक में एक-एक टेकनिकल स्कूल खोल दिया जाये जिसमें से प्रत्येक में सौ छात्रों को शिक्षा दी जा सके। इस प्रकार इन स्कूलों से राज्य का अधिक लाभ हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानता हूं कि इमारतों का होना अवश्यक है। मेरे त्रिचूर जिले में कार्यालय अलग-अलग बिखरे हुए हैं। वास्तव में यह तरीका भी गलत है। इसके अतिरिक्त देश में सीमेंट, लोहे और इस्पात की कमी है। यदि यह १०० लाख रुपये की राशि छोटे छोटे सिंचाई के कार्यों के विकास पर व्यय की जाये तो गांवों की दशा में अधिक सुधार हो सकता है। अतः यह चीज पहले करने की है। हमारे यहां इस समय इस चीज की आवश्यकता इमारत बनवाने से कहीं अधिक है।

हमारी संस्कृति भी यही है और हमारे राष्ट्रपिता ने भी यही सिखाया है कि हम नीचे से उन्नति करें। फिर इमारतों के बारे में तो आप देखेंगे कि सभी जगह यही हाल है। पढ़ लिखे लोग भी बेकार हैं। अतः इन बातों पर पहले विचार करना चाहिये था। फिलहाल मैं मांगों के विपरीत नहीं बोल रहा हूं।

जहां तक इमारतें बनवाने का संबंध है, त्रिचूर का उदाहरण ले लीजिये। वहां दो तीन मील की दूरी पर इमारत बनवाई जा रही है। फिर वहां कलकत्ता-बम्बई जैसी चार-पांच मंजिली इमारतें तो हैं नहीं। वहां तो दुमंजिली इमारतें तक नहीं हैं। अतः जो कार्यालय अभी हैं उनमें पदाधिकारियों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान हो सकता है।

दूसरी बात यह कि जो इमारतें वहां बनी हुई हैं वे कम वेतन पाने वाले अधिकारियों को दे दी जानी चाहिये। अमीर लोगों ने तो अन्य किसी चीज पर धन व्यय करने के बजाय अपनी इमारतें बनवाना आरम्भ कर दिया है। आवश्यकता तो क्लर्कों, चपरासियों और पुलिसमनों को है। अतः वे इमारतें इनके हाथ किराये पर उठाई जा सकती हैं। पांच वर्ष का एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा जिला मुख्यालयों की उनके कम वेतन वाले कर्मचारियों क लिये अपनी इमारतें बन जायेंगी।

विकास किसी स्थान विशेष में ही सीमित न रख कर चारों ओर अर्थात् सभी दिशाओं में होना चाहिये। वे जानती हैं कि लोगों की दशा सुधारने के लिये मंत्रियों तथा महाराजा ने कितनी अभिरुचि दिखाई थी। अब सरकार का लगभग चालीस औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र उन स्थानों पर होने चाहिये जहां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बहु संख्या हो। कुछ समय हुआ, विभिन्न गांवों में फैले हुए अनुसूचित जातियों के लोगों को एक स्थान पर बसाने का प्रयत्न किया गया था। ऐसे मामलों में की नाई यह है कि उन्हें रोजगार नही मिलता है। उन्हें काम के स्थान तक आने जाने के लिये कई मील पैदल चलना पड़ता है। यह प्रयत्न असफल रहा था और इसे त्याग दिया गया था। मेरा यह सुझाव है कि जहां अनुसूचित जातियों के सदस्य बहु-संख्यक हों वहां उन्हें प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं दी जानी चाहिये और प्रशिक्षण की अवधि के पश्चात् उन्हें कोई रोजगार मिलना चाहिये।

इसके साथ ही हमें यह देखना चाहिये कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों को केवल अनुसूचित जातियों तक ही सीमित न रखा जाये, सभी पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को भी इन में प्रशिक्षण मिलना चाहिये, उम्मीदवारों का चुनाव इस प्रकार किया जाय कि उन्हें यह अनुभव हो कि वे किसी से घटिया नहीं हैं। यह भावना केवल निकटतम सम्पर्कों द्वारा ही सम्भव हो सकती है। इस कार्य से संबंधित समिति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में जिस समिति ने उनकी परिस्थितियों की जांच की थी उसने एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है कि वे अत्यन्त मेहनत करने वाले लोग हैं परन्तु मध्यम व्यक्तियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है और इस कारण उनकी शोचनीय दशा है। उन्हें अपनी मेहनत का बहुत कम लाभ तथा माग मिलता है। सरकार को यह देखना चाहिये कि उनका शोषण बन्द हो, उन्हें अपने श्रम का उचित मुआवजा मिले और उनकी वस्तुएं खरीदी जाएं। उनके लिये न कोई अस्पताल हैं और न स्कूल हैं। पारम्बिकुलम में कृषि के लिये तथा लोगों को बसाने के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। विभिन्न समुदायों के परिवारों को,

[श्री अच्युतन]

यदि वे इच्छुक हों, तो वहां पर भेजा जा सकता है। विभिन्न लोगों को आपस म मिलना जुलना चाहियें ताकि वह बस्ती एक आदर्श बस्ती बन सके। अनुसूचित आदिम जातियों या अन्य पिछड़ी हुई जातियों कें लिये संस्थायें खोलते समय इस विशिष्ट बात को ध्यान में रखना चाहिये।

अब मैं सेवा आयोग से संबंधित मांग संख्या ९ की चर्चा करता हूं। हमने देखा है कि ४६,००० व्यक्तियों ने लिपिक तथा कंडक्टर की नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र भेजे थे। मेरा कहना केवल इतना है कि जब कंडक्टर के पद के लिए उम्मीदवारों को चुना जाय तो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से नहीं बल्कि सभी स्थानों से उम्मीदवारों को चुनना चाहिये और पर्याप्त रूप से प्रादेशिक प्रतिनिधान होना चाहिए। आयोग का कार्यालय त्रिवेन्द्रम में है और उम्मीदवारों को प्रायः बुलाया वहीं जाता है। इसलिए सभी प्रदेशों के उम्मीदवारों को लिया जाना चाहिए। बस के कंडक्टर के पद पर कम पढ़े लिखे लोगों को अधिमान देना चाहिये क्योंकि अधिक पढ़े लिखे उम्मीदवारों को कोई अन्य रोजगार भी मिल सकता है।

सरकार को त्रावनकोर-कोचीन में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये और योजनायें बनानी चाहिये। यह एक गम्भीर समस्या है और सलाहकार को सबसे अधिक ध्यान इस समस्या की ओर देना चाहिये। इस समस्या के राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक पहलू भी हैं।

फिर औद्योगिक संस्थाओं का प्रश्न भी है। सरकार द्वारा औद्योगिक संस्थाओं के लिये जो भूमि खरीदी गई थी उसके लिए कुछ प्रतिकर दिया गया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सलाहकार को अपने निजी प्रभाव से बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से धनी व्यक्तियों, व्यापारियों को हमारे राज्य की ओर आकर्षित करना चाहिए। यह सबसे अच्छा अवसर है। सलाहकार के छः महीने या बारह महीने के प्रशासन काल में यदि ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी। चाहे छोटे उद्योग हों, हथकरघा हो, खोदी और अन्य गांव उद्योग हों जब तक त्रावनकोर-कोचीन उद्योग विकसित नहीं होता तब तक उस राज्य के लिए कोई मुक्ति मार्ग नहीं है।

सलाहकार तथा संयुक्त सलाहकार दोनों अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वे शीघ्र ही वहां उद्योगों की स्थापना करें। यदि कुछ बड़े उद्योग भी स्थापित किये जायें तो हमें गर्व होगा कि राष्ट्रपति के प्रशासन काल में हमारा राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत हुआ था।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र श्री अच्युतन ने सलाहकार के प्रशासनकाल के संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

वहां पर सलाहकार एक प्रकार से तानाशाह है। वह यह अनुभव करता है कि वह कुछ भी कर सकता है।

उनके प्रथम पत्रकार सम्मेलन का समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से पहले मुझे कुछ पत्रकारों ने बताया था कि वह जिला कार्यालयों के लिए एक विशाल भवन निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले हैं। मैंने उन्हें बताया कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिये व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेज़ी में

न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। परन्तु हुआ वही, उन्होंने रुपया खर्च करना शुरू किया, उद्घाटन करना तथा शिलान्यास रखना प्रारम्भ किया, और इस संबंध में कोई मंजरी नहीं ली। वास्तव में यह योजना है क्या ? क्विलोन में जिला मुख्यालय के सुदृढ़ विशाल भवन हैं। इनका निर्माण दीवान वेलुथाम्पी ने किया था जो राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसका एक खुला अहाता है और सौ वर्ष पुराने पेड़ छाया दे रहे हैं। अब इन पेड़ों को काट डाला गया है ताकि विशाल भवन खड़े किए जा सकें। प्राचीन भवन के कुछ भाग भी गिरा दिये गए हैं। आप क्विलोन में जाकर स्वयं देख सकते हैं। यह सब जिला पदाधिकारियों के लिए भवन निर्माण करने के लिए किया जा रहा है जैसे कि आजकल वे पेड़ों के नीचे सोते हैं। एक ऐसे राज्य में जहां प्रत्येक वर्ग मील में १५०० से अधिक व्यक्ति रहते हैं, जहां जनता का बहुमत छोटी झोंपड़ियों में निवास करता है वहां जिला पदाधिकारियो के लिए १०० महल बनाये जा रहे हैं। दुर्दशा तो बेचारे गरीब इन्सान की है। यदि सिपाहियों के लिए, चपरासियों के लिए या निम्न श्रेणी के लिपिकों के लिए मकान बनाये जाते तो तब भी ठीक था। ११० लाख रुपये खर्च करना उद्दिष्ट है। और १०० रुपये की नाम मात्र की मांग की जा रही है ताकि अन्य भवन निर्माण के लिये बंटित राशि व्यपवर्तित की जा सके। ये सब क्यों किया जा रहा है ? क्योंकि उसने लोक-सभा से परामर्श किए बिना पहले ही यह घोषणा की है कि वह इस योजना को प्रारम्भ करेंगे। निश्चित रूप से यह इस सभा का अपमान है।

यदि इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है तो काजू उद्योग की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। यदि यह अनुसूचित जातियों का प्रश्न है तो भी काजू उद्योग में ५० प्रतिशत कर्मकार अनुसूचित जातियों के हैं और अन्य ४० प्रतिशत पिछड़ी हुई जातियों से संबंधित हैं। परन्तु इस उद्योग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस महान् प्रशासक ने एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया था परन्तु उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला है। इसलिये भवन निर्माण योजना भी समस्या का समाधान न कर सकेगी क्योंकि बेरोज़गारी न केवल जिला केन्द्रों में बल्कि सभी जगहों पर है।

छात्रावासों के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि १९३५ में मेरे राज्य ने हरिजनों के लिये मन्दिरों के द्वार खोल दिए थे। हो सकता है कि दूर दूर के स्थानों में कहीं अभी भी अस्पृश्यता हो। परन्तु उसे दण्डनीय अपराध करार देने वाली विधि भी विद्यमान है। अपराधियों को आप पकड़िये फिर कोई भी यह न कहेगा कि अमुक व्यक्ति अस्पृश्य है। वस्तुतः मेरे राज्य में बहुत से क्षेत्रों में यह है ही नहीं। इसलिए अनुदान छात्रावासों को नहीं बल्कि वहां पर बड़ी संख्या में रहने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिये। दस हजार रुपये का अनुदान केवल ५ या ६ व्यक्तियों के लिए लेने से क्या लाभ होगा ?

अब मैं एक या दो शब्द स्वास्थ्य इकाइयों के संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे राज्य में अस्पताल तो बहुत हैं परन्तु औषधि की समस्या है। अस्पतालों में सभी बीमारियों के लिए एक ही औषधि दी जाती है और वह है नमक मिला पानी। अस्पतालों को स्वास्थ्य इकाइयों में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रकार तीन चिकित्सकों के स्थान पर एक चिकित्सक रखा जा रहा है। हमारे राज्य में स्वास्थ्य विभाग सब से अधिक उपेक्षित तथा निष्प्रभावी विभाग है। चिकित्सा विभाग का तो फिर भी कुछ महत्व है परन्तु स्वास्थ्य विभाग के केवल नहरूआ के मामले में ही दर्शन होते हैं। इसकी एक इकाई है। राज्य में नहरूआ एक आम बीमारी है। इसलिये विस्तृत रूप से वैज्ञानिक गवेषणा करनी ही होगी और सामान्य स्वास्थ्य में कहीं अधिक सुधार करना होगा।

†**श्री वेलायुधन** : उपाध्यक्ष महोदय, त्रावनकोर-कोचीन राज्य के संबंध में जब कभी भी इस सभा में बात कही जाती है, आय व्ययक या अनुदान के लिए कहा जाता है तो मेरे मन को ठेस लगती है। इसका कारण यह है कि एक दल द्वारा जान बूझ कर मेरे राज्य में तानाशाही कायम की गई है।

हम एक छोटे अनुपूरक अनुदान पर वाद विवाद कर रहे हैं। हमारे राज्य में हरिजनों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जो कल्याण कार्य किया जाता है उसका हमारे सामने एक सामान्य चित्र है। हमें आश्चर्य है कि पिछले वर्षों में जब वहां एक उत्तरदायी सरकार थी तब इस अनुदान का उपयोग नहीं किया गया था। ज्ञापन में कहा गया है कि यह राशि अस्पृश्यता निवारण के वर्ग के अन्तर्गत आती है। अस्पृश्यता निवारण का नाम ले कर न केवल मेरे राज्य में बल्कि सारे भारत में गरीब जनता के नाम पर अत्यधिक धन खर्च किया जाता है, परन्तु यह धन गरीब व्यक्तियों को नहीं मिलता है बल्कि निहित स्वार्थों वाले व्यक्तियों की जेबों में चला जाता है। मुझे इस संबंध में अपने तथा अन्य राज्यों से शिकायतें मिली हैं। इस निधि का उपयोग कांग्रेस प्रोपैगेंडा निधि के एक भाग के रूप में भी किया गया था और अस्पृश्यता निवारण निधि के रूप में नहीं किया गया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कांग्रेस प्रोपैगण्डा में अस्पृश्यता निवारण भी सम्मिलित है।

†**श्री वेलायुधन** : आपस में ही। मेरे साथी श्री श्रीकान्तन नायर ने कहा है कि यह राशि छात्रावासों को नहीं बल्कि सीधे विद्यार्थियों को देनी चाहिये। मुझे मालूम है कि हमारे राज्य के छात्रावासों में हरिजन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों से छात्रावास के अधिकारी कितना बुरा व्यवहार करते हैं। ये छात्रावास संभवत: पिछड़े वर्गों संबंधी आयुक्त के विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा या कुछ बार स्वयं कॉलिज की ओर से और गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा भी खोले जाते हैं। अब इन विशिष्ट व्यक्तियों या संस्थाओं को अनुदान रूप में राशि दी जा रही है। इस प्रक्रिया द्वारा आप इन विद्यार्थियों को एक प्रकार से दमन कर देंगे। तीन या चार वर्ष पहिले हरिजन संस्थाओं द्वारा स्थापित बहुत से छात्रावास थे। परन्तु कांग्रेस द्वारा सत्ता संभालने के बाद इन्हें बन्द कर दिया गया और उनके अपने लोगों ने छात्रावास खोल लिए।

यह धन का दुरुपयोग है क्योंकि हरिजनों के नाम पर धन का अनुचित लाभ उठाने के प्रयोजन से उन्हों ने अपने आदमियों में राशि बांट दी है। जिस बस्ती के लिए योजना दी गई है उसके संबंध में सरकार ने यह नहीं बताया है कि वहां किन उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। केवल यह कहा गया है की मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन जैसी कोई बात होगी। बहुत सी ऐसी उप जीविकायें तथा धंधे हैं जिनमें हरिजन चिरकाल से कार्य करते आ रहे हैं। उदाहरणार्थ बांस उद्योग, दियासलाई बनाना, बढ़ई का काम आदि, इनकी अपेक्षा सरकार उन्हें मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देना चाहती है। इसमें भी एक चालाकी है और वह यह कि प्रशिक्षक, अन्य जाति के लोग होंगे। ये तुरंत मधुमक्खी पालन केन्द्र खोलेंगे और अनुदान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार एक विशिष्ट जाति को अनुदान मिल सकेगा और हरिजनों को कुछ न मिलेगा। इसी प्रकार कुछ औद्योगिक केन्द्र भी कांग्रेसी लोगों ने खोले हैं। हरिजनों को वास्तव में कुछ नहीं मिलता है। सरकार द्वारा हरिजन छात्रावास बन्द करने का कारण भी यही है कि हमारे राज्य के हरिजन ज्यों ही अपने पैरों पर खड़े होने लगें उन्हें साम्यवादी करार दे दिया गया। हरिजन छात्रावासों या कालिजों में अध्ययन प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को साम्यवादी कह कर अनुदान वापिस ले लिये गए, वस्त्रों तथा पुस्तकों के लिए उनकी छात्रवृत्तियां भी बन्द कर दी गईं। अब हरिजन उद्धार के नाम पर सभी जातियों के लिए छात्रावास खोला जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे राज्य में अनुसूचित आदिम जातियों के लोग आज भारत में सब से अधिक पिछड़े हुए हैं। सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया हैं। बल्कि पिछले आय-व्ययक में उनके लिए बंटित राशि भी व्यपगत हो गई है। मैंके समिति नियुक्त की गई थीं। मैके एक युरोपीय उत्पादक है और उसे अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये समिति का सभापति नियुक्त किया गया था। हरिजन सेवक संघ को यह कार्य क्यों नहीं सौंपा गया? इसके पीछे भी एक इतिहास है। यह समिति अनुसूचित आदिम जातियों के लिये दो लाख या चार लाख रुपये खर्च करना चाहती है। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि यह रकम अनुसूचित आदिम जातियों को नहीं बल्कि निहित स्वार्थ वालों को, कुछ कांग्रेस के लोगों को मिलेगी।

अस्पतालों के संबंध में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में हरिजन अस्पताल केवल पशुवध गृह हैं जहां लोगों का वध किया जाता है। अस्पताल में दाखिल होने के लिए न केवल डाक्टर को बल्कि अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। मुझे एरनाकुलम का एक मामला ज्ञात है। एक गर्भवती हरिजन स्त्री वहां अस्पताल में दाखिल किए जाने के लिए लाई गई थी। डाक्टर ने कहा कि अभी बच्चे के जन्म में १० या पन्द्रह दिन लगेंगे, परन्तु वापस जाते हुए नाव में ही उस स्त्री के बच्चा हो गया। त्रावणकोर-कोचीन राज्य में अब ये कहानियां बन गई हैं।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में बहुत सुन्दर इमारतें बन गई हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मैनन ने एक शानदार महल खड़ा किया है जिसके संबंध में सम्भवतः अब भी जांच हो रही है। श्री राव इन बड़े बड़े इमारतों को बना कर श्री मैनन का अनुसरण कर रहे हैं।

इन मकानों के टेन्डर भी कांग्रेसजनों को दिए गए हैं। दो ठेकेदार हैं, एक श्री मानी तथा दूसरे सज्जन श्री मेहता हैं। एक और श्री मानी थे जो अब नहीं रहे। उनके बारे में कई प्रकार की बातें बताई जाती थीं। सरकार को ऐसी मांगों के प्रस्तुत करने से पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिये कि काम किस प्रकार से हो रहा है।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम) : अस्पतालों को उच्चस्तरीय बनाने के लिए उनकी संख्या को सीमित रखना पड़ता है। इसके साथ ही यह जरूरी है कि जहां जिला अस्पताल उच्चतम स्तर के हों वहां कुछ घटिया स्तर के अस्पताल भी स्थापित किए जांय। उन क्षेत्रों में अच्छे अस्पताल तक पहुंचने में तीस तीस मील तक का अन्तर तय करना पड़ता है। जिला नगर के रहने वालों के अतिरिक्त दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिये।

पिछले मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों की भलाई के निमित्त कई प्रकार की सहायता संबंधी कुछ सिफारिशें की थीं। उस राज्य में पिछली दो पीढ़ियों में बहुत से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया है। उनकी आर्थिक दशा अब भी अन्य अनुसूचित जातीय व्यक्तियों जैसी ही है। केवल धर्म परिवर्तन से ही ऐसे व्यक्तियों को उन सब लाभों का मिलना बन्द हो जाता है जो प्रायः अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मिलते हैं।

मैं एक कालिज का प्रिंसिपल रहा हूं और इसलिये मुझे पता है कि अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले मेरे विद्यार्थियों को पर्याप्त भत्ते मिलते थे, परन्तु ये रियायतें केवल उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो ईसाई नहीं बने हैं। वे विद्यार्थी जोकि मल रूप से तो इन्हीं जातियों से संबंध रखते हैं परन्तु अब ईसाई बन गये हैं, उन्हें बहुत कम रियायतें मिलती हैं। अतः इस धर्म निरपेक्ष राज्य में जाति तथा धर्म पर आधारित इस प्रकार की भेद-भाव पूर्ण नीति नहीं होनी चाहिये। सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाये—इस सिद्धांत को न ही केवल कांग्रेसियों ने स्वीकार किया है अपितु राज्य की सभी पार्टियों ने स्वीकार किया है। और फिर वहां के मंत्रालय ने भी इस बारे में सिफारिश की है। अतः मेरा निवेदन है कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अय्युण्णि** (त्रिचूर) : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में राष्ट्रपति का शासन अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो रहा है। वहां की जनता यह अनुभव कर रही है कि वहां का शासन अब पर्याप्त सुधर रहा है, और वहां जनता चाहती है कि राष्ट्रपति जी का शासन वहां पर और अधिक समय तक जारी रहे।

उसका कारण बिलकुल स्पष्ट है। वहां पर जब से राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि आया है, वहां पर प्रशासन कार्य सुचारु रूप से तथा शीघ्र गति से चलने लग पड़ा है। अब किसी भी काम में व्यर्थ में अधिक देर नहीं लगती।

अब वहां की स्थिति लगभग बदल गयी है। अब सम्बन्धित पदाधिकारियों को स्पष्टतः अनुदेश दे दिये गये हैं कि मामलों को जल्दी से निपटा दिया करें और केवल अपील के मामले ही सलाहकार के पास भेजे जायें। जिलों से संबंध रखने वाले मामलों का फैसला जिलाधीश करें। इस प्रकार के विकेन्द्रीकरण का यह लाभ हुआ है कि अब सारा काम अत्यन्त सुन्दर प्रकार से तथा सुचारु रूप से चल रहा है।

और फिर वहां के सलाहकार अत्यन्त योग्य तथा न्यायप्रिय तथा निष्पक्ष हैं। श्री वेलायुधन का यह आरोप बिलकुल गलत है कि वहां पर अधिकतर ठेके कांग्रेसियों को दिये जाते हैं। ठेके तो टेन्डरों के द्वारा दिये जाते हैं और जिस की दर सब से कम होगी उसी को दिये जायेंगे। अतः कांग्रेसी और गैर-सरकारी में अन्तर का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः जब कि टेन्डर मांगने के बाद ही उचित प्रकार से ठेके का फैसला किया जाता है, इस प्रकार से कांग्रेस पर आरोप लगाना अनुचित है।

मैं उनके इस कथन से भी सहमत नहीं हूं कि अस्पताल केवल बूचड़खाने हैं। हो सकता है कि एक या दो मामलों में डाक्टरों ने उचित सम्मति न दी हो, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां सभी लोग मरे जा रहे हैं। वहां पर जो व्यक्ति भी दवाई के लिये जाते हैं उनमें अधिकतर लोगों को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। कोचीन राज्य के विलय से पूर्व उस राज्य में पिछले कई वर्षों से दवाइयों की दृष्टि से हमें कोई भी कठिनाई न थी, दवाइयों की कोई कमी न थी। परन्तु विलय के बाद कुछ कठिनाई आयी है, दवाइयों की कमी का अनुभव किया जा रहा है। अस्पतालों में अच्छी दवाइयां नहीं हैं। इंजैक्शनों के लिये दवाइयां वे नहीं देते, रोगियों को स्वयं खरीद कर लानी पड़ती हैं। मैं पूछना चाहता था कि इस प्रकार की स्थिति कब तक चलती रहेगी।

जहां तक भवनों का संबंध है, यह सच है कि बहुत से सरकारी दफतर किराये के मकानों में काम कर रहे ह। अतः सरकार की प्रतिष्ठा तथा मान का रक्षण करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी दफ्तरों के लिये सरकार के अपने भवन हों। परन्तु इस संबंध में मुझे यही आपत्ति है कि इसके लिये मांग करने से पहले उस राज्य के संसद् सदस्यों से सलाह लेनी थी। उनसे कोई सलाह नहीं ली गयी है---यह ठीक बात नहीं हुई है।

जहां तक इस राशि के उपयोग का संबंध है मेरा निवेदन है कि उसका अधिकांश भाग चपरासी आदि निम्न कर्मचारियों के मकानों के लिये खर्च किया जाये, और न कि बड़े बड़े शानदार महलों के लिये। मैं चाहता हूं कि इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया जाये।

†**श्री म० च० शाह** : ये अनुपूरक मांगें बिलकुल साधारण सी हैं और मैं समझता था कि सभा द्वारा स्वीकृत प्रथा के अनुसार 'नयी सेवाओं' के अतिरिक्त अन्य मामलों के संबंध में नीति के प्रश्नों पर चर्चा नहीं होगी। जहां तक भवनों का संबंध है, १०० रुपये की एक सांकेतिक मांग की गयी थी और वह एक नयी सेवा थी। उससे सम्बन्धित नीति के प्रश्न को मैं अच्छी प्रकार से समझ गया था। तो भी, क्योंकि ये मामले त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सदस्यों के लिये चिन्ताजनक हैं, इसलिये उन्हों ने

---

†मूल अंग्रेजी में

इन अनुपूरक मांगों के अवसर पर अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया है। हम इस वाद-विवाद की कार्यवाही को प्रशासक के पास भेज देंगे ताकि वह इस वाद-विवाद में दिये गये सुझावों पर विचार करें।

मैं केवल दो तीन बातों का उत्तर देना चाहता हूं। जहां तक लोक स्वास्थ्य केन्द्र आदि से संबंध रखने वाली बातों का संबंध है, उनका उत्तर तो स्वास्थ्य उपमंत्री द्वारा दिया जायेगा। श्रम संबंधी प्रश्नों का उत्तर भी श्री आबिद अली देंगे और प्रशासन संबंधी प्रश्नों का उत्तर श्री दातार द्वारा दिया जायेगा।

जहां तक वित्त मंत्री का संबंध है, उसने इन अनुपूरक मांगों को सभा में मत के लिये प्रस्तुत किया है और इसलिये इन मांगों से संबंध रखने वाले प्रश्नों का उतर मैं दूंगा।

श्री अ० म० थामस ने यह पूछा है कि १०० रुपये की इस सांकेतिक मांग को अब क्यों प्रस्तुत किया गया है और यह कहा है कि इसे उसी समय प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया था जब सभा में मार्च-अप्रैल में आय व्ययक प्रस्तुत किया गया था, जब सभा में त्रावनकोर-कोचीन के आय-व्ययक पर चर्चा हुई थी और उस राज्य के लिये अनुदानों की मांगें पारित की गयी थीं। इस संबंध में उनकी शिकायत है तो उचित, परन्तु हमें परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिये। संभवत: मेरे मित्र को ज्ञात होगा कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य का आय-व्ययक पहले त्रावनकोर-कोचीन की विधान-सभा में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद, एक दम राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा हो गयी थी, इसलिये जब उस आय-व्ययक को यहां प्रस्तुत किया गया तो प्रशासक के पास इतना समय न था कि वह आय-व्ययक के सभी ब्योरों और सभी आवश्यकताओं पर विचार कर सकता। वास्तव में, वित्त मंत्री को उन पूर्ववर्ती आय-व्ययक सुझावों पर ही विचार करना पड़ा और फिर बाद में वही आय-व्ययक इस सभा में प्रस्तुत किया गया था। हमारा यह ख्याल था कि त्रावनकोर-कोचीन की प्रस्थापनायें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में निर्धारित तथा उसके प्रथम वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की दृष्टि से बहुत अधिक हैं। इसीलिये कई मदों में से धन को कम करने पर विचार किया गया था। परन्तु क्योंकि प्रशासक द्वारा सारे मामले पर विचार करने का समय नहीं था, इसलिये हमें उन मांगों को उसी रूप में प्रस्तुत करना पड़ा जिस रूप में वे राज्य की विधान-सभा में प्रस्तुत की गयी थीं।

अत: उस समय हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम वहां के प्रशासन द्वारा शुरू की जाने वाली बातों की अविलम्बनीय आवश्यकताओं पर विचार कर सकते। जब प्रशासक ने वहां का काम अपने हाथ में लिया तो उसने अनुभव किया कि वहां तीन स्थानों पर कार्यालय भवन तथा आवास मकानों के निर्माण की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसीलिये उसने ११० लाख रुपये के खर्च की प्रस्थापना भेजी है। और वह खर्च पारित आय-व्ययक में की गयी बचत से पूरा किया जा सकता है।

†**श्री अ० म० थामस** : प्रशासक से ११० लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च की प्रस्थापना कब प्राप्त हुई थी ?

†**श्री म० च० शाह** : वह प्रस्थापना संसद् द्वारा आय-व्ययक पास कर देने के बाद प्राप्त हुई थी। इसीलिये आय-व्ययक में १०० रुपये की यह सांकेतिक मांग की गयी है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को वहां पर कार्यालयों तथा आवास के लिये भवन बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में तो हमें इस प्रकार के निर्माण कार्यक्रम का स्वागत करना चाहिये क्योंकि त्रावनकोर-कोचीन के सभी सदस्य यह अच्छी प्रकार से अनुभव करते हैं कि यदि वहां के पदाधिकारियों को अलग अलग किराये की इमारतों में बखेर दिया जायेगा तो उससे उनकी प्रवीणता कम हो जायेगी। अत: उस राज्य के कर्मचारियों से यथासंभव अधिक से अधिक प्रवीणता से काम लेने के लिये यह आवश्यक है कि उनके कार्यालयों तथा आवास के लिये उपयुक्त भवन बनाये जायें। क्योंकि यह कार्यवाही राज्य के कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रवीण बनाने के लिये है, इसलिये मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की इमारतों के निर्माण में किसी उत्तरदायी सदस्य को कोई आपत्ति होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री म० च० शाह]

श्री वेलायुधन ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं का जो विरोध किया है, उससे मुझे कुछ आश्चर्य सा हुआ है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लोग इस बात को नोट कर लें कि श्री वेलायुधन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याणकारी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं।

यदि माननीय सदस्य इन सभी योजनाओं को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयत्न करते तो वे उनका विरोध करने की अपेक्षा उसकी अच्छी बातों को अनुभव करते। ये योजनायें लगभग २३,३७१ परिवारों की दशा को सुधारने तथा उनके हित के लिये हैं। इनके अधीन निम्नलिखित कार्यवाहियां की जायेंगी। एक औद्योगिक तथा कृषि सहकारी संस्था की स्थापना ; मुर्गी पालन तथा मधु मक्खी पालन के प्रदर्शन केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सहकारी खेती का काम करना। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रावास भी बनाये जा रहे हैं। मकान बनाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को ७५० रुपये का ऋण दिया जा रहा है। और १२ नल कूप बनाये जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक पर १०,००० रुपये का खर्च आयेगा। इसके अतिरिक्त १२५ परिवारों को कृषि के उन्नत उपायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रत्येक परिवार पर २०० रुपये का खर्च होगा। फिर इन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी हुई जातियों के हित के लिये कई अग्रिम योजनायें भी हैं। अतः मैं श्री वेलायुधन की बातों को सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ हूं जोकि केवल यही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस राज्य ने कुछ भी नहीं किया है। मैं समझता हूं कि वह वास्तव में तो कांग्रेस के टिकट पर आये थे, परन्तु बाद में उनका दल बदल गया है। अस्तु, तथ्य यह है कि यहां पर मांगी गयी सारी राशि देश के विकास के लिये है।

†**श्री वेलायुधन** : मंत्री महोदय में समझने की क्षमता नहीं है।

†**श्री म० च० शाह** : माननीय सदस्य यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विशेष राशि विशेष नियत प्रयोजन के लिये इस्तेमाल नहीं की गयी है। राशियों के खर्च हो जाने तथा उनका लेखा परीक्षण हो जाने के बाद ही तो कोई देख सकता है कि क्या किसी विशेष राशि का उचित प्रकार से प्रयोग किया गया है या नहीं।

ये राशियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये हैं। मैं इस प्रकार की शिकायतों को तो उचित समझता यदि यह कहा जाता कि इस संबंध में व्यवस्थायें उदार नहीं हैं और उन्हें और अधिक उदार बनाना चाहिये था जैसा कि त्रावनकोर-कोचीन ने यह प्रार्थना की है कि उनकी राशि १३ लाख से बढ़ा कर २५ लाख रुपये कर दी जाये। हो सकता है कि किसी जगह कुछ धन व्यर्थ में व्यय हो गया हो, परन्तु लोक प्रशासन में इस प्रकार का थोड़ा सा भ्रष्टाचार तथा व्यय हो ही जाता है। परन्तु तथ्य यह है कि ये सभी राशियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हित के लिये ही इस्तेमाल की गयी हैं।

लोक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में भी कुछ आलोचना की गयी है। इसके सबंध में भी नीति सभा द्वारा पहले ही स्वीकार किया जा चुका है ; जब त्रावनकोर-कोचीन का आय-व्ययक सभा के सामने था, उस समय ये योजनायें थीं। योजनायें त्रावनकोर-कोचीन में स्वास्थ्य की दशा को सुधारने के संबंध में हैं। २० औषधालय इन लोक स्वास्थ्य केन्द्रों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। यदि आप उन २० औषधालयों से अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो वहां के कर्मचारियों के लिये प्रबन्ध कीजिये। ये अनुपूरक मांगें इन २० औषधालयों के लिये कर्मचारी नियुक्त करने के लिये हैं जोकि १ अप्रैल, १९५६ को स्थानान्तरित किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस समय यह जानना सम्भव न था कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अतः यह अनुपूरक मांगें सभा के समक्ष रखी गई हैं। मैं महसूस करता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के सभी सदस्यों को त्रावनकोर-कोचीन राज्य में ऐसी परियोजना के आरम्भ किये जाने का स्वागत करना चाहिये।

मैं कुछ मुख्य बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। श्री पुन्नूस ने एक प्रश्न उठाया था कि क्या वहां बचत होगी भी या नहीं। हम यह अभी कैसे बता सकते हैं? संसद् ने मई १९५६ में आय-व्ययक पारित किया है। अब व्यय किया जा रहा है और बहुत सी योजनायें हैं। हम दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते कि बचत होंगी या नहीं। यह अन्त में या कदाचित उस समय, जब हम पुनरीक्षित प्राक्कलन इस सभा में या उस राज्य के विधान मंडल में यदि उस समय वह विद्यमान हो रखें, देखा जा सकता है। आज, हमने सभा के समक्ष अनुपूरक मांगें रखने में सम्भाव्य बचतों का ही ध्यान रखा है। यही कारण है कि हमने इमारतों के बारे में १०० रु० की प्रतीक मांग रखी है। हमें आशा है कि हम बचत में से ११० लाख रुपये का व्यय पूरा कर सकेंगे। फिर, लोक स्वास्थ्य के बारे में भी, हम ने केवल १९,००० रु० की मांग की है जब कि वास्तविक व्यय १,७१,६०० रु० होगा, क्योंकि परामर्शदाता ने सारे मामले की जांच कर ली है और देखा है कि बचत में से या विनियोग द्वारा व्यय का पूरा किया जाना सम्भव है। जहां कहीं बचत या पुनर्विनियोग हो सकता है, वहां हमने उसका ध्यान रखा है। अतः श्री पुन्नूस के प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर जनवरी में, जब पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं दिया जा सकता है।

मेरा ख्याल है कि सभा मेरे साथियों के अपने अपने मंत्रालयों संबंधी बातों का उत्तर देने के बाद, अनुपूरक मांगों को स्वीकार करेगी।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं केवल काजू उद्योग के बारे में ही कुछ कहूंगा। क्विलोन क्षेत्र में लगभग १५० कारखाने हैं जिनमें से १०५ कारखाने तो मालिकों द्वारा चलाये जाते हैं तथा शेष कारखाने या तो किराये पर लेने वालों के द्वारा चलाये जाते हैं और या बंद रहते हैं। सारे कारखाने कभी भी १२ मास नहीं चलते और न ही वे सारे मजदूरों को लगातार रोज़गार मिला रहता है। इसके दो कारण हैं। पहिला यह है कि सारे कारखानों की कच्चे बीजों के भूनने की क्षमता २ लाख टन प्रति वर्ष है। देश में लगभग ६०,००० टन उत्पादन होता है और इतनी ही मात्रा का बाहर से आयात किया जाता है। इससे इन कारखानों की केवल ६० प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। परिणामतः अधिकतर काजू कारखाने वर्ष में नौ मास काम करते हैं और शेष काल में बन्द रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उस समय, जब कि कारखाने बन्द रहते हैं, अनेकों मज़दूर बेरोजगार हो जाते हैं। उनमें से कुछ कृषि और अन्य व्यवसाय करते हैं।

कुछ समय हुआ कि इस उद्योग के सारे क्लर्कों, आदि ने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के अधीन हड़ताल की थी तथा एक मांग रखी गई थी कि इस उद्योग के कर्मचारियों को निरन्तर कर्मचारी घोषित किया जाय। उन्हों ने केन्द्रीय सरकार के पास भी अभ्यावेदन भेजा था। तब से राज्य सरकार ने इसे वर्ष भर काम करने वाला उद्योग उद्घोषित कर दिया है।

सामग्री के अभाव के बारे में सदस्यों को विदित है कि द्वितीय योजना में इस उद्योग की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है तथा मुझे विश्वास है कि परिस्थिति में यथासम्भव सुधार हो जायेगा। साधारणतया अधिकांश कारखाने वर्ष में एक मास तक बन्द रहते हैं।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जहां पहले ये कारखाने वर्ष में एक या दो मास से अधिक बन्द नहीं रहते थे, वहां अब ये छः मास बन्द रहते हैं।

†**श्री आबिद अली** : इन में से अधिकतर कारखाने वर्ष में तीन मास बन्द रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : माननीय सदस्य श्री थामस ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में नहरूआ नियन्त्रण के बारे में सभा को बताया है। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि १९५४–५५ में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिए दो सर्वेक्षण इकाई और एक नियन्त्रण इकाई इस दृष्टि से नियत की गई थी कि वे यह पता लगाये कि नहरूआ कितना फैलता है और नियन्त्रण के पहिले की जानकारी एकत्रित करें। हमारी जानकारी के अनुसार काम में प्रगति हो रही है, परन्तु इसे भी अनुसूचित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि टी० सी० एम० को जिस आवश्यक उपकरण और कीट नाशक तथा अन्य औषधियों का सम्भरण करना था, उसमें देर हो गई। उस के और प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण, कार्यक्रम व्यवस्थानुसार न चल सका। प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव को दूर करने के लिए भारतीय मलेरिया संस्था में प्रशिक्षण होता है और त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने कुछ निरीक्षक और चिकित्सा अधिकारी भेजे हैं। १९५५–५६ में ५ निरीक्षकों और २ चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था; १९५६–५७ में दो निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था।

दो सर्वेक्षण इकाइयों में एक अब त्रिवेन्द्रम क्षेत्र में काम कर रही हैं और इकाई शीघ्र ही क्विलोन क्षेत्र में काम आरम्भ करेगी। एक नियन्त्रण इकाई अब त्रिवेन्द्रम नगर में, एरणाकुलम और मत्तनचेरी क्षेत्र में काम कर रही है। १९५६–५७ में दो नियन्त्रण इकाइयों के नियत करने का प्रस्ताव है। भारतीय मलेरिया संस्था ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर एरणाकुलम और शेरवालाई के बीच के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था।

जहां तक उस मांग का संबंध है, जिसके लिये हमने १९,००० रु० की अनुमति की प्रार्थना की है, वह बीस औषधालयों को चिकित्सा विभाग से लेकर लोक स्वास्थ्य विभाग को देने के लिये है। यदि परिवर्तित औषधालय लोक स्वास्थ्य इकाइयों के रूप में ठीक ढंग से काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तथा उसके लिए ७१,६०० रु० की मांग रखी गई। इनसे अधिकतर औषधालयों की इमारतें ठीक नहीं हैं। अतः बहुत मरम्मत करनी होगी। और इसके लिये १ लाख रु० की मांग रखी गई है। इस प्रकार योग १,७१,६०० रु० हो जाता है। परन्तु मूल अनुदान में १,५२,६०० रु० की बचत हो गई है और इस राशि को घटा कर अनुपूरक मांग १९,००० रु० की की गई है। मेरा ख्याल है कि यह अधिक नहीं है और सभा इसे स्वीकार करेगी।

†**श्री अच्युतन** : औषधालयों की अपेक्षा लोक-स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या अधिक सुविधायें होंगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : वे नीरोगकारी और निरोधक काम करेंगे। मैं समझती हूं कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयां प्रसूति तथा शिशु-कल्याण कार्य भी करेंगी।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: जैसा कि श्री शाह ने बताया है, माननीय सदस्यों ने त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति के प्रशासन पर टिप्पणियां की हैं। यह केवल चार या पांच अनुपूरक मांगों पर विचार करने का अवसर है। इनमें से एक तो नई सेवा के लिए है और अन्य उन मदों के बारे में है जो पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। इन परिस्थितियों में, प्रथा के अनुसार, सामान्य नीति के किसी प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकती। हां, नई सेवा के मामले में, जहां तक आवश्यक है, चर्चा हो सकती है। परन्तु, श्रीमान्, आपको विदित है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने केवल राष्ट्रपति के शासन की ही नहीं अपितु पहिले शासनों की भी आलोचना की है। राष्ट्रपति के शासन के बारे में यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सभा के कई सदस्यों ने उस राज्य में मंत्रणादाता के कार्य की बहुत सराहना की है। हम इस बात के इच्छुक हैं कि त्रावनकोर-कोचीन में लोकप्रिय सरकार बनने पर उसके हाथ में एक शासन दें जो कार्य में कुशल हो तथा उसमें प्रायः वे दोष न हों जो वहां उत्पन्न हुए हों। वहां हमारा यही उद्देश्य है और इसकी दृष्टि से ही मन्त्रणादाता वहां का शासन चला रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वर्तमान चर्चा के बारे में तीन या चार बातें उठाई गई हैं। एक बात यह है कि अनुसूचित जातियों के हित का उचित ध्यान नहीं रखा गया है। जिस ढंग से मेरे माननीय मित्र श्री वेलायुधन आलोचना करते हैं उसके लिए मुझे दुख है क्योंकि वह अनियन्त्रित और अनावश्यक रूप से कटु हैं। आलोचना करते समय उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इससे वह अपने ही उद्देश्य को हानि पहुंचा रहे हैं। उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों को लीजिये। केन्द्रीय सरकार और सारी राज्य सरकारें उनकी आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में सुधार करने की इच्छा रखती हैं। यही कारण है कि इन गरीब लोगों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये बड़ी बड़ी धन राशियां व्यय की जा रही हैं। परन्तु मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि यह धन बरबाद किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि केवल त्रावनकोर-कोचीन में ही नहीं अपितु देश भर में ये राशियां बरबाद की जा रही हैं। इस कथन में कोई सत्यता नहीं है।

हम अस्पृश्यता के महारोग को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य को यह भी समझना चाहिये कि सरकार ने प्रथम पंच वर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये इसलिये रखे थे कि अस्पृश्यता के कुप्रभाव में काम करने वालों में प्रोपैगंडा किया जाय। यह प्रोपैगंडा केवल हरिजनों में ही नहीं अपितु अन्य लोगों में भी, विशेषकर जाति से बहिष्कृत हिन्दुओं में, करना है। इस उद्देश्य से यह प्रोपैगंडा अच्छी प्रकार से किया गया है और मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दिलाता हूं कि जहां तक इस औचित्य का संबंध है, हमें बहुत अच्छे और प्रदर्शनीय परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह अब भी विद्यमान है तथा इसी कारण हमने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अस्पृश्यता निवारण के लिये कुछ राशि रखी है। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि यह बड़ी राशि तनिक भी बरबाद नहीं की जाती और न ही यह अनोत्तरदायी एजेंसियों को व्यय करने के लिये दी जाती है। उन्हें यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिये कि हम इसमें से राज्य सरकारों को अनुदान देते हैं और सब मामलों में राज्य सरकारें स्वयं कार्य करती हैं या मान्यताप्राप्त एजेंसिया कार्य करती हैं।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** एक औचित्य के प्रश्न पर। माननीय मंत्री को चाहिये कि वह अध्यक्षपीठ को सम्बोधन करें, सदस्य को नहीं। फिर, क्या सदस्य का उल्लेख करने का यह ढंग है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि कोई मंत्री कहता है कि उसे (कोई सदस्य) उस ढंग से नहीं कहना चाहिये था जिस ढंग से उसने कहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**श्री दातार :** इस बड़ी राशि में से या तो स्वयं राज्य सरकारें व्यय करती हैं या वे मान्यता-प्राप्त एजेंसियां व्यय करती हैं जो राज्य सरकारों को लेख प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन लेखों का भी उचित लेखा परीक्षण होता है। फिर, हमने भी कुछ अखिल भारतीय संस्थाओं को मान्यता दी है और सब संस्थायें सब विघ्नों के होते हुए भी यह कार्य भली प्रकार कर रही हैं। अतः मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करता हूं कि वह उस कार्य के महत्व को कम न करें जो हरिजनों की असुविधाओं के निवास और आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये किया जा रहा है। ये बहुत बड़े काम हैं जिन्हें सरकार अत्यधिक महत्व देती है, क्योंकि इन जातियों की कुल जन संख्या सात करोड़ है अर्थात् जन संख्या का पांचवां भाग। उन्हें अन्य जातियों के प्रगति-मान पर लाना है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो लोकतन्त्र सफल नहीं होगा।

अब मैं इमारतों के प्रश्न पर आता हूं। इमारतें दो प्रकार की हैं। एक तो मुख्यालयों के स्थान पर हमारे अधिकारियों के लिये हैं और, स्वभावतः वहां रहने के क्वार्टर हैं। मेरे लिये यह एक आश्चर्य की बात थी कि इन तीन जिलों में कोई भी अच्छी इमारतें नहीं थीं। इस संबंध में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। हमारे जिले के कार्यालय सरकारी इमारतों में स्थित होते हैं और इन जिलों में कोई भी इमारत इस योग्य नहीं कि वहां पर सरकारी कार्यालय बनाया जा सके। दूसरे,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण कार्यालयों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। अतः अब किराये की इमारतों में सरकारी कार्यालय चलाने का कोई लाभ नहीं होगा। किराये की इमारतों में कई बाधाएं रहती हैं। फिर उनमें एक साथ इतना स्थान भी नहीं मिल सकता है जितना कि हमें जिला के किसी कार्यालय के लिये चाहिये। हमें अच्छी तरह पता है कि एरणाकुलम एक बड़ा शहर है। मगर उसकी आवश्यकताएं इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि उन तीन जिला नगरों की। इसलिये यह योजना बनाई गई है। यह कल्पना करना भ्रामक होगा कि ये कार्यालय केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये ही है। ये कार्यालय जनता के लिये होते हैं। लोगों को अनेकों बार कार्यालयों तथा अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। हम कार्यालयों को महलों में नहीं ले जा रहे हैं। हम तो केवल उन्हें एक अच्छा कार्यालय बनाना चाहते हैं। हम ऐसे कार्यालय बनाना चाहते हैं जो कि सुन्दर की अपेक्षा उपयोगी अधिक हों। हां उनको बनाते समय हम वास्तुकला का ध्यान अवश्य रखना चाहते हैं। किन्तु मुख्यतया हम लोगों की सुविधा का ही अधिक ध्यान रखेंगे। फिर सिर्फ कार्यालयों की ही इमारतें नहीं बनेंगी। हम कई प्रकार की इमारतें बनाना चाहते हैं। हम ९ प्रकार की इमारतें बनवा रहे हैं। हम प्रत्येक जिले के प्रत्येक विभाग के लिये इमारतें बनवाना चाहते हैं मगर फिर भी हम उन पर अधिक रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं। हम प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों जिनमें चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं के लिये रहने के आवास भी बनवाना चाहते हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता है। हम अन्य विभागों से भी इसके लिये रुपया निकाल रहे है। सलाहकार ने इस कार्य को शुरु कर दिया है। सभा को इस योजना को समझने का प्रयत्न करना चाहिये। यह सब कुछ प्रशासन को सुधारने के लिये किया जा रहा है। और किसी भी प्रशासन के लिये अच्छी तरह कार्य करने के लिये एक अच्छी इमारत का होना बड़ा आवश्यक है।

अब मैं पुलिस के रहने के लिये स्थान बनाने की बात को लेता हूं। हमारे सामने लगभग प्रत्येक राज्य में यह समस्या वर्तमान है। किन्तु हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है। इसी वर्ष हमने इस ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया है। हमने भिन्न भिन्न सरकारों को निम्न श्रेणी के कर्मचारियों तथा पुलिस वालों के लिये रहने का स्थान बनाने का लगभग ३ करोड़ रुपया दिया है। कानून की व्यवस्था को बनाये रखने के लिये इंस्पेक्टरों तथा सब-इंस्पेक्टरों आदि की रिहायश का प्रबन्ध करना बड़ा आवश्यक है। त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने इस दिशा में सब राज्यों का मार्ग प्रदर्शन करने का निश्चय किया है। वहां की पुलिस व्यवस्था ने राज्य के लिये ४० लाख रुपया व्यय करने का निश्चय किया है। मुझे आशा है यह सभा उसके इस साहस की सराहना करेगी और इसका दिल से स्वागत करेगी। सरकारी व्यवस्था की कार्य क्षमता के लिये उसके कर्मचारियों के रहने का ठीक ठीक प्रबन्ध होना एक प्राथमिक आवश्यकता है।

†**श्री पुन्नूस** : इस व्यय का कितना प्रतिशत निचले वर्गों के कर्मचारियों के लिये व्यय किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : इसका आधे से ज्यादा व्यय कांस्टेबलों, हेडकांस्टेबलों तथा अन्य छोटे कर्मचारियों के लिये किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कार्य-सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई अनुपूरक राशियों से अनधिक पृथक् राशियां राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के संबंध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिये दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को होने वाले वर्ष में किया जायेगा।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मांग संख्या १९, २५ और ३७

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[जो मांगे सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१९	लोक-स्वास्थ्य	१९,००० रु०
२५	श्रम और विविध	११,१२,००० रु०
३७	असैनिक कार्यों पर पूंजी व्यय	१०० रु०

तोल और माप मानदण्ड विधेयक

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : दशमिक प्रणाली पर आधारित भार तथा माप प्रमाप विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से यहां पर रखा जा चुका है। मेरे विचार में इस विषय पर भिन्न भिन्न अवसरों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अतः मुझे इस पर कुछ अधिक नहीं कहना है। १९५५ के प्रारम्भ में इस सभा ने श्री अच्युतन द्वारा रखा गया एक संकल्प पारित किया था कि सरकार को सारे देश में दशमिक प्रणाली पर आधारित एक समान भार तथा माप जारी करने चाहिये। इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने कुछ आवश्यक कदम उठाये हैं। सब से आवश्यक कदम यह है हमने सब से पहले दशमिक प्रणाली के प्रमाप निश्चित किये हैं। संसद् को संविधान के अनुसार प्रमाप निश्चित करने का पूर्ण अधिकार है। उनको लागू करना तथा उनका निरीक्षण करना राज्य सरकारों के हाथ में है। किन्तु जब तक किसी विधान द्वारा यह प्रमाप निश्चित न कर दिये जायें राज्य इनका पालन नहीं करवा सकते हैं। अतः इस विधेयक को प्रस्तुत करके संसद् उस कार्य का श्री गणेश करना चाहती है जोकि वह इस दिशा में सरकार से करवाना चाहती है। यहां इस विधेयक पर लोकमत जानने के लिये इसे लोगों में परिचालित करने के लिये प्रस्ताव रखे गये हैं।मेरे विचार में अभी ऐसे प्रस्ताव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर लगभग १०० वर्ष तक चर्चा चल चुकी है। १८७० में ठीक ऐसा ही एक विधान पारित किया गया था और वह १९३९ के करीब तक परिनियम पुस्तिका पर बना रहा जब कि उसका निरसन कर दिया गया किन्तु अभी हाल ही में समाचार-पत्रों में तथा योजना आयोग में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस विषय में दोनों सदनों के सदस्यों में एक ज्ञापन परिचालित कर दिया गया है।

वास्तव में अंतरिम काल में हमारे सामने एक कठिन समय होगा। इसमें कई कठिनाइयां आयेंगी। क्योंकि कोई भी परिवर्तन अल्हादकारी नहीं होता है। यह परिवर्तन १० से १५ वर्ष में पूरा होगा और यह कुछ प्रक्रमों में पूरा होगा। यह सारा कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व संसद् के सामने रखा जायेगा और आवश्यक होने पर इसके लिये रुपया तथा अन्य शक्तियां भी मांगी जायेंगी। इस समय सरकार की एक विशेष प्रशासनिक समिति इस विषय पर विचार कर रही है कि इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाये जायें।

इस संबंध में सभी राज्य सरकारों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं से मशविरा किया गया है और कोई भी ऐसे कार्यक्रम के विपक्ष में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि भार तथा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

माप के प्रमाप दशमिक प्रणाली पर आधारित होने चाहियें। इसके लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से विभिन्न प्रमाप प्राप्त करने पड़ेंगे, उन्हें टकसाल में ढालना पड़ेगा, और जैसे जैसे यह प्रणाली बढ़ती जायेगी हमें प्रमापों की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी।

इस सभा ने सिक्कों और मुद्रा के संबंध में एक विधेयक पास किया है। उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी और उसके अलावा भी श्री अच्युतन के संकल्प के समय भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। इस दिशा में पहले कदम का अर्थात् सिक्कों तथा मुद्रा में दशमिक प्रणाली चलाने का पहले ही अनुमोदन हो चुका है। कुछ ही महीनों में उस पर अमल होना भी शुरू हो जायेगा। उसी के पीछे यह भार और माप विधेयक भी आ रहा है।

यह सच है कि आज हमारे देश में अनेकों प्रकार के भार और माप हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था ने हमारे देश में भार और माप की १४३ प्रणालियों का पता लगाया है। और १५० प्रकार की परिमा*प्रणालियों तथा १६० प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल नापने की प्रणालियों का पता चलाया है। इनमें से कोई भी प्रणाली वैज्ञानिक नहीं है। अतः किसी भी प्रणाली को सम्पूर्ण देश में नहीं चलाया जा सकता है। एक मात्र दशमिक प्रणाली ही वैज्ञानिक प्रणाली है और इसको संसार के अधिकतर देशों में अपनाया जा चुका है। और हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रणाली को अपना लेना चाहिये ताकि हमारी भी वह दशा न हो जाये जो आज इस संबंध में बर्तानिया की हो रही है। ब्रिटेन के कई आयोगों न भी दशमिक प्रणाली अपनाने की सिफारिश की है मगर क्योंकि वह इसको जल्दी अपना नहीं सके थे इसलिये अब वह देरी ही उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित कर रही है। और अब उन्हें इसे अपनाने के लिये औद्योगिक मशीनरी तथा उपकरणों में बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिये वह ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अतः आज जब कि हम अपने देश में औद्योगीकरण की पहली मंजिल से गुजर रहे हैं तो हमें शीघ्र ही इस परिवर्तन को अपना लेना चाहिये क्योंकि बाद में ऐसा करना निश्चय ही बड़ा कठिन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जब देश के सभी प्रमाप दशमिक प्रणाली पर आधारित हो जायेंगे तो हमें हिसाब किताब लगाने में अथवा गणना करने में बड़ी सुविधा हो जायेगी। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिये गणित एक बड़ी सरल वस्तु बन जायेगी, और मुझे यह बात सबसे आकर्षक मालूम होती है।

कभी कभी यह कहा जाता है कि इस विशाल देश में कोई परिवर्तन करना कठिन है क्योंकि अशिक्षित तथा पिछड़े हुए लोग कठिनाई में पड़ जायेंगे। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को अशिक्षित कहा जाता है वह अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। जब भूमि माप के लिये शत-एकड़ पद्धति लागू की गई थी तब कोई कार्यक्रम आदि नहीं बनाया था तथा नई पद्धति लागू कर दी गई थी उसी प्रकार इसको भी हमें शीघ्र लागू कर देना चाहिये।

इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा निर्मित समिति ने यह निर्णय किया था कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय नाम ही रखने चाहियें। यह कहना कि प्रचलित नाम परिवर्तन से गड़बड़ी होगी ठीक नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय नाम सीधे हैं तथा आसानी से बोले जा सकते हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये। किसी मामले में ३० सदस्यों की संयुक्त समिति जिसमें १५ इस सभा के तथा १५ राज्य-सभा के सदस्य होंगे, इस पर विचार करेगी तथा मुझे आशा है कि संयुक्त समिति से आने के पश्चात् इस विधेयक में सुधार हो जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दशमिक प्रणाली पर आधारित तोल और माप के मानदण्ड स्थापित करने वाला विधेयक दोनों सदनों के ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य इस सभा के, अर्थात् श्री र० द० मिश्र, श्री थानू पिल्ले, श्री भागवत झा आजाद, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्री मुत्तुकृष्णन, श्री बोगावत, श्री अबकर चावदा, श्री मु० भू० वैश्य, श्री गणपति राम, श्री सुन्दर लाल,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*Valume

श्री अ० रा० सेवल, श्री खूब चन्द सोधिया, श्री तेलकीकर, श्री भगुनन्दु मालवीय, श्री बलवन्त सिंह मेहता, सरदार अकरपुरी, श्री बासप्पा, श्री ले० जोगेश्वर सिंह, श्री अच्युतन, श्री क० कृ० दास, श्री वीरेन्द्र नाथ कथम, श्री भवानी सिंह, श्री म० रा० मुनिस्वामी, श्री बे० ये० रेड्डी, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी, श्री रा० न० सिंह, श्री नन्द लाल शर्मा, श्री कै० प० सिन्हा और श्री नित्यानन्द कानूनगो और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति की समस्त सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति २० नवम्बर, १९५६ तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करे ; और

यह सभा राज्य-सभा से शिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।"

क्या श्री के० सी० सोधिया अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : वह संयुक्त समिति के सदस्य हैं। वह संशोधन कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नैलोर) : मैंने भी उस प्रकार संशोधन की सूचना दी है। तथा में उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : परन्तु उसमें तिथि नहीं दी गयी है कि किस समय तक जनता की राय आ जानी चाहिये।

†**श्री ख० चं० सोधिया** (सागर) : मैं ३१ दिसम्बर १९५६ का सुझाव देता हूं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है कि क्या कोई सदस्य संयुक्त समिति अथवा प्रवर समिति का सदस्य होने पर भी विधेयक के परिचालन का प्रस्ताव कर सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत कर लेने दीजिये तब इस पर विचार करूंगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं १ जनवरी, १९५७ का सुझाव देता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सोधिया ने समिति का सदस्य होना स्वीकार कर लिया है इसलिये वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मेरा निवेदन है कि समिति के सदस्य होने की स्वीकृति तथा परिचालन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने में कोई असंगत बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विधेयक के सिद्धांत से सहमत है वही इसका सदस्य बनने की स्वीकृति देगा परन्तु प्रस्ताव करने के बारे में उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। मैं यह तो समझता हूं कि प्रवर समिति का सदस्य बोल नहीं सकता है परन्तु उस मामले में भी सभापति ने कई बार उस रूढ़ि को तोड़ने की कृपा की है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि समिति का सदस्य होने के कारण सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से नहीं रोकना चाहिये। मैं यह भी नहीं जानता कि समिति का सदस्य बनाने से उनकी स्वीकृति ली गई थी अथवा नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि स्वीकृति लिये बिना सदस्य बना दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि प्रवर समिति के सदस्य का भाषण देना तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करना दो अलग अलग बातें हैं। वर्तमान स्थिति से वह बिलकुल भिन्न चीज है। उन्हें एक बात चुननी चाहिये। यदि वह प्रस्ताव करना चाहते हैं तो संयुक्त समिति में अपना नाम रखे जाने पर आपत्ति करनी थी। संयुक्त समिति से अलग होकर वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु समिति में कार्य करने की स्वीकृति देने के पश्चात् वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो श्री रेड्डी के संशोधन पर वह कुछ बोल सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा यह निवेदन है कि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रस्तावक को बोलने का समय दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने तथा समिति का सदस्य होने में कोई असंगत बात नहीं है क्योंकि वह विधेयक के सिद्धांत से तो सहमत हैं ही।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई व्यक्ति जनता की राय जानने तथा प्रवर समिति को निर्देश करने के दोनों प्रस्तावों को एक समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। दोनों अलग अलग बातें हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया कि माननीय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्वीकृति नहीं लेते हैं। जब वह नाम पढ़ते हैं तो सदस्य को खड़े होकर कहना चाहिये कि मेरी स्वीकृति नहीं ली गई है। अन्यथा यह समझा जाता है कि उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसलिये यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये। श्री रामचन्द्र रेड्डी अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मेरा संशोधन यह है कि विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय इस विधेयक से कोई लाभ होने के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है। सभा को यह आशा थी कि माननीय मंत्री इस अधिनियम को लागू करने में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को होने वाली कठिनाइयों तथा कितने समय में इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है इस संबंध में कुछ कहेंगे क्योंकि मुझे इसको लागू करने में पर्याप्त कठिनाइयां दिखाई देती हैं।

मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकारों का परामर्श लिया गया था तथा उन्हों ने इसका समर्थन किया है। तब सभा में उनकी समितियों को रखना था। परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया।

ऐसा भी कहा गया कि व्यापारियों का परामर्श भी इसके पक्ष में था परन्तु मुझे यह जानकारी हुई है कि वह इसके पक्ष में नहीं हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि राज्य निश्चित अवधि में इसको लागू करने के लिये कितना धन व्यय करना चाहते हैं। जब इन सब प्रमापों आदि का परिवर्तन किया जायेगा तब इनके संबंध में जनता की जानकारी के लिये सरकार क्या प्रयत्न करेगी। गांवों के पदाधिकारियों को नये अभिलेख रखने में बड़ी कठिनाई होगी। उन्हें प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। अन्यथा बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

अब तक बच्चों को रुपये, आने, पाई, पौंड, शिलिंग आदि पढ़ाये जाते थे। अब उनको नये प्रमाप पढ़ाने होंगे तथा अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करना होगा। इसीलिये मुझे संदेह है कि खण्ड १ में निर्धारित अवधि पर्याप्त है अथवा नहीं। मेरे विचार से अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष पश्चात् यह लागू होना चाहिये क्योंकि हमारी जनता बहुत पिछड़ी हुई है। जनता का सहयोग अत्यावश्यक है। इसे लागू करने की अवधि बढ़ा देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरा विचार है कि राज्य सरकारों ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। संभवतया उन्होंने सोचा कि यह भी केन्द्रीय सरकार के आदर्शों की लक्ष्य की पूर्ति का एक साधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम अपने सभी प्रमापों को बदलना चाहते हैं। गज, फीट और इंचों को हमें मीटरों में बदलना होगा। लोक निर्माण विभाग को भी इसकी गणना में कठिनाई होगी क्योंकि इसकी जानकारी करने के लिये उन्हें भी प्रशिक्षण लेना होगा। मैं समझता हूं कि हमारे विकास में इसमें बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इसलिये यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों को तथा व्यापारियों को यह मामला दुबारा भेजा जाये जिससे यह जानकारी हो सके कि इसको १० वर्ष में लागू करना चाहिये अथवा २० वर्ष में।

आप जानते हैं कि कुछ दिन हुए नामों के लिये एक उप-समिति बनाई गई है तथा उसमें बड़ा मत-वैमिन्य है। मुझे बताया गया कि गैर सरकारी राय यह है कि हिन्दी के नाम स्वीकार किये जायें। इस पर भी पूर्णतया विचार करने के लिये पर्याप्त समय चाहिये।

मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों की सम्मतियां जब तक न आ जायें इस मामले को रोक देना चाहिये तथा व्यापारियों तथा राज्यों को गंभीरता से विचार करने के लिये कहना चाहिये। मेरा विचार है इसमें तीन चार मास लग ही जायेंगे। केन्द्रीय सरकार के लिये यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को बुलाये तथा विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करे। मेरा विचार है कि इस पर विचार के लिये ४ मास का समय अधिक नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जनता की राय जानने के लिये १ जनवरी, १९५७ तक का समय रखा जाये।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री खू० चं० सोधिया : मैंने इस विधेयक को खूब ध्यान से देखा है। अब हमने दशमलव प्रणाली के सिक्कों को चालू किया है। इस दशमलव प्रणाली के सिक्कों में हमने रुपये को जैसा का तैसा रक्खा है, अठन्नी को भी जैसा का तैसा रक्खा है, चवन्नी को भी जैसे का तैसा रक्खा है। मगर आज कल के पैसों के बारे में हमने यह तय किया है कि उनको हटा कर रुपये में १०० पैसे रखेंगे।

आप जानते हैं कि आज कल देश भर में पैसे की कोई पूछ नहीं है। पैसे दो पैसे की कोई चीज बाजार में ली ही नहीं जा सकती। दुअन्नी, चवन्नी और अठन्नी से ही काम चलता है। इसलिये मेरी समझ में रुपये, अठन्नी और चवन्नी को इस सिस्टम में रख कर हमने बड़ा वाजिब काम किया है।

जब हम इस विधेयक की ४ से लेकर ११ तक की धाराओं को देखते हैं तो पाते हैं कि आज तक हम जो लम्बाई की नाप काम में लाते थे, इंच, गज वगैरह, उसको हमने डेसीमल सिस्टम में कर दिया है। एरिया के लिये भी जो एकड़ वगैरह की नाप थी उसको भी हमने डेसिमल सिस्टम की बनाया। इसके बाद हम वाल्यूम पर आये। वाल्यूम के लिये भी हम ने लिटर को अपनाया, और लिटर को अपना कर हमने सेर, पाव और छटांक वगैरह को, जिसमें दूध नापा जाता है, नहीं माना। इसके बाद हमने वजन का लिया। वजन के लिये जो मन, सेर, छटांक और टन आदि थे उन सब को हम छोड़ रहे हैं।

इस बिल के उद्देश्य ही में बतलाया गया है कि यह बिल (विधेयक) बड़े महत्व का है, और मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि पार्लियामेंट (संसद्) के इस आखिरी मौके पर, जब कि पार्लियामेंट के काम की ओर उतना ध्यान नहीं है जितना कि होना चाहिये, क्यों सरकार इस बिल को यहां पेश करके अपने ऊपर एक बड़ी मुसीबत मोल ले रही है। वह मुसीबत यह है कि अभी पिछले मौके पर, जिसको चन्द ही रोज हुए हैं, मैंने नैचुरल रिसोर्सेज और साइंटिफिक रिसर्च के मिनिस्टर (प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री) साहब से प्रश्न किया था कि आप के जो सर्वे मैप्स (सर्वेक्षण नक्शे) हैं उनको आप दशमलव सिस्टम में कब तक ला पावेंगे तो उन्होंने फरमाया था कि इसमें ५० वर्ष लगेंगे। तो आप सोचिये कि जब सरकार को बने बनाये नक्शों को इस प्रणाली में बदलने के लिये ५० वर्ष लगेंगे तो इस काम में कितनी ज्यादा देर लग सकती है तथा कितना जटिल और कठिन यह काम है। मैं समझता हूं कि इससे देश के सभी गरीब और अमीर आदमियों का ताल्लुक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खू०-चंद सोंधया]

एक जो दूध बेचने वाला है, एक जो जंगल में रहता है, एक जो गल्ला बेचने वाला है सबके सब का इससे किसी न किसी प्रकार से संबंध है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। इस बिल का प्रभाव सब पर ही पड़ने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि यह जो मीट्रिक (दशमिक) प्रणाली है, यह अच्छी नहीं है। मीटरिक सिस्टम अच्छा है, इसे मैं मानता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि साइंस के काम में इसका प्रयोग करने से बहुत आसानी होती है और इससे जो रिसर्च का काम होता है, उसका आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ किया जा सकता है। इस तरह से यह हमें अपने वैज्ञानिक उन्नति के कामों में सहायता देने वाला सिद्ध हो सकता है। लेकिन इस पद्धति को इस देश के ऊपर, इस समाज के ऊपर आप लादें, इसको मैं वाजिब नहीं मानता हूं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में हम डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) का नाम लेते हैं और डेमोक्रेटिक काम करने की कसमें खाते हैं तो क्या यह वाजिब नहीं है कि जबकि इस बिल का करोड़ों लोगों पर असर पड़ने वाला है तो उनकी राय जाने बिना हम इस बिल को यहां न लायें। अगर उनकी राय जाने बिना इस बिल को पास कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि यह एक नावाजिब बात होगी। मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि इस बिल के बारे में तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स (राज्य सरकारों) की तथा जितना भी विद्वानों का समाज है उसकी राय मालूम कर ली गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस बिल को इस हाउस के सामने लाया जाता है और इस हाउस के सदस्यों से बुद्धिपूर्वक अपनी राय देने को कहा जाता है तो क्या यह जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने तथा विद्वानों की समाज ने भी जो रायें सरकार को दी हैं वे भी हमारे सामने लाकर रखी जायें ताकि हम इस चीज पर अच्छी तरह से विचार कर सकें।

आप मीट्रिक सिस्टम की बात को तो जाने दीजिये। यह केन्द्रीय सरकार आज २० या २५ बरस से यूनिफार्म (एकरूप) बांटों को प्रचलित करने के लिये लगातार कोशिश कर रही है लेकिन आज तक इसमें वह सफल नहीं हो सकी है। अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि इस देश में १४० किसम के बांट, १५० किसम के वाल्यूम और १६० किसम के लैंड एरियाज का प्रचलन है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस सरकार ने तथा प्रान्तीय सरकारों ने जहा तहां कानून भी बनाये और जो मैं समझता हूं २५ के करीब है। और जिनको इस बिल के द्वारा मंसूख करने के लिये कहा गया है, फिर भी वे यूनिफार्म वेटस और मैज़र्ज़ इस देश में कायम नहीं कर सके तो इस बात को कहना कि १० साल के अन्दर यह काम हो जायेगा। मैं समझता हूं ठीक नहीं है और मेरी समझ में तो यह चीज नहीं आती है। मेरे विचार में जो कठिनाइयां सरकार के रास्ते में आयेंगी उन पर भी विचार नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा काम न करे जिसको करने के बाद उसे फिर से यह कहना पड़े कि यह बात नहीं हो सकी है और कम वक्त रखा गया था। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सब से पहले हमें लोगों की राय को इस बारे में साफ साफ मालूम कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब सरकार ने पक्का निश्चय कर लिया है कि इसको पास कराना ही है, तो चाहे लोग चिल्लायें, चाहे कितना भी विरोध करें, वह उसको पास करवा कर ही रहेगी, लेकिन यह उसके लिये ठीक नहीं है। यह इस सरकार का फर्ज है कि इस देश के करोड़ों लोगों से जिन के दैनिक जीवन में इस बिल का प्रभाव पड़ने वाला है, इस देश के व्यापारियों से, इस देश के बड़े बड़े चैम्बर्स आफ कामर्स (वाणिज्य-मंडल) से इस बात को पूछे कि कौन कौन सी अड़चनें उनके रास्ते में आने वाली हैं और उनको हल करने के लिये तथा उनको कम करने के लिये क्या क्या उपाय किये जायें। इस चीज पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि इस बिल को जल्दी से इस सदन के पास कराने के बजाय यह ज्यादा मौजूं होगा कि इस बिल को लोगों की राय जानने के लिये प्रचारित किया जाए। इसके बाद जो सरकार को करना है वह तो होगा ही फिर चाहे जनता कुछ भी कहे और जनता के प्रतिनिधि कुछ भी कहें। जब ऐसी बात है तो इस बिल को एक महीने के भीतर पास कराने की क्यों जल्दी की जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह से इसको पास करवा करके और पार्लियामेंट की सील लगवा करके आप को क्या फायदा होगा।

अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक रेज़ोल्यूशन (संकल्प) यहां पर अच्युतन साहब ने पेश किया था और उस रेज़ोल्यूशन के मुताबिक ही सरकार इस बिल को लाई है। किस कारण से अच्युतन साहब के दिल में यह बात आई इसको यहां पर कहने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सरकार

का यह मंशा था इसीलिए उसने अच्युतन साहब को खड़ा किया था और इस हाउस के सब मैम्बरों ने उसका समर्थन किया था। इस तरह से वह रेज़ोल्यूशन आया था और उसके मुताबिक कारवाई हो रही है। अब एक कमेटी बनी है जो सारे मामले पर विचार कर रही है और देख रही है कि क्या क्या करना होगा और क्या क्या कठिनाइयां आयगी। इस कमिटी में हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं और दूसरे बड़े बड़े लोग हैं। वे लोग तो यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर बैठ कर बड़े मजे से हुक्मनामा जारी कर देते हैं और उनको क्या फिक्र है कि इसका देश के करोड़ों गरीब आदमियों के ऊपर क्या असर होने वाला है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि सरकार इस सारे मामले पर सावधानी से विचार करे और फिर किसी नतीजे पर पहुंच कर कार्य करे। कांस्टीट्यूशन (संविधान) की एंटरी ५० के मुताबिक पार्लियामेंट यूनिट्स मंजूर कर सकती है जब कि एंटरी २९ आफ दी स्टेट लिस्ट (राज्य सूची) के मुताबिक उनको अमल में लाने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है। जिन्होंने इसको अमल में लाना है उनकी इस बारे में क्या राय है, उसको हमारे सामने न लाकर इस काम में जल्दी करना, मैं समझता हूं, ठीक नहीं है। इस किसम का उतावलापन करना अक्लमंदी नहीं होगी। अगर सरकार समझती है कि इससे देरी होगी, तो मैं समझता हूं कि एक महीना दो महीने, चार महीने या साल भर की देरी भी अगर हो जाए तो जैसे आपने १० साल की लिमिट रखी है उसे आप एक साल और बढ़ा सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप वह काम करें जिस से आप को बाद में यह कहने का मौका न मिले कि इस देश में मीट्रिक प्रणाली चल नहीं सकी है। मैं यह दावे से कहता हूं कि आप जो कुछ कर रह हैं वह सरासर हमाकत है और इस देश के लोगों को बरबाद करने की बात है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप यह कहते हैं कि पिछले पांच सालों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है और हमारा व्यापार बहुत बढ़ा है और बढ़ रहा है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो वेटस और मैज़र्स (नाप तोल) हैं क्या उन्होंने कोई बाधा डाली है। इस वास्ते यह कहना कि इससे देश का व्यापार बढ़ेगा, या कैलकुलेशन (हिसाब लगाने) में सहायता मिलेगी बेकार है। मैं तो यह समझता हूं कि जहां आपका डाट इधर से उधर हुआ, जहां आपके छापेखाने वालोंने ज़रा सी गलती की वहां आप का सारा काम चौपट हो जायेगा। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि आप बिल आफ दी व्हिस्प, जुगनू की जो चमक है उसको पकड़ने की कोशिश न करें। जो अड़चन आपके रास्ते में आने वाली हैं उनको आप इकट्ठा करें और उनको संग्रह करने के बाद और उन पर पूरी तरह से विचार करने के बाद यदि सरकार के मन में यह आवे कि यह होना ही चाहिये और पार्लियामेंट के मैम्बर साहिबान चाहें तो बड़ी खुशी से वह ऐसा कर सकती है।

आप यहां पर स्टील प्लांट लगाने जा रहे हैं और उसके लिये करोड़ों रुपये का सामान मंगाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप का जो मीट्रिक सिस्टम है, क्या यह सारा सामान उसके अनुसार आ रहा है? अगर वह सब समान मीट्रिक सिस्टम के अनुसार नहीं आ रहा है, तो वह करोड़ों रुपये का सामान आप क्या करेंगे? क्या इस देश के लोगों के पास फिजूल पैसा पड़ा हुआ है कि आप उसको इस तरह बहा देंगे? इस बिल में एक कनवर्शन टेबल दिया हुआ है, जो कि मैं आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वह तो बिल में लिखा ही है। सब मैम्बर उसको स्वयं पढ़ सकते हैं।

श्री खू० चं० सोधिया : मैं आप का और इस सदन् का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसमें तीन तीन, चार चार डिजिट्स दशांश या शतांश नहीं बल्कि सहस्रांश तक की गिनती और तबादले की बातें हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे गरीबों के दिमाग में कैसे आयेंगी। कहा गया है कि मन, सेर और छटांक के वर्तमान सिस्टम से गरीब लोगों को धोखा दिए जाने की संभावना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गरीब किसी तरह सताए जाते हैं, उनके साथ किसी किस्म का धोखा किया जाता है और पैसों के लेन-देन में उनके साथ अन्याय होता है, तो उसका कारण मन, सेर, छटांक का सिस्टम नहीं है, बल्कि उसका कारण उनकी इल्लिट्रेसी (निरक्षरता) है—उनकी निरक्षरता है। जब तक आप उसको नहीं हटायेंगे, तब तक ये सब बातें गरीबों को धोखा-देही से बचाने में कामयाब नहीं होंगी। इसलिये सरकार से मेरी अर्ज है कि वह इस बारे में उतावली न करे।

†**श्री नि० बि० चौधरी** (घाटल) : जब श्री अच्युतन ने दशमिक प्रणाली का गैर-सरकारी संकल्प रखा था तब मैंने इसका समर्थन करते हुए यह कहा था कि इस प्रणाली को लागू करने का एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जाये। माननीय मंत्री ने बताया था कि सरकार संशोधन को स्वीकार करती है तथा एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जायेगा। इसके पश्चात् हमने दशमलव मुद्रा प्रणाली का समर्थन किया। इसलिये हम सभी यह चाहते हैं कि इस विधेयक को पूर्ण सफलता मिले। १९५० में राष्ट्रीय योजना समिति की वाणिज्यिक उप-समिति ने दशमिक प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी तथा रायल कमीशन तथा अन्य समितियों ने भी इसका समर्थन किया था इसलिये यह नई बात नहीं है। हमने औद्योगीकरण का कार्यक्रम बनाया है तथा हमें इस वैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त पद्धति को अपना लेना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने पीताम्बर पंत के "भारत में दशमिक प्रणाली पर ज्ञापन" की प्रस्तावना में लिखा था कि हमारा देश रूढ़िवादी देश है तथा पुरानी रूढ़ियों में परिवर्तन करना आसान नहीं है। परन्तु यदि सरकार ने अनुच्छेद ४५ पर ध्यान देकर पर्याप्त संगठन तथा वित्त की व्यवस्था की होती तो जो विरोध आज हो रहा है वह विरोध नहीं होता। केवल निरक्षरता के कारण देश में इस प्रणाली को लागू करने में कठिनाई हो रही है। अन्यथा इस प्रणाली को दो-तिहाई मानवता अंगीकार कर चुकी है। तथा जिन देशों ने अभी स्वीकार नहीं किया है उन देशों में भी इस प्रणाली को अंशतः वैज्ञानिक गणना के लिये अंगीकृत कर लिया गया है।

देश की वर्तमान स्थिति क्या है? लगभग ११०० ग्रामों में सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उससे यह जानकारी हुई है कि १४३ विभिन्न प्रकार के बांटों तथा नापों का प्रचलन है। 'मन' सब स्थानों पर कहा जाता है परन्तु इसका भार अलग अलग है। यही हाल 'सेर' का भी है तथा बीघे के भी अलग अलग आंकड़े हैं। नापों का भी यही हाल है। परिणामतः गरीब व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है। उनके हिसाब से ८ पंसेरी का एक मन होता है जो दूसरे से १२ छटांक ऊपर होता है। इस प्रकार यदि कोई किसान कोई चीज एक मन बेचता है तो ४० सेर के बजाय ४६ सेर उसे वह चीज देनी पड़ती है।

अतः हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे हमारे यहां भी अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जा सके। जहां तक प्रमापीकरण का संबंध है, इस बारे में मत-विभेद नहीं हो सकता। केवल प्रश्न यह रह जाता है कि हम अन्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इस दशमिक प्रणाली को ही अपनायें अथवा अन्य किसी देशी प्रणाली को।

देशी प्रणाली के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसमें भिन्नता बहुत है। इसको अपनाने से देश के किसी न किसी भाग के लोगों को असुविधा अवश्य होगी क्योंकि सारे देश में कोई समान प्रणाली इस बारे में प्रचलित नहीं है। इस कारण वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दशमिक प्रणाली ही सबसे अच्छी प्रणाली कही जा सकती है।

मेरे कुछ मित्रों ने यह कहा कि इस दशमिक प्रणाली को अपनाने का अभी समय नहीं आया। मेरा विचार इससे ठीक विपरीत है। मैं तो कहता हूं कि यही तो उपयुक्त समय है। जब कि हम औद्योगीकरण पर ५०० करोड़ रुपया व्यय करने जा रहे हैं तो इस प्रणाली को अपनाने का यही उपयुक्त समय है।

कहा यह जाता है कि नई प्रणाली को लागू करने से व्यय होगा। मैं पूछता हूं कि यही चीज यदि आगे चल कर की गई तो क्या उस समय इससे अधिक व्यय नहीं होगा? अतः इस प्रणाली को कार्यान्वित करने का यही उचित समय है।

विशेषज्ञों ने अनुमान से बताया है कि वर्तमान प्रणाली के स्थान पर इस प्रणाली को अपनाने में उतना व्यय नहीं होगा जितना सामान्यतः लोग समझते हैं। यह व्यय या तो लगभग १ करोड़ रुपये

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रति वर्ष होगा अथवा उसी के आस-पास जो कई वर्षों में बांट दिया जायेगा। सुविधाओं की दृष्टि से इस पर इतनी राशि व्यय करना उचित ही है क्योंकि इससे गणना में बड़ी सरलता होगी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता से किया जा सकेगा।

यहां एक बात यह कही गई थी कि इंगलिस्तान और अमरीका में यह प्रणाली प्रचलित न होन क कारण हमें उनके साथ व्यापार करने में कठिनाई होगी। इस संबंध में पंडित पंत ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बताया है कि इन देशों का दो-तिहाई व्यापार ऐसे देशों से है जिनमें उनकी अपनी प्रणाली न होकर दशमिक प्रणाली ही प्रचलित है। अतः जिन देशों में दशमिक प्रणाली नहीं है उनसे व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वास्तव में वे देश भी इस प्रणाली को अपनाने की सोच रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व पेरिस में एक अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल सम्मेलन हुआ था जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वाणिज्यिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टियों से आवश्यकता इस बात की है कि सारे संसार के लिये समान नाप और तौल की व्यवस्था की जानी चाहिये। अधिकांश देशों ने दशमिक प्रणाली अपनाई है। जिन देशों ने दशमिक प्रणाली अपनाई उनका अनुभव यह बताता है कि वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में इस प्रणाली को अपनाने से राष्ट्रीय बचत हो सकेगी और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध सरल हो जायेंगे।

उक्त सम्मेलन ने इस प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से अपनाने के बारे में भी अपनी राय प्रकट की है।

प्रमापीकरण के प्रश्न पर इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कार्य जिस तरीके से होना चाहिये उसके अनुसार नहीं हो रहा है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानता हूं कि घाटल नामक स्थान के कृषि विपणन पदाधिकारी मन और सेर के बांटों के स्थान पर पत्थरों से काम लेते हैं किन्तु यदि बाजार में कोई सब्जी वाला आध सेर या एक पाव के छोटे छोटे बांटों के स्थान पर कंकड़ों का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अतः इस बारे में सरकार को एक निश्चित नीति बनानी चाहिये और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये।

इस संबंध में केवल कार्यक्रम बनाने से ही काम नहीं चलेगा अपितु आवश्यकता इस बात की है कि इसको अपनाने के बारे में काफी प्रचार किया जाये। कम से कम ऐसे देश के लिये, जहां अभी लोग पूर्ण शिक्षित नहीं हैं, यह कार्यक्रम अपनाना बहुत आवश्यक है।

सरकार ने स्वीकार किया है कि वह इस बारे में लोगों को जानकारी करायेगी और रेडियो से प्रसारित कराने तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के अलावा प्रदर्शनी भी खोलेगी। किन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता तो प्रारम्भिक टेकनीकल और इंजीनियरिंग स्कूलों में इसका प्रचार कराने की है।

इस संबंध में मैं सरकार को एक यह सुझाव देना चाहूंगा कि जहां तक नाप और तोल के नमूनों की व्यवस्था करने का प्रश्न है, यह कार्य उसे शैक्षिक संस्थाओं पर नहीं छोड़ देना चाहिये। प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को इन सिक्कों का अध्ययन करने और परिवर्तन समझने का अवसर मिलना चाहिये। सरकार इस बारे में कुछ कार्य कर भी रही है किन्तु मेरा सुझाव यह है कि वह इनके नमूने स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में भेज दे जिससे बच्चे उनके बारे में भलीभांति जानकारी प्राप्त कर सकें। पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा भी नमूने दिये जाने चाहिये।

विधेयक में कुछ उपबन्ध इस बारे में हैं कि सरकार नमूने के सिक्कों आदि को राज्य सरकारों को भेजेगी तथा कुछ उपयुक्त स्थानों पर भी रखेगी जिससे लोग उन्हें देख कर उनके बारे में सारी बातें जान सकें। किन्तु इतने से ही काम नहीं चल सकता। सरकारी कारखानों में ही ये नये सिक्के

[श्री नि० बी० चौधरी]

और बांट बनाये जाने चाहियें। यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना ठीक नहीं है। इस बारे में यह भी देखना होगा कि छोटे-छोटे खोमचेवाले ठग न जायें यानी कहीं उन्हें कोई जाली सिक्के न दे दे। अतः मैं इस बात को पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि इनका निर्माण सरकारी कारखानों में ही किया जाये इससे जाली सिक्के और बांट नहीं चलने पायेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो यह है कि जो भी नये सिक्के या बांट, छोटे हों या बड़े, चलाये जायें वे हमारे प्रचलित सेर या गज आदि के बराबर ही हों तो अधिक सुविधा रहेगी क्योंकि अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, उन्हें आरम्भ में समझने में कठिनाई होगी। इस नवीन प्रणाली से न तो दुकानदार को घाटा होगा और न खरीदार को ही। किलोग्राम आदि यों भी दशमिक प्रणाली के आधार पर ही हैं। अतः यह दशमिक प्रणाली, जो शिक्षित समुदाय में प्रचलित है, हम भी अपना सकते हैं।

मैं विधेयक का समर्थन करते हुए इतना पुनः कह देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि सरकार को काफी प्रचार करना चाहिये और नमूने के सिक्कों आदि को देश में बंटवा देना चाहिये जिससे बाद में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा अथवा कठिनाई का सामना न करना पड़े।

यदि संविधान के अनुच्छेद ४५ के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने तथा शिक्षा का विकास करने के लिये अधिक राशि नियत की जाती है तो सारे देश में इस वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : आज जो यह विधेयक सदन के सामने पेश है यह उस इंडिअन काइनेज अमेंडमेंट ऐक्ट (भारतीय टंकन संशोधन अधिनियम) की एक कड़ी है। जिस वक्त वह ऐक्ट पास किया गया था उस वक्त भी बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की थी कि यह ऐक्ट चालू नहीं हो सकेगा क्योंकि जनता उसको समझ नहीं सकेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको पास कर दिया और आज एक विज्ञप्ति भी जारी हो गयी है कि वह १ अप्रैल सन् १९५७ से जारी भी हो जायेगा। लेकिन आज जो विधेयक हमारे सामने पेश ह और उस ऐक्ट में बड़ा भारी अन्तर है। वह जो विधेयक था, जो कि अब ऐक्ट (अधिनियम) बन गया है, वह हमारे रोजमर्रा के लेन देन से ताल्लुक रखता है, जब कि यह विधेयक हमारे माप और तोलों से ताल्लुक रखता है जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया, आप के जो सिक्के हैं वे तो आप के टकसाल में बनते हैं और उनको आप बनाते हैं, इसलिये उनके बारे में जनता को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जो चीज आप के यहां बनती है उसमें किसी किस्म का हेर फेर नहीं हो सकता। लेकिन जो आप के माप तोल की कार्रवाई है, जैसा कि आपने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्यों और कारणों का विवरण) में दिया है, उसे राज्य सरकारें इम्पलीमेंट करेंगी। आपने शिड्यूल में दिया है कि इस मुताल्लिक जो १६ ऐक्ट हैं उनको आप मंसूख कर रहे हैं। आपने बतलाया कि राज्यों में जो वेट्स एंड मेजर्स (माप तोल) चले हुए हैं वे सन् १९३९ के ऐक्ट के मुताबिक चले हुए हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने फरमाया था कि सन् १९३९ के ऐक्ट को पास हुए करीब बीस साल हो गए, फिर भी अभी तक सारे मुल्क में एक तरह के वेट्स और मेजर्स नहीं चल पाये हैं। नतीजा यह है कि किसी राज्य में एक किस्म के माप तोल चलते हैं और दूसरे राज्य में दूसरे किस्म के, एक जिले में एक किस्म के वेट्स एंड मेजर्स (नाप और तोल) चलते हैं और दूसरे जिले में दूसरे किस्म के। आप बीस साल में इस सिस्टम को सारे देश में चालू नहीं कर सके। अब इस विधेयक में आपने यह रखा है कि इस इतने कम्प्लीकेटेड सिस्टम (जटिल प्रणाली) को आप दस साल में देश में चालू कर देंगे। मुझे बड़ा शक है कि इस सिस्टम को लोग दस साल में समझ पावेंगे। मैं समझता हूं कि अगर दस साल के बजाय आप बीस साल नहीं रखेंगे तो यह चीज नहीं चल पायेगी।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि ७० देशों ने इसको अपना लिया है और इसको चालू कर लेने से हमको भी बहुत सुविधा हो जायेगी। सुविधा हो जायेगी यह तो ठीक है लेकिन जो

उसके लिये आपने उपाय सोचे हैं,उनको लागू करने से पहले इससे पहले का जो तजर्बा आप को है उसको भी ध्यान में रखना चाहिये । इसका सबसे ज्यादा बुरा असर तो बे पढ़े लिखे लोगों पर होगा । जैसा कि माननीय वक्ताओं ने मुझसे पहले बताया है कि, इस देश में १७ फीसदी आदमी पढ़े लिखे हैं और जो आपने कनवर्शन टेबिल (परिवर्तन तालिका) दिये है उनके जरिये कोई ग्रामीण भाई यह नहीं समझ पायेगा कि एक छटांक के बदले उसको कितनी चीज मिलनी चाहिये या यह कि उसकी कितनी तोल बनती है । आपने जो इंडियन काइनेज (भारतीय टंकन) के सिलसिले मे टेबिल (तालिका) दिया है उसको हम पढ़े लिखे आदमियों तक को हिसाब लगाने के लिये अपने पास रखना पड़ेगा और अब इस किताब में जो टेबिल्स आपने दिये हैं वे भी हमको बाजार में चीजें खरीदने के लिये अपने पास रखनी होंगी । और इस देश के ३६ करोड़ आदमियों के लिये आप को इस तरह की कितनी टेबिल्स बनानी होंगी । तो आपने जो दस साल की अवधि रखी है मैं नहीं समझता कि जनता इस अवधि में इन कनवर्शन टेबिल्स को समझ लेगी । यह जो विधेयक है इसमें जो सिस्टम दिया गया है उसके कारण हमारी जनता का बहुत ज्यादा एक्सप्लायटेशन (शोषण) रुक जायेगा । इस लिहाज से तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि जिस तरह से आप देश में एक तरह का लेजिस्लेशन (विधान) और बातों के लिये बना रहे हैं, जैसे लैंड के लिये एक किस्म का लेजिस्लेशन सारे देश में ला रहे हैं, उसी तरह से वेट्स एंड मेजर्स के लिये भी एक सा लेजिस्लेशन सारे देश के लिये ला रहे हैं । मैं इसको आवश्यक समझता हूं कि इस माप तोल के सिलसिले को भी हमें सारे देश में एक ही स्तर पर लाना चाहिये । मुझे पंजाब का खास तौर पर तजुर्बा है ।

सेक्शन (धारा) १७ में जो सबसेक्शन (उप-धारा) ई है उस में इस तरह पर लिखा हुआ है :

"(ई) वह ढंग जिसमें स्टेंडर्ड नाप तोल से भिन्न भिन्न तोल में व्यक्त मूल्य को परिवर्तित किया जाये ।"

उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज तो हमारे हर सूबे में जो इंस्पैक्टर्स (निरीक्षक) हैं उनमें कोई तो वेट्स ऐंड मेजर्स के इंस्पैक्टर हैं और कोई और चीज के इंस्पैक्टर्स हैं । अब होता यह है कि करीब करीब हर साल हर एक स्टेट में वेट्स एंड मेजर्स संबंधी कानून बनते हैं और आये दिन बांटों में और पैमानों में तबदीली होती रहती है और लोगों का पैसा जाया होता है । देहातों में तो यह हालत है कि वहां पर लोग पैसा खर्च करने के लिये तैयार नहीं है और मैं अपने पहाड़ी और पथरीले इलाके की बाबत बतलाऊं कि वहां पर तो लोगों ने यह बांट वगैरह खरीदे ही नहीं हैं बल्कि पत्थरों को उठाकर उनको तोल लिया है और उन्हीं से अपना काम वे लोग चलाते हैं और जिस वक्त यह इंस्पैक्टर्स वहां पर जाते हैं तो वेट्स एंड मेजर्स को न पाकर उनका चालान कर देते हैं और एक आम तौर पर सारे लोगों का चालान करना शुरू कर दिया जाता है । इस संबंध में मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह से उन गरीब और छोटे छोटे व्यापारियों का हमारे इंस्पेक्टर ने चालान करना शुरू कर दिया तो बजाय इसके कि यह स्टैन्डर्ड वेट्स एंड मेजर्स वाली चीज वहां पर लागू हो जाय, वहां पर एक बगावत का असर फैल जाने का अंदेशा हो सकता है । इस संबंध में हम लोग इतनी जल्दी जल्दी लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि लोग हमारे जो देहातों में छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं वे कुछ घबड़ा से गये हैं और वह समझते हैं कि यह एक मुसीबत उन पर नाजिल हो रही है और उनकी समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हल किया जाय ।

एक और मुश्किल हमारे लोगों को इस संबंध में यह दरपेश आती है कि हमारे पंजाब के जो वेट्स एंड मेजर्स थे, उन पर हर साल हेडक्वार्टर में जा कर मुहर लगवाना पड़ता है और इसके लिये उनको परेशानी का सामना करना होता है और मुहर लगवाने के लिये उनको २, २ और ३, ३ दिन लग जाते हैं और जब वे बेचारे देखते हैं कि इंस्पेक्टर साहब उनके बांटों पर मुहर नहीं लगाते और उनको देर हो रही है तो लाचार होकर उनको रिश्वत खिलानी पड़ती है और तब कहीं जाकर उनका काम बन पाता है । इस तरह से पंजाब में यह मुहर लगवाने का बंधन होने से रिश्वतसतानी काफी चलती है और मरता क्या न करता उस बेचारे गरीब व्यापारी के पास इतना तो टाइम होता नहीं

[श्री हेमराज]

कि वह वहां बैठा रहे क्योंकि उस हालत में वह खाये क्या और देर होने पर उसे लाचार होकर इंस्पेक्टर साहब को रिश्वत देनी पड़ती है।

मैं समझता हूं कि श्री एन० बी० चौधरी ने इसके संबंध में जो यह सुझाव रखा है कि जिस तरह से मिंट से सिक्के ढलते हैं अगर उसी तरह से मिंट से यह वेट्स एंड मेजर्स भी ढल सकें तो काफी हद तक उनकी मुश्किल आसान हो सकती है, मैं समझता हूं कि वह दुरुस्त सुझाव है और इस पर गौर किया जाना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को यह चीज अपने हाथ में लेनी चाहिये। आज मौजूदा सिस्टम वहां पर यह है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ मोनोपोलिस्ट्स (एकाधिकारियों) को इसका ठेका दे देती है और वे मनमानी कीमत इन बांटों वगैरह के लिये रखते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह कानून सारे देश में सही तरीके से अमल में लाया जाय तो आप को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ताकि सारे देशभर में वेट्स एंड मेजर्स की एक ही कीमत हो और उनकी मुख्तलिफ कीमतें नहीं होनी चाहियें जब कि आज हालत यह है कि विभिन्न राज्यों में मुख्तलिफ कीमतें हैं।

एक शिकायत इसके मुतल्लिक यह भी है कि पहले उनके पास एक वेट एंड मेजर्स थे, गवर्नमेंट ने अपने स्टैन्डर्ड वेट्स एंड मेजर्स (नाप और तोल) चालू करे और उनके मुताबिक उनको तुलवाया और नपवाया जिसके कि परिणामस्वरूप उनके पहले वाले वेट्स एंड मेजर्स बेकार हो गये और वे उनके किसी काम के नहीं रहे। जहां नये वेट्स एंड मेजस चालू करने मे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का काफी खर्चा होगा वहां आपको यही खयाल रखना चाहिए कि यह जो आप नये वेट्स एंड मेजर्स जारी करेंगे, उनसे पबलिक को कितना नुकसान और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और क्या आप के पास इसके लिये कोई उपाय है जिससे कि उन्होंने जो पहले उन वेट्स एंड मेजर्स पर रुपया खर्चा हुआ है वह बेकार न जाय और क्या आप जो पैसा उन्होंने आलरेडी उन पर ख़र्चा हुआ है उसको वापिस करने के लिये तैयार होंगे? मैं आपके सामने एक सुझाव यह रखना चाहता हूं कि यह जो आप वेट्स एंड मेजर्स सारे देश भर में जारी करने जा रहे हैं, इनकी कीमत जायज होनी चाहिए। अगर उनकी कीमत आपने बहुत ज्यादा रक्खी तो यह जो आप कानून बनाने जा रहे हैं यह पनप नहीं सकेगा और चालू नहीं हो सकेगा क्योंकि कोई भी आदमी अगर इन वेट्स एंड मेजर्स की कीमत ज्यादा होगी तो वह उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा।

यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो देहाती क्षेत्रों में हर छोटे बड़े आदमी के सामने जो बाजार में अपना माल बेचने के लिये आता है, पेश आती हैं, छोटे छोटे दुकानदार या जमींदार वगैरह जो अपनी पैदावार को बेचते हैं, उन सब के सामने यह समस्याएं आती हैं।

इसके अतिरिक्त मैं आप का ध्यान इस बात की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, उनका इंस्पैक्टर्स लोग आम तौर पर ज्यादा चालान करते हैं और उनको तंग और परेशान करते हैं और जितनी उनके पास पूंजी नहीं होती है उतना उन पर जुर्माना ठोक दिया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि वे लोग अपनी गवर्नमेंट के हर एक कानून को अच्छी नजर से देखने के बजाय, उनके दिलों में गवर्नमेंट क बरखिलाफ एक नफरत का जजबा फैल जाता है। होता यह है कि जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं वे तो छट जाते हैं क्योंकि वे पैसा खिला देते हैं और जो छोटे छोटे लोग होते हैं छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उनका चालान किया जाता है और चूंकि देश में अधिकांश संख्या ऐसे लोगों की है, इसलिये वह बड़ा तबका गवर्नमेंट के बरखिलाफ होता चला जाता है।

अगर आप चाहते हैं कि आप का यह कानून जिसका कि मैं स्वागत करता हुं ठीक तरह से देश में चले तो उसके लिये एक ही उपाय है जिसके कि करने से यह देश भर में सही तरीके से लागू हो सकेगा। आपने इसमें एक चीज रक्खी है और वह यह है कि जिस ऐरिया में यह कानून लागू होगा वहां तीन साल के अंदर पहले से जो वेट्स एंड मेजस चालू हैं, वे वहां पर चलेंगे और जारी रहेंगे।

आप ने जो तीन साल की अवधि रखी है, वह बहुत थोड़ी है, जिस तरह से मैं पहले तजवीज दे रहा था कि अवधि को २० साल होना चाहिये, उसी तरह से यह अवधि बढ़ा कर पांच या दस साल कर देनी चाहिये।

आप कहते हैं कि जो आप के सिक्के हैं और नाप तोल हैं, आप की मैशीनरी उनका प्रोपैगन्डा करके उनको देहात तक पहुंचा देगी। मैं समझता हूं कि जो आप के देहाती क्षेत्र हैं उनमें आप रेडियों के जरिये से और लारीज जो आप की हैं उनके जरिये से, इस चीज को पहुंचायेंगे। बहुत से देहात तो आज कल ऐसे हैं जहां पर आप की लारीज जाती भी नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में आप कैसे समझते हैं कि आप की पब्लिसिटी मुकम्मिल हो जायेगी। जहां पर आप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते ही नहीं हैं। इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि जो एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं, या जो आप की कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स (सामुदायिक परियोजनाएं) हैं, उन में आप मेले वगैरह का इन्तजाम करें, मेलों में देहात के बहुत से लोग जाते हैं, उन जगहों पर आप को इन चीजों के लिये अच्छा प्रदर्शन करना चाहिये ताकि यह प्रणाली बहुत जल्दी सब जगहों पर चालू हो सके।

एक और बात की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जिस वक्त आप की राज्य सरकारें इन माप और तोलों को रायज करती हैं, उस वक्त वह लोगों को माप और तोलों पर मुहर लगवाने के लिये हेडक्वार्टर (मुख्यालय) बुलाती हैं। इसलिये उनको हेडक्वार्टर्स पर बुलाया जाता है मुहरें लगवाने के लिये ताकि वह यह जान सकें कि जो माप और तोल इस्तेमाल की जा रही है वह कम तो नहीं है। इसके लिये मेरी तजवीज यह है कि बजाय इसके कि उन लोगों को जिला हेड क्वार्टर पर बुलाया जाये, हर एक तहसील हेडक्वार्टर पर या थाना हेडक्वार्टर पर मुहर के लगवाने का इन्तजाम होना चाहिये। आपको चाहिये कि केन्द्रीय सरकार की ओर से या राज्य सरकारो की ओर से इस तरह का प्रबन्ध करवाने का प्राविजन अपने रुल्स में ही कर दें।

बहुत सारे माननीय सदस्यों की जो यह राय थी कि इस विधेयक को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जाय, उसके साथ मैं सहमत नहीं हो सकता क्योंकि, जहां तक मैं समझता हूं यह मामला देश के सामने आज नहीं आया है, आज से कई वर्ष पहले से देश के सामने आ चुका है और इस पर काफी से ज्यादा चर्चा भी हुई, काफी से ज्यादा कमेटियां भी बनीं और काफी से ज्यादा कमेटीज (समितियों) ने अपनी रिपोर्टस प्रतिवेदन भी दी हैं। साथ ही यह भी उन्होंने दर्शाया है कि इस पद्धति से दूसरे मुल्कों के साथ हमारा लेन-देन बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। इसलिये मैं इस हक में नहीं कि इसको राय आम्मा के लिये मुश्तहर कर दिया जाय, लेकिन इस हक में जरूर हूं कि जो अवधियां इस विधेयक में रक्खी गई हैं, उनको बढ़ा दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह जो त्रुटियां हैं उन को हमारे माननीय मंत्री ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में संशोधन जरूर करेंगे।

†**श्री कामत** : इस सभा में इस प्रकार के विधान के बारे में मुझे यह कहना है कि सरकार इस पर की गई आलोचना को ध्यान में रखे।

यह विधेयक, दशमलव टंकण विधेयक का, जो पिछले वर्ष सभा ने पारित किया था, संपूरक है। प्रकाशन विभाग की एक पुस्तिका में कहा गया है कि दशमलव प्रणाली को दशमिक प्रणाली से मिला दिया जाना चाहिये जिससे यह कार्य शीघ्र ही किया जा सके और इसे दस वर्षों में पूर्णतः लागू किया जाये। दशमलव प्रणाली तो १ अप्रैल, १९५७ से लागू की जा रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले दशमलव प्रणाली को अपना कर फिर दशमिक प्रणाली भी लागू कर दी जायेगी। मैं तो समझता हूं कि इससे बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न होगी। सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि देश में अनेक प्रकार की नाप और तोल होने के कारण बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है। अतः इतना तो साधारण आदमी भी जानता है कि इस समय आवश्यकता एक समान प्रणाली को लागू करने की है जो ठीक होने के साथ ही सम्पूर्ण देश के लिये सुविधाजनक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

हो। अतः तात्कालिक आवश्यकता दशमिक प्रणाली की न होकर एक समान प्रणाली अपनाने और इन सिक्कों और बांटों आदि की जांच के लिये एक कुशल निरीक्षालय स्थापित करने की है।

कुछ स्थानों पर तो पत्थर और कंकड़ बांटों के स्थान पर काम में लाये जाते हैं। जब सरकार जन-साधारण का हित करना चाहती है और कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है तो फिर उसे पहले इन सब चीजों को रखना चाहिये था किन्तु सरकार तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यस्त है। मीटरों और किलोग्रामों को हटाया जा सकता है। उपर्युक्त पुस्तिका में यह भी कहा गया है कि इसे पूर्ण-रूपेण १० वर्षों में लागू किया जायेगा। यहां कहा जाता है कि इस चीज को शीघ्र ही लागू किया जायेगा। मेरी समझ में इसका अर्थ नहीं आया।

†**सभापति महोदय** : इसका तात्पर्य यह है कि वह पूर्णरूपेण लागू की जायेगी किन्तु उसकी शब्दावली स्पष्ट नहीं है।

†**श्री कामत** : मैं संयुक्त समिति को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह इस खण्ड को स्पष्ट करें।

श्री गुह ने इस बात को स्वीकार किया था कि दशमलव टंकण प्रणाली के संबंध में पहला अधिनियम १८७१ में पारित हो गया था किन्तु किन्हीं कारणोवश लागू नहीं किया जा सका। मंत्री जी ने इस प्रणाली को सफल बनाने का भार शिक्षित जनता पर बहुत डाल दिया है। इस बारे में मैं कोई कटाक्ष नहीं करता। मुझे आशा है कि मंत्री जी की आशा पूर्ण होगी किन्तु गांवों के अशिक्षित लोगों को इसके लिये तैयार करना बड़ा कठिन कार्य है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों, श्रम संगठनों तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं से अभी परामर्श करने का समय है। ऐसा करने से इस प्रणाली को लागू करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है।

हम लोग भले ही जानते हों। किन्तु वैसा साधारण जनता अभी इस बात को नहीं जान सकी है कि नाप और तोल की दशमिक प्रणाली लागू की जाने वाली है। उन्हें यह चीज एकदम आश्चर्य-जनक सी जान पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने कम से कम विश्वविद्यालय तक जाकर विज्ञान नहीं पढ़ा है वे 'केंडेला और 'लुमिनासिटी' जैसे कठिन विज्ञान के शब्दों को समझनें में सर्वथा असमर्थ रहेंगे। अतः इन शब्दों को समझ पाना साधारण जनता के वश की बात नहीं।

दूसरी बात मुझे इस संबंध में यह कहनी है कि दशमिक प्रणाली यों कुछ लोग पसन्द भले ही करते हों वसे इसे अपनाना बहुत आवश्यक नहीं है। कुछ देशों में वैसे यह प्रचलित अवश्य है। प्रधान मंत्री ने एक दूसरे विधेयक के संबंध में भाषण करते हुए कहा था कि हम सापेक्षता सिद्धांत पर जनता का मत नहीं लेते। ठीक है किन्तु यह तो वैसे सिद्धांत नहीं है कि जिससे उनका काम न पड़ता हो। इसकी आवश्यकता तो हमें प्रति क्षण और प्रत्येक स्थान पर पड़ेगी। अतः इस प्रकार का विधान रखने से पूर्व कुछ और समय दिया जाना चाहिये तथा लोगों को शिक्षित करना चाहिये।

"एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" के अनुसार दशमिक प्रणाली हर जगह अनिवार्य नहीं है। हमारी स्थिति चीन से मिलने और उससे घनिष्ट संबंध होने के कारण हम उससे तुलना करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहां अभी इस बात में सन्देह है कि वे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकेंगे क्योंकि स्थिति बदल चुकी है।

†**सभापति महोदय** : राजनीतिक परिस्थितियां भी तो होती हैं।

†**श्री कामत** : चीन जैसे क्रांतिकारी सरकार ने भी इतने समय में दशमिक प्रणाली के बारे में कोई प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठाया।

फ्रांस में यह चीज अठारहवीं शताब्दी में ही-इस प्रणाली का सूत्रपात किया गया था। १७९१ में यह प्रणाली आरम्भ की गई और आज तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नि० बि० चौधरी** : कौन कह सकता है कि यह प्रणाली अब लागू हो सकेगी। खंड १ में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना देकर इस अधिनियम के उपबन्धों के लिये कोई एक दिनांक अथवा अलग अलग दिनांक निश्चित कर सकती है।

†**सभापति महोदय** : जहां तक मैं समझता हूं, धीरे धीरे करके सब मिला कर दस वर्षों में यह प्रणाली लागू हो जायेगी।

†**श्री कामत** : पुस्तिका में यह कहा गया है कि दस वर्षों के अन्दर यह प्रणाली लागू हो जायेगी किन्तु मेरी व्याख्या है कि समान दशमिक प्रणाली लागू करने में तेरह वर्षों से अधिक समय नहीं लगेगा।

†**सभापति महोदय** : यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती।

†**श्री कामत** : मुझे यह कहना पड़ता है कि वे स्थिति के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान हैं। खंड २ और खंड १४ से बड़ी गड़बड़ हो जायेगी और यदि संयुक्त समिति ने इनको ठीक न किया तो जन साधारण को अपनी नित्य प्रति की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते समय अत्यधिक कठिनाई होगी।

प्रतिरक्षा मंत्री भरती के लिये सेना के जवानों की शारीरिक क्षमता आदि के बारे में विस्तृत एक विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। इस दशमिक प्रणाली के कारण इंचों और गजों आदि को मीटरों और मिलीमीटरों में बदलने में बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी और कोई भी माप बिलकुल ठीक नहीं होगा।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : इंचों के फीते बदल दिये जायेंगे ।

†**श्री कामत** : इस विधेयक में जम्मू और काश्मीर को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रत्येक विधेयक के मामले में यही उपबन्ध किया जाता है और यह तर्क दिया जाता है कि काश्मीर सरकार की सम्मति नहीं ली गई है। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है।

†**सभापति महोदय** : विधेयक के पारित होने के बाद ही उसे संबद्ध राज्य सरकार की सम्मति ज्ञात करने के लिये भेजना ठीक होता है।

†**श्री कामत** : मुझे आशा है सरकार द्वारा विधेयक को पारित होने पर जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी। कई बार सरकार वहां की सरकार की सहमति प्राप्त करती ही नहीं। यह सब कुछ मेरी समझ में नहीं आता है। कम से कम ऐसे विधान के बारे में उसकी सहमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिये। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

यहां सामाजिक विज्ञान विश्वकोष अर्थात् अमरीकी विश्व कोष तो है, परन्तु रूसी विश्वकोष नहीं है। अतः उसको भी पुस्तकालय में रखा जाना चाहिये। अमेरिकी विश्वकोष में लिखा है कि सब देशों में दशमिक प्रणाली जारी किये जाने का विरोध किया गया है। अतः इस प्रणाली को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिये। जब तक देश के सभी लोग शिक्षित न हो जायें, तब तक मंत्री महोदय को देश में इस प्रणाली को जारी नहीं करना चाहिये।

निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये संविधान में दस वर्ष की अवधि रखी गई है, परन्तु इस बारे में प्रगति बहुत कम हुई है। इस धीमी प्रगति के साथ ऐसी एक प्रणाली को जारी करना जिसे देश की जनता समझ ही नहीं सकती है, उचित नहीं है। यदि यह प्रणाली जारी कर दी गई तो परिणाम यह होगा कि जनसाधारण को दैनिक जीवन में अत्यधिक असुविधा हो जायेगी और उनको पग पग पर धोखा दिया जायेगा।

मैं मानता हूं कि देश में एक रूप प्रणाली को लाने की आवश्यकता है। परन्तु दशमिक प्रणाली को जारी करने की बजाये प्रारम्भ में वर्तमान प्रणाली को ही ठीक करके उसमें एकरूपता लाई जा सकती है। हमें इस मामले में इतनी शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो वर्तमान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिये भार और माप की ठीक प्रणाली को निर्धारित करने और उसे लागू करने के लिये अच्छे शिक्षणालयों की आवश्यकता है। बाद में जब सब लोग शिक्षित हो जायें तो दशमिक प्रणाली जारी की जा सकती है। अभी तो लोग इस प्रणाली को समझने में भी असमर्थ हैं और इसकी बड़ी बड़ी अनुसूचियां हैं। मैंने भी विश्वविद्यालय में इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है फिर भी इसकी कई बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। फिर जन साधारण इसे कैसे समझेंगे। सरकार ने कोई पुस्तिका भी जारी नहीं की।

विधेयक में केवल भार और माप के प्रमाप निर्धारित करने का विचार है और शेष विषय राज्य सरकारों पर छोड़ दिये गये हैं।

मैं विधेयक के सिद्धांत का विरोधी नहीं हूं, बल्कि मैं इसके पुरःस्थापित किये जाने के लिये इस अवसर को उचित नहीं समझता हूं। भार तथा माप संबंधी विशेष समिति ने सिफारिश की थी कि सबसे पहले दशमिक प्रणाली की मुद्रा चलाई जानी चाहिये। हमने विधेयक पारित कर दिया है परन्तु अभी तक दशमिक मुद्रा चली नहीं है। उत्तम यह है कि सरकार को अगले वर्ष दशमिक मुद्रा जारी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और भार तथा माप के बारे में दशमिक प्रणाली जारी करने का काम अगली सरकार के लिये छोड़ देना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस बिल के मुताल्लिक जो तकरीरें हुई हैं, वे मैंने सुनी हैं डेसीमल कायनेज (दशमलव टंकन) के मुताल्लिक आबज़रवेशन्ज को पढ़ा है और मिनिस्टिर साहब की तकरीर को भी बड़े गौर से सुना है। इसके बावजूद मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई है कि इस बिल के खिलाफ उसूली एतराज क्या है। मैंने श्री कामत, श्री रेड्डी और श्री सोधिया की तकरीरें सुनी हैं और उन तीनों मैम्बर साहबान ने इस बिल के उसूल से इख्तिलाफ नहीं किया है। श्री सोधिया और श्री रेड्डी की तकरीरें से यह साफ वाजेह होता है कि इस बिल के मुतल्लिक बेहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए और इस को पब्लिक ओपीनियन (लोक मत) एलिसिट करने के लिये भेज देना चाहिये। खुद इस बिल की दफा ३ से मालूम होता है कि फिलवाके इस में जल्दी की कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है कि आज कल ही यह हमारी पार्लियामेंट में पास हो जाय, वर्ना फिर कभी यह नहीं होगा। या ऐसा न करने से कोई नुकसान होगा।

जनाब के नोटिस में शायद एनफोर्समेंट (प्रवर्तन) के बहुत कम प्राविज़न्ज़ (उपबन्ध) आए होंगे, जिनमें लफ्ज़ "डिफरेंट" (भिन्न) का इस्तेमाल इस कद्र प्रोफ्यूज़ली किया गया है। इस बिल में लिखा हुआ है कि :

"इस अधिनियम के भिन्न उपबन्धों, अथवा भिन्न क्षेत्रों अथवा आश्वासनों की भिन्न श्रेणियों अथवा भिन्न प्रकार के माल के लिये विभिन्न तिथियां निश्चित की जायें।"

हिन्दुस्तान की मौजूदा कन्डीशन्ज में यह प्राविजन निहायत वाजिब है, इस बात को मैं डाउट (संदेह) नहीं करता हूं। इस हाउस का कोई भी मेम्बर इस बिल के ऊपर मोतरज़ नहीं है। जो बिल हमारे सामने रखा गया है, उसमें लिखा गया है कि दुनिया के ७० कन्ट्रीज़ (देशों) ने इन पैमानों को तस्लीम किया है, जिस के मायने यह हैं कि दुनिया भर में यह मीट्रिक सिस्टम रायज है और बड़ा काबिले कबूल है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब हम दुनिया के साथ लेन-देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो फिर इन स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्ज (प्रामाणिक माप तौल) को कम से कम उसूलन क्यों न मानें। मेरे दोस्त कामत साहब ने एनसाइक्लोपीडिया (विश्वकोश) और दूसरी किताबों से पढ़ कर सुनाया। उन में यह नहीं कहा गया है कि जहां तक वेट्स एंड मेज़र्ज़ का सवाल है, वे मुख्तलिफ़ कन्ट्रीज़ (देशों) में मुख्तलिफ होने मुनासिब हैं या उन कंट्रीज में वे रायज नहीं हैं। उन्होंने फरमाया कि मीट्रिक सिस्टम (दशमिक प्रणाली) आबलीगेटरी नहीं है, लेकिन वह तो अलग बात है सवाल तो यह है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस में ७० कंट्रीज उस सिस्टम को मानते हैं, तो फिर उसूलन उसको मान लेने में क्या एतराज है।

श्री कामत : वहां भी लाज़िमी नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सिर्फ एक जगह सुना कि लाजिमी नहीं है, बाकी जगह तो आपने नहीं सुना ।

इस सिस्टम को यहां पर रायज करने के उसूल के कोई भी आनरेबल मेम्बर खिलाफ नहीं है। इस बारे में इख्तिलाफ हो सकता है कि इसको इस मुल्क में रायज करने में कितना अरसा लगेगा। इस सिलसिले में मैं जनाब की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यहां पर मिन्ट (टकसाल) बने हुए इतना लम्बा अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस मुल्क में सारे सिक्के उस तरह रायज नहीं हैं, जिस तरह कि हम समझ बैठे हैं। आज भी कई जगहों पर कौड़ियां और डबल पैसा और दूसरी कई चीजें चलती हैं। सब जगह पाई और पैसा नहीं चलता है, हालांकि उनको रायज हुए इतना अरसा हो चुका है। इसी तरह मुल्क में कच्चा मन, पक्का मन वगैरह बीस तरह के स्टैंडर्ड्ज़ (प्रमाप) हैं। एक भाई ने पढ़ कर सुनाया कि यहां पर मन की डिनामिनेशन्ज (अभिधान) की १४० वैरिएशन्ज़ (विभिन्नताएं) हैं। पहाड़ों और कई दूसरी जगहों पर लोग पक्के वेट्स एंड मेजर्ज को नहीं जानते हैं। इस सिलसिले में स्टेट्स में जो हालत है, वह उन लोगों से पूछिए, जो कि वहां बसते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स ने इन वेट्स एंड मेजर्ज़ की वजह से लोगों को कितनी तकलीफ दे रखी है और कितनी कनफ्यूजन पैदा की हुई है, वहां के लोग ही जानते हैं। मैं पंजाब से आया हूं, जो कि एक बड़ी एडवान्स्ड स्टेट है। आप वहां किसी मंडी में किसी भी दूकानदार से पूछिए कि लोगों को इस मामले में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी श्री हेमराज जी ने बताया है कि वहां पर इंस्पैक्टर्ज ने हैवक किया हुआ है। वे लोगों का चालान करते हैं और बिला वजह चालान करते हैं। इंस्पैक्टर्ज (निरीक्षक) इतने बढ़ गए हैं कि हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है। जहां तक सिक्कों का ताल्लुक है; कम से कम वे गवर्नमेंट की मिन्ट में तो बने हुए हैं और जो सिक्के लीगल टेंडर (विधि मान्य) नहीं हैं, वे काउन्टरफीट तो हैं, लेकिन इसके मुकाबले में आज जितने वेट्स एंड मेज़र्ज़ बने हुए हैं, उन को कौन बनाता है ? वे किसी मिन्ट में नहीं बनते हैं। उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) नहीं बनाती है। लोकल गवर्नमेंट्स चन्द बड़े बड़े मानोपलिस्ट्स (एकाधिकारियों) को ठेके दे देती हैं और वे लोग इन को बनाते हैं। उस के बाद यह देखने के लिये कि वे वेट्स एंड मेज़र्ज़ ठीक हैं या नहीं, साल-ब-साल उन पर ठप्पे और मोहरें लगाई जाती हैं। इसमें लोगों को बहुत वक्त जाया हो जाता है और उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये पहली और लाजमी तजवीज़ यह है कि सब वेट्स और मेज़र्ज़ सिक्कों की तरह गवर्नमेंट फैक्टरी में बनें और कोई प्राइवेट आदमी इनको न बनावे। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि उतने अरसे में, जितने में कि हम इसको रायज करना चाहते हैं, हमें इसको रायज करने में मुश्किल आ सकती है। मेरे दोस्त ने सफा ७ पर से पढ़ कर सुनाया कि गवर्नमेंट का मन्शा यह है कि पहले डेसीमल कायनेज आए और फिर ये वेट्स एंड मेज़र्ज़ आयें। उसी के मुताबिक इस बारे में अमल किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि डेसीमल कायनेज प्रीकर्सरी होगा वेट्स एंड मेज़र्ज़ का। यहां पर सवाल यह है कि चूंकि यह बिल हर एक शख्स की लाइफ को एफेक्ट (प्रभावित) करेगा, इसलिये अगर यह तजवीज की जाय कि इसको लोगों की राय जानने के लिये सर्कुलेट (परिचालित) किया जाय, तो इसमें खराबी की क्या बात है ? मेरी समझ में नहीं आता कि इस तजवीज को मानने से क्या फर्क पड़ जायगा । आखिर इसको इतनी जल्दी रायज करने की क्या वजह है ? मेरे ख्याल में तो यह जरूरी है कि जब भी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए, जिसका ताल्लुक लोगों की रोज-मर्रा की जिन्दगी से हो, उस वक्त उसके बारे में हर एक शख्स की राय मालूम करने का तरीका अख्तियार किया जाना चाहिये। हकीकत यह है कि जब किसी बिल को पब्लिक ओपीनियन एलिसिट (राय प्राप्त) करने के लिये भेजा जाता है, तो वह लोकल गवर्नमेंट (स्थानीय सरकार) और बार एसोसियेशन्ज (सन्थाएं) वगैरह और चन्द एक मुतादिद लोगों के पास जा कर ही रह जाता है। हमारे रेड्डी साहब और सोधिया साहब जिन लोगों की राय जानना चाहते हैं उनकी राय आज तक किसी बिल के बारे में नहीं जानी गई है। एक दफा मैंने एक बिल के बारे में छः लाख आदमियों के दस्तखत पेश किये थे और आज जो भी भवन के एक कमरे में रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। किसी ने उनको उठा कर नहीं देखा। आज तक उतनी रायें किसी बिल के बारे में नहीं आईं,जितनी कि उस बिल—वनस्पति बिल—के बारे में आई थीं। इसलिये मेरा कहना यह है कि कम से कम लोकल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और पब्लिक के आदमियों की राय जानने की तकलीफ आप क्यों नहीं करते। यह अमेंडमेंट (संशोधन) आप क्यों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नहीं मानते। इसमें क्या फर्क पड़ जायगा ? इस बिल के उसूल को तो कोई भी क्वेस्चन नहीं करता है। हिन्दुस्तान के सामने इस के अलावा कोई चारा ही नहीं है कि वह इन वेट्स एंड मेज़र्ज़ को एक्सेप्ट (स्वीकार) करे। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव (वैकल्पिक) चीज ही नहीं है, जिसके बारे में हम कहें कि हम उसको मानेंगे और इस सिस्टम (प्रणाली) को नहीं मानेंगे। जहां तक इलैक्ट्रिक करेन्ट (बिजली), टेम्परेचर (ताप) और लूमिनस इन्टेन्सिटी (प्रकाश की गहनता) के यूनिट का ताल्लुक है मैं नहीं जानता कि उन के लिये एम्पीयर, सेन्टीग्रेड और कैन्डला होना चाहिये या कुछ और होना चाहिये।

श्री कानूनगो : हमारे मुल्क में यही चालू हैं !

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर यही चालू हैं, तो यह हमारी कालोसल इग्नोरेंस (बड़ी भूल) है कि हम उनको भी नहीं जानते। यहां पर सवाल तो लोगों को एजूकेट करने का है। हमारे गृह साहब बड़े तजुर्बाकार मिनिस्टर हैं। उन्होंने लिखा है कि जब तक पब्लिक इस बारे में को-आपरेट (सहयोग) करके इन वेट्स एंड मेज़र्ज़ को पापुलर नहीं करेगी, तब तक हम इन का फायदा नहीं उठा सकते। डेसीमल कायनेज (दशमलव टंकन) के मुकाबले में वेट्स एंड मेज़र्ज़ कई दर्जे मुश्किल चीज हैं और उनको समझना और पापुलर करना और भी मुश्किल होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस काम के लिये तीन साल का अरसा मेरी नाकिस राय में बहुत थोड़ा है और इसको बढ़ाया जाना चाहिये। लोगों में कोई भी चीज—बहुत अच्छी चीज भी—पापुलर करने में बड़ी देर लगती है। हमारी यह एज़म्प्शन (धारणा) गलत है कि दिल्ली में कोई बिल पास करने से ही वह हिन्दुस्तान के गांव गांव में फैल जायगा। यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, जिनकी राय में दस साल का अरसा इसको पूरा करने के लिये बहुत कम है। मेरे ख्याल में आप इस पीरियड (काल) को फ्लैक्सिबल (लचीला) कर दें। अगर आप देखें कि पेस आफ प्राग्रेस (प्रगति की गति) बहुत तेज़ है और लोगों में एजूकेशन बहुत बढ़ रही है और वे बहुत जल्दी इस को समझने लग जायेंगे, तो आप को आख्तयार है कि आप इस को कम कर दें। यह सब कहने में मेरा मतलब यह है कि हम को इस सवाल को एक रीयलैस्टिक (यथार्थवादी) तरीके से देखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस बात पर जिद्द न की जाए कि इतने अर्से में यह चीज आए। मैं चाहता हूं कि इन दोंनों बातों पर सिलैक्ट कमिटी (प्रवर समिति) गौर करे।

एक और जिमनी सवाल उठता है जिसकी तरफ मेरे दोस्त रेड्डी साहब ने भी आपका ध्यान दिलाया है। यह सवाल नामनक्लेचर (नामावलि) जो आपने एकसेप्ट किए हैं उसके बारे में है। ये नामनक्लेचर (नामावलि) वही ह जो कि दूसरे मुल्कों ने एकसेप्ट किए हैं। पेशतर इसके कि मैं इसके बारे में अर्ज करूं मैं एक दलील जो हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) साहब ने हाउस में दी थी उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना अपना फर्ज समझता हूं। उन्होंने कहा था कि जितनी देर डेसिमल कायनेज को चालू करने में करोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। आज जितनी भी केलकुलेटिंग मैशींस (गणना मशीन) वगैरह हमारे देश के अन्दर हैं उनको तबदील करने में बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बहुत ज्यादा तकलीफात का सामना करना पड़ेगा जैसे कि दूसरे मुल्कों को करना पड़ा है। यह काम इतना कालोसल (महत्) और ओवरवैलहमिंग (बड़ा) नजर आता है कि सारे देश के अन्दर जो यार्ड है या बीघा है उन सब को एक लाइन के अन्दर लाना बहुत ही मुश्किल है। जो अर्सा रखा गया है उसमें तबदीली लाना कठिन नजर आता है। आज देश में गिरह और गज़ और बालिश्त वगैरह चलते हैं और मीटर नहीं चलते हैं। जब यह तबदीली आयेगी तो जो होशियार आदमी हैं वे गरीब आदमियों को चीट (धोखा देना) करेंगे। आप का मंशा यह है कि यह जो चेंज-ओवर हो वह इस तरह से ग्रेजुअल हो, इस तरह से सिस्टेमेटिक हो कि लोगों के साथ धोखा न हो सके। जहां तक इस बिल के उसूल का ताल्लुक है, मुझे इस हाउस के अन्दर कोई भी ऐसा आदमी नजर नहीं आया जो कि इसके बरखिलाफ हो। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि जितना भी प्रचार आप करें, वह किसी सूरत में कम नहीं होना चाहिये। मैं जानता हूं कि हर रोज हम कानून पास करते हैं जो कि गजट में शाया हो जाते हैं। इसके बारे में भी आप ऐसा ही करेंगे और बहुत

ज्यादा जोर मारेंगे तो उनको वरनैक्युलर पेपर्स (देशी भाषाओं के समाचार पत्रों) में भेज देंगे और और भी जोर मारेंगे तो बीट आफ ड्रम (ढोल बजा कर) से एनाउंसमेंट (घोषणा) करवा देंगे। यह सब कुछ तो हो सकता है। मैं आपको एक मामूली सी बात बतलाता हूं। यह जो कम्पेंसेशन स्कीम (प्रतिकर योजना) का मामला था जिन को रुपया लेना था उसके बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। यह चीज़ ऐसी थी जो कि वाइल्ड फायर (भयानक आग) की तरह फैल जानी चाहिये थी क्योंकि लोगों को रुपया लेना था। ताहम कई लोग ऐसे रह गए जिनको कि रुपया लेना था और जिन्होंने दरख्वास्तें नहीं दी और जिनके बारे में आज यह कहा जाता है कि अब सब रास्ते बन्द हो गए हैं और क्यों उन्होंने वक्त पर दरख्वास्तें नहीं दी और इसके सबूत में वे डाकुमेंट्स (प्रलेख) पेश करें। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बदकिस्मती से इस देश में असली हालत क्या है, कितनी ज़्यादा इगनोरेंस (अज्ञान) है, कितनी ज़्यादा इलिट्रेसी (निरक्षरता) है, इसका अंदाज़ा कोई भी इस हाउस के अन्दर लगाने को तैयार नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूं कि यह चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश के अन्दर १५ परसेंट से ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो दस्तखत करना जानते हों। यह सही बात मालूम पड़ती है। बावजूद फाइव यीर प्लान (पंच वर्षीय योजना) के अन्दर सब फिगर्स (आंकड़े) देने के उसमें यह लिखा हुआ है कि अभी तीन प्लान पीरियडस (कालावधियों) की जरूरत होगी पेशतर इसके कि हम कांस्टीट्यूशन (संविधान) में जो हुक्म है कि १० साल के अन्दर हम फ्री और कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन (अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा) सब को दे सकें। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप जल्दी न करें और आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि रेलवे ने इस काम में सब से पहले कोओप्रेट करने को कहा है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स (विभाग) हैं उन सबको सबसे पहले आगे आना चाहिये और इसको हर तरीके से पौपुलराइज़ करना चाहिये। इसमें कुछ तरीके भी दिए हुए हैं कि पैम्फलेट्स (पत्रिकाओं) के ज़रिये से लोगों को एजुकेट (शिक्षित) किया जाएगा। क्या ये पैम्फलेट्स उनके लिए जारी किये जायेंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। गांवों के अन्दर इस चीज़ को चलाने के लिये कितने ही बरस लग जायेंगे। वेट्स एंड मेज़र्स के बारे में सन् १९३९ के अन्दर एक एक्ट पास हुआ था। उसके बारे में आपने स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस एंड रीज़ंस (कारणों और प्रयोजनों का विवरण) में लिखा है कि तोल प्रमाप अधिनियम १९३९ और नाप प्रमाप अधिनियम १८८९ में तोल और लम्बाई के प्रमाप दिये हुए हैं परन्तु उन्हें देश में कभी लागू नहीं किया गया।

जब इन पर आप की इतनी कोशिशों के बावजूद आज तक पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है तो यह जो आप बिलकुल नई चीज़ बना रहे हैं इसको अमल में लाने के लिये आप क्यों इतनी ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। आप क्यों यह चाहते कि हैं कि यह चीज तीन साल में खत्म हो जाये या १० साल में खत्म हो जाये। यह वाजिब नहीं है। आप इसको फ्लेक्सिबल (लचीला) क्यों नहीं रखते हैं। अगर आप तेज़ी से कदम बढ़ा सकते हैं तो तेज़ी से बढ़ायें और अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसके मुताबिक चलें। तो मैं चाहता हूं कि सिलैक्ट कमिटी (प्रवर समिति) इन सब बातों पर ध्यान दे और जो पीरियड रखा गया है उस पर गौर करें। जो रीयलिस्टिक चीज़ है वह होनी चाहिये और हमें प्रेक्टिकल (व्यवहार कुशल) आदमियों की तरह से विचार करना चाहिये।

जहां तक उसूलों का सवाल है, मैं नहीं समझता कि किसी को इन पर कोई ऐतराज़ है। मैं अपने आप को एक मैम्बर पार्लियामेंट होते हुए भी इस काबिल नहीं पाता कि जहांतक इस चीज़ का ताल्लुक है कि किलोग्राम कितने सेर के बराबर होता है यह क्या चीज़ किसके बराबर होती है, मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस होती है कि इससे मैं वाकिफ नहीं हूं।

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : की छप जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : त्यागी जी कहते हैं कि की (कुंजी) छप जायेगी। मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि त्यागी जी देहरादून से आगे नहीं चलते हैं। जो किताब छपेगी वह किसके काम आएगी, क्या इस पर भी उन्होंने विचार किया है। मैं तो समझता हूं कि वह देहरादून के आगे गांव के अन्दर नहीं जाते हैं और वहां की क्या हालत है इसका पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उनकी जो रोशनी है वह देहरादून और मसूरी के जो गरीब आदमी हैं उन तक नहीं पहुंचती है। उस गरीब आदमी का जो पढ़ा लिखा नहीं है क्या होगा यह आप बतायें। आप कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि आप जितनी तेज़ी के साथ उस तक पहुंचना चाहते हैं उतनी तेज़ी के साथ पहुंच सकें।

श्री कामत : चुनाव के दौरान में जायेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं चाहता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर सिलैक्ट कमिटी विचार करे।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और जन मत जानने के लिये इसे परिचालित कराने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री सोधिया ने कहा है कि व्यापारियों और वाणिज्य मंडलों से परामर्श नहीं लिया गया है। मैं माननीय सदस्य और श्री रेड्डी से पीतंबर पंत की पुस्तक "भारत में दशमलव प्रणाली" पढ़ने की कृपा करने की प्रार्थना करता हूं, जिसमें इस प्रणाली की विशद रूप से व्याख्या की गई है। भारत में इस विषय के संबंध में अनेक अधिनियम हैं, जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। माप और भार स्थान स्थान पर भिन्न हैं। इसलिये हम कुछ एक रूपता लाना चाहते हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपने भाषण को कल जारी करें, अब मनीपुर के विकास अनुदानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा होगी।

मनीपुर के लियें विकास अनुदानें

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मनीपुर राज्य की ओर सामान्य रूप से और आदिम जाति क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से सहानुभूति हीन बर्ताव किया जाता है। वहां की राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार उनके विकास की योजनाओं के बारेमें किंचित परवा नहीं करती हैं। मंत्रीगण और वहां के प्रतिनिधि मनीपुर की जनता की भलाई के लिये कुछ भी नहीं करते हैं।

१९५५–५६ में वहां के लिये जो राशि मंजूर की गई थी उसमें से साढ़े ग्यारह लाख रुपये व्ययगत हो गये थे। ग्रामवासियों ने वहां १५०० रुपये प्रति मील की दर से सड़कें बनाई थीं, और उनको कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने ताम-लोंग सब डिवीज़न में ३५ मील लम्बी सड़क और उखरूल में १० मील सड़क बनाई थी।

ताम-लोंग एक अकाल-ग्रस्त क्षेत्र है और वहां के लोगों ने बड़े उत्साह से सड़क बनाई थी, परन्तु उनको धन न मिलने के कारण वे बहुत दुःखी हैं। उन्होंने इस आशय का पत्र वहां के विकास आयुक्त को भी लिखा था, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि उन लोगों ने २५ मील मंजूर शुदा सड़क के स्थान पर ३५ मील लम्बी सड़क बना दी तो क्या कोई ऐसा अपराध कर दिया कि उन्हें उनकी मजूरी भी न दी जाए।

कूओं, स्कूलों और अस्पतालों तथा सिंचाई के नालों के बनाये जाने के लिये मनीपुर सरकार को कोई १००० आवेदन प्राप्त हुए थे, जनता ने कुछ कूएं, अस्पताल आदि समय से पहले बना भी दिये, परन्तु उनको मजूरी अभी तक भी नहीं दी गई है।

आदिम जाति क्षेत्रों में प्रति वर्ष जीप चलने योग्य सड़कों और झूलेदार पुलों के निर्माण के लिये १९५२ से लगातार धन मंजूर किया जाता है, परन्तु अभी तक न कोई सड़क बनाई गई है और न ही कोई पुल। मुझे आशा है माननीय मंत्री इसके बारे में सभा को कुछ सूचना दे सकेंगे। पहली योजना से लेकर प्रति वर्ष यह धन व्ययगत हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय आदिम जाति विकास बोर्ड के अधीन तीन सब डिवीजनल बोर्ड हैं, जो लोगों से अर्जियां लेकर मनीपुर बोर्ड को भेजते हैं। हजारों अर्जियां आ चुकी हैं, परन्तु राज्य सरकार उन अर्जियों को दिखा भी नहीं रही है। फिर इस आदिम जाति सलाहकार बोर्ड की क्या आवश्यकता है, जब हमें अर्जियां भी देखने को नहीं दी जाती हैं? या तो धन बहुत ही कम खर्च किया जाता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है। सत्तारूढ़ दल के लिये सदस्य भर्ती करने वाले लोगों को कूओं आदि के लिये अनुदान दिया जाता है। यह वहां के स्थानीय अधिकारियों की अवस्था है।

खौबूम गांव के मुखिया की हत्या राजनैतिक झगड़ों के कारण हुई। झगड़ा इस बात पर हुआ कि एक व्यक्ति से कहा गया कि "तुम इतने व्यक्तियों को सत्तारूढ़ दल का सदस्य बनाओ, तब कुआं खोदने में तुम्हारी सहायता की जायेगी।" उसने कुआं खोदा, मुखिया ने झगड़ा किया और अन्त में मुखिया जान से मारा गया। इस प्रकार की बातों से विकास कार्य में बाधा पड़ती है और प्रजातंत्र की भावना की हत्या होती है। इस प्रकार की बातें कदापि नहीं होनी चाहिये। रास्ते जब वर्षा ऋतु में चट्टानों के फिसलने से खराब हो जाते हैं तो लोगों से अतिरिक्त मजूरी दिये बिना ही काम कराया जाता है। यह भी ठीक नहीं है।

वहां के लोग चट्टानों के फिसलने को रोकने के लिये गाय आदि की बलि देते हैं ताकि उनके खेत सूख न जाएं और वे अपनी मजूरी मांग न सकें। उन्होंने जो काम किया था, अभी तक उसकी मजूरी भी नहीं दी गई है। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकी है, जिसके फलस्वरूप भारी बकाया हो गया है और अनुदान व्ययगत हो गये हैं। वहां प्रविधिक कर्मचारियों की बड़ी कमी हो रही है। सीमेन्ट और नालीदार लोहे की चादरों का अभाव है। सत्ताईस रिक्त स्थानों के लिये १५७ व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र भेजे परन्तु स्थानीय सरकार ने उनमें से किसी को भी ओवर-सियर के पद पर नियुक्त किये जाने योग्य नहीं समझा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय शिक्षा संस्थाओं का स्तर इतना गिर गया है कि उनमें अर्हता प्राप्त करने वालों को मनीपुर में ओवर-सियरों के पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता? यदि यह बात नहीं है, तो फिर उनके साथ पक्षपात किया गया होगा।

राज्य सरकार ने नालीदार लोहे की चादरों और सीमेंट पर नियंत्रण किया है। इनके आयात का पूर्ण एकाधिकार एक व्यापारी को दे दिया गया है और इस व्यापारी ने राज्य में एक कृत्रिम अप्राप्यता और एक प्रकार की मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न कर दी है। राज्य सरकार मनीपुर के अन्य व्यक्तियों को भी आयात करने की अनुमति क्यों नहीं देती?

मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। १९५२–५३ में ६ लाख की मंज़री दी गई थी, २.८ लाख खर्च किये गये और ३.२ लाख रुपये व्ययगत हुए थे। इसी प्रकार, १९५३–५४ में २.२३ लाख रुपये, १९५४–५५ में ३.२७ लाख रुपये और १९५५–५६ में ११.५० लाख रुपये व्ययगत हुए थे। इस समूची अवधि में, राज्य सरकार ने कुल १७.७७ लाख रुपये का उपयोग किया और २० लाख रुपये को व्ययगत हो जाने दिया है। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि इसे रोका जाये और काम पूरा कर चुकने वाले ग्रामवासियों को तत्काल ही मजूरी का भुगतना किया जाये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक अल्प सूचना प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या वर्ष १९५५–५६ में कुछ धन राशि व्ययगत हुई थी? क्या कुछ अनिवार्य कारणों से उसका औचित्य सिद्ध होता है? उस वर्ष आदिम जाति कल्याण योजनाओं के लिये १४.६२ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी। दुर्भाग्यवश, वह पूरी राशि खर्च नहीं की जा सकी थी। मैं उसके कारण गिनाता हूं। लेकिन मैं पहले माननीय सदस्य का यह भ्रम दूर कर देना चाहता हूं कि ग्यारह लाख या इससे कुछ अधिक रुपयों की राशि व्ययगत हो गई थी। यह सही नहीं है। उस वर्ष १४, ६२,००० रुपयें मे से सात लाख रुपये खर्च किये गयें थें। माननीय सदस्य नें मसलें को यह कह कर पेचीदा बना दिया है कि कुछ श्रमिकों आदि को जो मजूरी आदि दी जानी थी वह भी व्ययगत हो गई थी। केवल इसलिये कि वह राशि १ अप्रैल, १९५६ से पहले नहीं दी जा सकी थी, माननीय सदस्य ने

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दातार]

गलती से यह समझ लिया कि वह राशि भी व्ययगत हो गई थी। स्थिति यह नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह बताता हूं कि इन सात लाख रुपयों के व्ययगत होने का ब्यौरा इस प्रकार है। भारत सरकार ने वर्ष १९५५-५६ के दिर्माण-कार्यों के लिये १२,२६,००० रुपयें की मंजूरी दी थी। निर्माण कार्यों पर इन में से ५,४५,००० रुपये खर्च हुए थे। इसमें से २,१५,००० रुपये की राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया गया था। ३१ मार्च, १९५६ तक ३,३०,००० रुपयों की राशि अदा नहीं की गई थी। उसके कारण भी मान्य हैं। मैं उन्हें बताता हूं। व्यय की एक अन्य मद के लिये भी मंजूरी दी गई थी। वह थी--वास्तविक निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के निर्माण कार्यों के संबंध में। २,३६,००० रुपये की मंजूरी दी गई थी। इसमें से वास्तव में १,५१,००० रुपये खर्च किये गये थे और समूची धन राशि का पूरी तौर से भुगतान कर दिया गया था।

जहां तक कि वर्ष के अन्त में ३,३०,००० रुपये का भुगतान न किये जाने और सात लाख रुपये के व्ययगत होने का संबंध है, हमने मनीपुर के संबंध में आड़े आने वाली कुछ कठिनाइयों पर ध्यान दिया है। माननीय सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि ओवरसियरों के पदों के लियें विज्ञापन दिये जाने पर अनेक योग्य और अनुभवी ओवरसियरों ने भी प्रार्थना-पत्र भेजे थे। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि सदा से ही इस मनीपुर के प्रशासन की सबसे बड़ी कठिनाई यही रही है कि पर्याप्त प्रविधिक कर्मचारी नहीं मिले हैं। उनका इतना अधिक अभाव है कि अन्ततः हम न तो उस राज्य में से और न पड़ोस के आसाम आदि अन्य राज्यों से ही पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती कर सके थे। कुछ मामलों में तो हमने अधिक सुविधाजनक शर्तें भी रखी थीं। इसके बाद भी, पड़ौसी बंगाल तथा आसाम क्षेत्रों के ओवरसियर वहां जाने को तैयार नहीं थे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : वे शर्तें कितनी सुविधाजनक थीं ?

†**श्री दातार** : कभी-कभी तो हम बीस प्रति शत अधिक भी देने को तैयार थे। इन मामलों में हम इन लोगों को अधिक वेतन देने के लिये तैयार थे, लेकिन न तो आसाम से और न बंगाल से ही ये लोग मनीपुर में जाने के लिये तैयार हुए। तब हमने यहां से लोगों को भेजने की कोशिश की। वह भी एक कठिन कार्य सिद्ध हुआ है, हालांकि हम यहां से यथा सम्भव अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सभा यह अच्छी तरह से समझ सकती है यह आरम्भिक कठिनाई हमेशा ही रही है, केवल इसी वर्ष नहीं, बल्कि वर्ष १९५३-५४ से ही यही कठिनाई है।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हम पूरी राशि को खर्च नहीं कर सके हैं लेकिन माननीय सदस्य यह तो महसूस कर सकते हैं कि हम आदिम जाति जनों की यथा सम्भव उन्नति करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

हमें प्राविधिक कर्मचारियों की एक भारी संख्या की आवश्यकता है। इमारतें बनाने के लिये, औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूलों और कई अन्य चीजों के लिये हमें उनकी आवश्यकता है। यह सभा सरकार के सामने उपस्थिति इस समस्या की गम्भीरता को तब पूरी तौर से अनुभव करेगी जब मैं सभा को यह बताऊंगा कि सरकार ने चालू वर्ष में इम्फाल में एक प्रविधिक स्कूल खोलने के लिये पांच लाख रुपये की एक धन राशि अलग रख ली है। उस प्रविधिक स्कूल में आदिम जातियां के विद्यार्थियों को सिविल, मिकैनीकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा। मैं सभा को यह भी बता दूं कि अन्त में सरकार को इसी क्षेत्र में--मनीपुर राज्य में ही--एक प्रविधिक संस्था खोलने के प्रयोजनार्थ पांच लाख रुपये की एक राशि व्यय करने पर अन्ततः विवश होना पड़ा था। इस संबंध में यही सबसे प्रमुख बात है, जिसे भली प्रकार समझा जाना चाहिये। हम सदा ही यथासम्भव अधिकतम धन राशि व्यय करने को तैयार हैं, लेकिन इन कुछ कठिनाइयों के कारण ही हम उसे व्यय नहीं कर सके।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जहां तक अन्य कठिनाइयों का संबंध है, माननीय सदस्य यह समझ लें कि उन्होंने सीमेंट तथा जिन अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया है, वे राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। उन पर केन्द्र का नियंत्रण है। इसलिये, जहां तक केन्द्रीय सरकार, या इस मामले में मनीपुर राज्य का संबंध है इन वस्तुओं की चोर बाजारी नहीं की जा सकती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे भरसक प्रयत्नों के बाद भी सीमेंट और नालीदार लोहे की चादरें प्राप्त नहीं की जा सकी थीं। कठिनाई मनीपुर राज्य के कारण नहीं, बल्कि केन्द्र के कारण थी। हम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को इस बात पर सहमत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वह यथाशीघ्र इनकी आवश्यक मात्रा सुलभ कर दे। केवल मनीपुर राज्य में ही यह कठिनाई नहीं है, यह तो एक अखिल भारतीय प्रकार की कठिनाई है। इसमें जिस नीति का अनुसरण किया जाता है, वह एक अखिल भारतीय नीति है और इस संबंध में किसी भी ग्राहक या विक्रेता विशेष के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। इसलिये, मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने मामले में ऐसी बातों को, सम्मिलित न करें, क्योंकि इनसे उनका पूरा मामला भी गड़बड़ा जाता है। वैसे इसके अतिरिक्त, उनका पूरा मामला काफी स्पष्ट है। हमें अधिकारियों के अपचार और भ्रष्टाचार आदि की बातें नहीं करनी चाहियें। ये सभी बातें बड़ी जल्दी दूसरों के ध्यान में जम जाती हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के आड़े आने वाली कठिनाइयों को भी समझें।

दूसरा प्रश्न था कि ३,३०,००० रुपये का राशि का ३१ मार्च, १९५६ से पहले भुगतान क्यों नहीं किया जा सका। इस मामले विशेष में, मनीपुर सरकार ने हमारे पास अपनी योजनायें भेजने में कुछ विलम्ब कर दिया था। उसने अप्रैल के स्थान पर, वे योजनायें जून में हमारे पास भेजी थीं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि त्रिपुरा और मनीपुर के संबंध में कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां हैं। संचार साधनों की कठिनाइयां आप जानते ही हैं। राज्य सरकार को मामले की जांच कर के यह पता लगाना पड़ता है कि जिले या नगर ही नहीं, गांव के स्तर पर भी क्या-क्या आवश्यकतायें हैं। इसी कारण ये योजनायें जून १९५५ में हमारे पास विचार करने और मंजूरी देने के लिये आई थीं। हमने यहां से सितम्बर १९५५ में उनकी मंजूरी दे दी थी। योजनाओं को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत कर दिया गया था, लेकिन हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनके अन्तर्गत कुछ प्रविधिक शर्तों को मान कर चलना पड़ता है। जहां तक कि ३,३०,००० रुपयों की अदायगी का संबंध है, हुआ यह था कि हमारे पास जांच के संबंध में माप जोख करने वाले ओवरसियरों की कमी थी। सरकार बिना यह देखे हुए कि काम की माप-जोख उचित ढंग से की गई है या नहीं, और उन माप-जोखों की जांच ठीक प्रकार से की गई है या नहीं, भुगतान नहीं कर सकती है। उसे पहले पूर्ण संतोष हो जाना चाहिये। हमारे पास ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं थे जो ३१ मार्च, १९५५ या उससे पहले पूर तौर पर इस काम को पूरा कर सकते। इसीलिये, उस राशि की अदायगी रुकी रही थी। लेकिन मैं सभा को बता दूं कि जहां तक इस भुगतान का संबंध है, उसकी मंजूरी दी जा चुकी है और मै समझता हूं कि इस समय तक तो अधिकांश भुगतान कर भी दिया गया होगा। इसलिये इस प्रश्न के संबंध में भी सभा को यह समझना चाहिये कि हमारी कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हैं। अवश्य ही यह सभा यह तो आशा करेगी नहीं कि माप-जोखों को उचित जांच के बिना ही राज्य सरकार भुगतान कर दे, और मैं बता चुका हूं कि प्रविधिक कर्मचारियों की अपर्याप्तता या उनके पूर्ण अभाव के कारण ही हमें भुगतान रोकना पड़ा था।

इसके बाद प्रश्न उठाया गया था ग्रामीणों द्वारा किये गये कार्य का। माननीय सदस्य ने किये गये कार्य की मीलों में जितनी लम्बाई बताई है, वह भी सही नहीं है। जहां तक तामगलोंग में किये गये कार्य की मीलों में लम्बाई का संबंध है, वह केवल २६ मील का था, ३५ मील का नाहीं। उखरूल में तो वह केवल २० मील का ही था। जहां तक इस कार्य का संबंध है, सरकार भुगतान कर चुकी है। जिन दो निर्माण-कार्यों का उल्लेख किया गया था, उन दोनों को भी जनता ने निर्मित किया था। निर्माण-कार्य की आधी लागत तो स्थानीय जनता ने मुफ्त श्रम या घटाई हुई मजरी तथा स्थानीय सामग्री का सम्भरण करके दी थी, और शेष आधी लागत सरकार की ओर से सहायता क रुप में दी गई थी। सरकार के ऊपर ग्रामीणों की कोई भी भुगतान बाकी नहीं है, और उनकी समितियों का अलग अलग भुगतान किया जा चुका है।

†**सभापति महोदय** : उसे तो समय पर किया गया होगा।

†**श्री दातार** : जी, हां। सदा से समितियों को ही भुगतान किया जाता रहा है। हो सकता है कि समिति और उसके सदस्यों के बीच कोई कठिनाई पैदा हुई हो। यही कारण भी है। लेकिन जहां तक भुगतान का संबंध है, सरकार सड़कों के निर्माण की इन दोनों मदों के संबंध में अपनी ओर से भुगतान कर चुकी है। मैं सभा को सूचित करता हूं कि जहां तक सरकार का संबंध है कोई भुगतान शेष नहीं है।

ऐसी परिस्थितियों में, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे समाचारों या अफवाहों पर विश्वास न करें। कई बार उन्होंने गांवों का दौरा करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये गये समाचारों का उल्लेख किया है। हमारा अनुभव यह है कि कई बार जब लोग कई शिकायत करते हैं, तो वह शिकायत या तो कुछ ही मामलों में सही होती है या फिर सामान्यतः वह कोई सुनी-सुनाई शिकायत ही होती है। प्रत्यक्ष रूप से आने वाली शिकायत नहीं होती है। कई मामलों में तो शिकायत में नमक-मिर्च मिला दिया जाता है। इसलिये मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपनी सुनी सुनाई सभी शिकायतों पर पूरा विश्वास किये बिना यहां सभा में उन्हें इस प्रकार व्यक्त न किया करें।

†**श्री कामत** : आप भी तो उनकी जांच कर सकते हैं।

†**श्री दातार** : यदि वे कोई शिकायत करें, तो मैं उसकी जांच करने को तैयार हूं। मेरे मित्र ने यह बिलकुल ही गलत कहा है कि एक हत्या का विशेष कारण केवल यही था कि सलाहकार ने कुछ किया, या कुछ नहीं किया था। सलाहकार कोई कांग्रेसी सलाहकार तो है नहीं। इसलिये, उनके कारण बार-बार कांग्रेसी सरकार पर व्यंग कसने से क्या लाभ है? यह एक संसदीय सरकार है और प्रत्येक अधिनियम के लिये संसद् ही उत्तरदायी है। इसलिये, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सुनी-सुनाई बातों को बिना उनकी जांच किये न कह दिया करें। इन क्षेत्रों के संबंध में यदि कोई शिकायतें हैं, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम मामलों की जांच करायें और देखें कि जनता के कष्टों को दूर करके उसे संतुष्ट रखा जाये। मैं यहां यह वचन देता हूं कि जो भी शिकायत होगी उसकी जांच की जायेगी। लेकिन माननीय सदस्यों को भी उनकी जांच पड़-ताल कर लेनी चाहिये। तब मैं उसकी जांच करके और रिपोर्ट मंगा कर माननीय सदस्यों को सही स्थिति बताने के लिये भी तैयार हूं।

†**सभापति महोदय** : मुझे भी पर्वतीय क्षेत्रों का थोड़ा अनुभव है। वहां मार्च के बाद ही वर्षा कभी भी सड़कों को काट डालती है। प्रश्न यह है कि क्या यह सम्भव नहीं था कि निर्माण-कार्य होने के साथ ही साथ कोई उसकी माप-जोख भी करता जाता और अधिकारियों को कार्य की प्रगति के संबंध में बताता जाता? वर्षा समूचे निर्माण कार्य को बहा भी तो दे सकती है, इसलिये कार्य वर्षा से पहले ही समाप्त हो जाना चाहिये।

†**श्री दातार** : सामान्यतः वर्षा जून में ही आरम्भ होती है। इस मामले में राज्य सरकार को यह देखना चाहिये था कि माप-जोख की जांच की जाये।

†**सभापति महोदय** : यह कार्य नहीं किया गया?

†**श्री दातार** : यह इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। जहां तक निर्माण-कार्यों के कार्य का संबंध है, मैं यह बता दूं कि पर्यवेक्षण का कार्य केवल एक पर्यवेक्षक द्वारा ही एक बड़े क्षेत्र में यह पता लगा कर कि कार्य कैसे किया गया है किया जा सकता है। भुगतान करने से पहले यह आवश्यक है कि हम माप-जोखों की जांच कर लें। और इस कार्य के लिये अधिक संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी, यहां उल्लिखित कठि-नाइयों को देखते हुए, हम इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी कोई कार्य किया जाय तो उसका पारिश्रमिक भी यथाशीघ्र दे दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर—उत्तर) : हमारे यहां हजारों बेरोजगार इंजीनियर हैं, उनकी सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य कुछ के नाम बता दें। मैं उन्हें उन स्थानों पर भेजने के लिये तैयार हूं। मैं उन्हें अण्डमान, निकोबार और मनीपुर में किये जा रहे निर्माण कार्यों के लिये भर्ती करने को तैयार हूँ। बेकार व्यक्ति बाहर जाने को तैयार नहीं हैं। यही हमारी कठिनाई है। प्रविधिक कर्मचारी वर्ग में बेकारी नहीं है, वह तो अधिकांशत .....

†**श्री केशव अय्यंगार** : यह तो इस बात पर निर्भर है कि सरकार क्या प्रलोभन देती है।

†**श्री दातार** : सरकार कुछ प्रलोभन दे सकती है, परन्तु अत्यधिक नहीं।

†**श्री रिशांग किशिंग** : माननीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के लिये भुगतान किया गया है। मैं ११ जुलाई तक मनीपुर में था। उस दिन तक कोई भुगतान नहीं किया गया था। मैं इस वक्तव्य का प्रतिवाद करता हूं।

†**श्री दातार** : मैं हर समय अपने वक्तव्य को ठीक करने के लिये तैयार हूं।

(इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

सभा-पटल पर रखे गये १४८५

विभिन्न सत्रों के दौरान में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई :

(१) प्रथम विवरण	लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६	लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ९	लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १३	लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९	लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
(६) अनुपूरक विवरण संख्या २१	लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३२	लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

समिति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव स्वीकृत १४८६

श्री व० बा० गांधी ने प्रस्ताव किया कि लोक-लेखा समिति में डा० इन्दुभाई ब० अमीन के त्यागपत्र से जो स्थान रिक्त हुआ है, उस पर १९५६–५७ की शेष अवधि के लिए एक सदस्य को चुना जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुरःस्थापित १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधयक और लोक ऋण (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किये गये ।

अतिरिक्त अनुदानों कि मांगें (त्रावनकोर-कोचीन), १९५६-५७ १४८७-१५०९

सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम तथा विविध विषयों के संबंध में त्रावनकोर-कोचीन राज्य के १९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और पूरी-पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

दैनिक संक्षेपिका पृष्ठ

विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन १५०९–२८

तौल और माप मानदण्ड विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधें घंटे कि चर्चा— १५२८–३३

श्री रिशांग किशिंग ने मनीपुर के लिये विकास अनुदानों से संबंधित २९ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न बातों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की। श्री दातार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि—

त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (संख्या२) विधेयक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल विधेयक पर विचार तथा पारण तथा तौल और माप मानदण्ड विधेयक को सयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव और राज्य सभा द्वारा पारित रूप में समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ट) विधेयक पर विचार।

———————